

प्रभात

इस अंक में

★ पृथक छत्तीसगढ़ के बावजूद ...	6
★ निजीकरण की पटरियों पर छत्तीसगढ़ ...	9
★ बस्तर छत्तीसगढ़ का हिस्सा नहीं ...	13
★ जन संघर्षों पर छग सरकार का दमनचक्र ...	15
★ चुनाव के लिए महिला को साधन न बनाओ ...	18
★ श्रद्धांजलि ...	21
★ तेलंगाना के लोगों! हम तुम्हारे साथ हैं! ...	24

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) [पीपुल्स वार] दण्डकारण्य स्पेशल ज़ोनल कमेटी का तिमाही मुख-पत्र

★ चुनाव बहिष्कार का विशेषांक ★

वर्ष - 16

अंक - 3

जुलाई-सितम्बर 2003

सहयोग राशि - 10 रूपए

छत्तीसगढ़ विधानसभा के झूठे चुनाव का बहिष्कार करो !

जनता की राजसत्ता की स्थापना ही असली विकल्प

आधार इलाके के लक्ष्य से आगे बढ़ रहे दण्डकारण्य के क्रान्तिकारी आन्दोलन से एकताबद्ध हो!

दण्डकारण्य के उत्पीड़ित लोगों,

आगामी नवम्बर में देश के पांच राज्यों में विधानसभा के लिए चुनाव होने वाले हैं। इन चार राज्यों में मध्यप्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और मणिपुर के साथ-साथ छत्तीसगढ़ भी है। फिलहाल इन पांचों राज्यों में कांग्रेस पार्टी सत्ता पर काबिज है। चूंकि आगामी नवम्बर में इन राज्यों की मौजूदा विधानसभाओं के पांच साल पूरे हो रहे हैं, आगामी पांच सालों तक शासन चलाने के लिए एक-दूसरे को पछाड़ने के चक्कर में विभिन्न राजनीतिक पार्टियां फिर एक बार जनता के सामने आ रही हैं। चुनाव से महज सत्तारूढ़ पार्टियां बदल रही हैं पर जनता के लिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इस बात का गवाह है पिछले 55 सालों का 'स्वाधीन' शासन। इसलिए हम सभी जनता से इस चुनाव का बहिष्कार करने की अपील कर रहे हैं।

मध्यप्रदेश से अलग होकर 1 नवम्बर 2000 को छत्तीसगढ़ भारत के 26वें राज्य के रूप में वजूद में आया। 90 सदस्यों से यहां की पहली विधानसभा गठित हुई है। चूंकि छत्तीसगढ़ अंचल की एक-तिहाई आबादी आदिवासी है, इसलिए विधानसभा में भी 34 सदस्य आदिवासी ही हैं। विधानसभा के कुल सदस्यों में दो-तिहाई कांग्रेस के हैं, जबकि एक-तिहाई भाजपा के हैं। नए प्रदेश में विधानसभा के गठन के कुछ ही दिन बाद भाजपा के 12 विधायक दल-बदल कर कांग्रेस में शामिल हो गए। अब इस नए प्रदेश में पहली बार होने जा रहे विधानसभा चुनाव में खड़े होने वाली सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता आकर्षक नारों से, बकवास भरे भाषणों से और झूठे वायदों से आपके सामने आ रहे हैं। आपके गांवों में आने वाले इन चोर नेताओं से पूछिए कि इन्होंने जनता के लिए क्या कुछ किया है। नए

राज्य का गठन हुए तीन साल बीतने के बावजूद, बिना किसी समस्या का हल किए ही 'विकास' की रट लगाने वाले इन दगाबाजों को आप अपने गांवों में कदम ही नहीं रखने दीजिए।

जनता की यह सहज आशा थी कि पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के बनने से हमारी कई सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। लेकिन सारी उम्मीदें धरी की धरी रह गईं। शासकों ने ऐसे कई खोखले दावे किए थे कि पृथक राज्य के गठन के साथ ही राज्य विकास की राह पर आगे बढ़ता जाएगा; बेरोजगारी की समस्या खत्म हो जाएगी; जनता को सूखे के कारण पेट पकड़कर दूर-दूर तक पलायन करने की नौबत अभी नहीं आएगी; यहां मौजूद अनमोल प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए राज्य औद्योगिक तौर पर कदम बढ़ा सकेगा, आदि-आदि। लेकिन पिछले तीन सालों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। किसी एक भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। जबकि जनता की सारी आकांक्षाएं ज्यों की त्यों ही रह गईं, राजनीतिक नेता तो मालामाल हो गए।

नए राज्य के गठन के बाद मध्यप्रदेश विधानसभा को विभाजित कर छत्तीसगढ़ विधानसभा का गठन किया गया। नए राज्य होने के कारण कई कांग्रेसी विधायक मंत्री बन गए या फिर मंत्री के बराबर दर्जे के दूसरे पदों पर आसीन हो गए। ये सभी ऐशो-आराम के साथ जीते हुए अपार संसाधनों से भरपूर इस राज्य को दलाल पूंजीपतियों और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को मुनाफा पहुंचाने वाला आकर्षक केन्द्र बना रहे हैं। इन्होंने जन कल्याण को भुला दिया है। दलाल पूंजीपतियों और साम्राज्यवादियों की सेवा में तन-मन से जुटे हुए ये लुटेरे नेता फिर एक बार जनता के सामने आ रहे हैं कि उन्हें सत्ता का सुख

भोगने का एक और मौका दिया जाए। जनता की समस्याओं को भुलाकर लुटेरे वर्गों की सेवा में लगे रहने वालों को हम वोट क्यों दें? वोटों से कोई समस्या हल नहीं होती। जन-विरोधी व्यवस्था को ध्वस्त किए बिना हमारी जिन्दगी में कोई तब्दीली नहीं आएगी। इसलिए हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि इस झूठे चुनाव का बहिष्कार करें।

चुनाव से गरीबी दूर नहीं होगी -

समस्याएं हल नहीं होंगी

ग्राम पंचायत से लेकर लोकसभा तक, जो संसदीय व्यवस्था के अंग हैं, शासन की हर संस्था के लिए प्रत्येक पांच सालों में चुनाव हो ही रहे हैं। भारत के संविधान के मुताबिक चुनाव में जीत हासिल करने वाले अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने की शपथ लेते रहते हैं। लेकिन दरअसल भारत का संविधान ही एक ढकोसला है, जन-विरोधी है। 26 जनवरी 1950 से लागू इस संविधान में अब तक करीब सौ बार संशोधन किए गए। अब इस संविधान की समीक्षा करने की बातें भी कर रहे हैं। चाहे जितने संशोधन करें, या चाहे जितनी समीक्षाएं की जाएं उसका असली स्वरूप तो नहीं बदलेगा। विधानसभा और लोकसभा के लिए 'चुने जाने वाले' प्रतिनिधि ही कानून बना रहे हैं और संविधान में संशोधन या समीक्षा की बातें कर रहे हैं। जबकि ये सभी दलाल पूंजीवादी और सामंती वर्गों के प्रतिनिधि ही हैं, ऐसे में इनसे यह उम्मीद ही नहीं की जा सकती कि जनता के हितों के अनुरूप वे काम करेंगे। अंग्रेजों के सांचे में ढलकर बने भारत के संविधान को संशोधनों और समीक्षा के जरिए मूल रूप से बदला नहीं जा सकता। यह संविधान लुटेरे वर्गों के हितों के मद्देनजर ही बनाया गया है। विधायिका में चुने जाने वाले प्रतिनिधि जनता को गुमराह करने के लिए झूठ बोल रहे हैं कि यह असली जनवादी शासन है। इनकी असलियत को समझकर चुनाव की ढोंगबाजी को तथा जनतंत्र के नाम पर जारी जन-विरोधी शासन का पर्दाफाश करना चाहिए। संविधान में सुधार से हमारी जिन्दगी नहीं बदलेगी। इस संविधान को पूरी तरह ध्वस्त करके जनता का संविधान कायम कर लेंगे। चुनाव से यह कतई मुमकिन नहीं होगा।

दण्डकारण्य के अनुभव पर नजर डाली जाए, तो यह जान पड़ता है कि चुनाव में खड़े होने वाले और जीतने वाले किन वर्गों के हैं। कुटूरु के शाही परिवार से शिशुपाल शाह और प्रतिभा शाह; गडचिरोली के अहेरी शाही परिवार से विश्वेश्वरराव, सत्यवन महाराज और धर्मारव बाबा; जन-विरोधी और सामंती मांडवी परिवारों से महेन्द्र कर्मा, बलिराम कश्यप, मनकूराम सोढी, अरविन्द नेताम, इत्यादि; गडचिरोली से उड्डेके, बस्तर के कोवासी, वडेड्विवार, पवार, विक्रम ऊसेंडी, सोहन पोड्यावी जैसे कबीलशाह; नरेश पुगलिया, शांताराम पोडुडुके जैसे व्यापारी - यही लोग हैं जो विधानसभा और संसद में चुने जा रहे हैं। एक समय इनके बाप-दादों की अंग्रेजी शासकों के साथ सांठगांठ थी, यह बात किसी से छिपी नहीं है।

हमने अपने अनुभव में यह पाया है कि इन्हें वोट देकर जिताने से ये लुटेरे वर्गों की ही सेवा कर रहे हैं। इसलिए हमें इन्हें और इनके प्रतिनिधियों को भी अपने गांवों में आने नहीं देना चाहिए। इनकी मीठी-मीठी बातों के चक्कर में नहीं आना चाहिए।

सभी वोटबाजी पार्टियां

एक थैली के चट्टे-बट्टे !

हमारे देश में कई वोटबाजी पार्टियां मौजूद हैं। इन सभी का कहना है कि वे मौजूदा संसदीय व्यवस्था के जरिए ही जनता की समस्याओं का हल करेंगी। हमने ऊपर देखा है कि संसदीय व्यवस्था कितनी ढोंगी है और चुने जाने वाले प्रतिनिधियों का वर्ग-चरित्र क्या है। अब उन राजनीतिक पार्टियों के इतिहास और रवैयों पर नजर डालें जो छत्तीसगढ़ विधानसभा के चुनावी दंगल में उतर रही हैं।

प्रदेश में मुख्य रूप से सत्तारूढ़ कांग्रेस, भाजपा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, संशोधनवादी भाकपा और माकपा सत्ता की होड़ में हैं। इनके अलावा गोण्डवाना-पार्टी, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा जैसी कुछ छिटपुट पार्टियां और कुछ 'स्वतंत्र' उम्मीदवार भी चुनावी अखाड़े में हैं। ये सभी अपने-अपने झण्डों, वायदों, झूठे दावों के साथ हमारे सामने आ रहे हैं। ये सभी एक-दूसरे को गाली-गलौज, आपसी निंदा, आरोप-प्रत्यारोप करते रहे हैं। हर कोई चाहता है कि सामने वाले को धक्का मारकर सत्ता पर कब्जा किया जाए। यह नौटंकी हर पांच साल में एक बार होती चली आ रही है।

इस व्यवस्था में ऐसी कोई प्रबन्ध नहीं है जबकि एक व्यक्ति चुनाव जाता है और अगर वह लोगों के हितों के खिलाफ काम करता है तो उसे वापिस बुलाने अधिकार मतदाताओं को नहीं है। इसे झूठा लोकतंत्र ठहराने के लिए इससे अच्छा उदाहरण और कोई नहीं हो सकता। इसीलिए चुनाव जीतने वाला हर नेता भ्रष्टाचार-घोटालों, रिश्वतखोरी, जनता पर जुल्म, हत्या, लूट, माफिया गिरोहों को पालना आदि हरकतों में शामिल हो रहा है। एक शब्द में कहें तो अराजकतावाद का ही बोलबाला है। उदाहरण के लिए 13वीं लोकसभा में मौजूद 542 सदस्यों में से 348 लोगों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें 171 लोगों के खिलाफ तो हत्या, चोरी, महिलाओं के साथ बलात्कार जैसे संगीन अपराध भी दर्ज हैं। 71 लोगों को उनके खराब रिकार्ड के चलते खुद सरकार ने ही बैंकों से कर्ज लेने के लिए अयोग्य घोषित किया है। यह एक उदाहरण भर है, जबकि ऐसे कई अन्य लोग भी होंगे जो अपने अपराधों को दबाकर रखते हैं और मामलों का रफा-दफा करवा देते हैं। यही लोग जन-प्रतिनिधि के तौर पर हमारे सामने हैं जो हमारे देश के लिए शर्म की बात है। दरअसल कोई भी ईमानदार और निष्ठावान व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। अगर लड़ता भी है तो जीत नहीं सकता, अगर जीतता भी है तो वह भी आखिरकार लुटेरे वर्गों की ही सेवा में डूब जाएगा, यह बात इतिहास में कई बार साबित हो चुकी है। हमारे वोट डालने का मतलब है इन्हें फिर से सत्ता सौंपना - अपना अनुमोदन देना कि फिर

छुटे चुनाव का बहिष्कार करो!

पांच सालों तक वे इस तरह के अपराध और अन्याय करते रहें। इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस समूची व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए जारी संघर्ष में भागीदारी लें।

छत्तीसगढ़ में इन तीन सालों के शासन में इस तरह के कई अपराध और अन्याय हो चुके हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर अजीत जोगी की नियुक्ति के बाद घोटालों के कई मामले प्रकाश में आए। 'हंसदेव बांगो सिंचाई परियोजना' में अजीत जोगी ने 100 करोड़ का घोटाला किया, यह खबर अखबारों में विस्तारपूर्वक छापी गई। जोगी पर दर्ज कोडार परियोजना में घपलेबाजी का मामला अभी भी चल रहा है। अपने प्रतिद्वन्द्वियों को मरवाने और पिटवाने में अजीत जोगी बड़ा माहिर माना जाता है, पिछले तीन साल में घटित कई घटनाओं से इसकी पुष्टि हो जाती है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता जग्गी की हत्या एक ताजा उदाहरण है। पूर्व में नन्दकुमार साय के पैर तुड़वाने का मामला, छगन मुंदाडा, प्रह्लाद पटेल, शिवराज पटेल, विसी शुक्ल आदि की पिटाई के पीछे जोगी का ही 'हाथ' रहा, जो किसी से छिपी नहीं है। पैसे, सत्ता तक पहुंच वाले लोगों का ही यह हाल कर दिया है, तो मजदूर, किसान, छात्र, कर्मचारी, महिलाएं, दलित, आदिवासी जैसे कमजोर लोगों का क्या हाल रहा होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। सिर्फ जोगी ही नहीं, सत्ता पक्ष और विपक्ष के लगभग सभी नेताओं का यही इतिहास है। नगरनार जनता पर चलाया गया दमन इतिहास में इस बात के सबूत के तौर पर अंकित हो चुका है।

इस चुनाव में मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ कांग्रेस और प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा के बीच होगा, यह बात स्पष्ट है। पिछले दस सालों से सत्ता के सुख से दूर रह चुकी भाजपा किसी भी कीमत पर इस बार सत्ता हथियाने की जीतोड़ कोशिश कर रही है। पिछले कुछ सालों से नकारात्मक वोट (व्यवस्था विरोधी मत) से विपक्षी पार्टियों का सत्ता में आना हमारे देश में एक रुझान सा बन गया है। जब सत्ता पक्ष अपने शासन काल में जनता की समस्याओं को हल करने में विफल हो जाता है, तब सहज ही जनता में उसके प्रति गुस्सा बढ़ जाता है। इसी गुस्से का फायदा उठाकर विपक्षी पार्टियां जीत हासिल कर सक रही हैं। जनता के सामने एक मजबूत विकल्प के अभाव में विपक्षी पार्टियां कई बार सफल हो पा रही हैं। फिलहाल केन्द्र में सत्तारूढ़ भाजपा सभी राज्यों में सरकारें बनाने के लिए अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। अगले वर्ष लोकसभा के लिए होने वाले चुनाव के मद्देनजर फिलहाल पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को भावी विजय के सूचक के तौर पर भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियां मान रही हैं।

फिलहाल जिन राज्यों में भाजपा सत्ता में है, वहां भी महंगाई, भ्रष्टाचार-घोटाले, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों और अन्य संस्थाओं को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हवाले कर देना, मजदूरों की छंटनी, किसानों द्वारा आत्महत्याएं, महिलाओं के साथ बलात्कार आदि कई मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। लगभग सभी राज्यों में यही स्थिति बनी हुई है। खासकर भाजपा शासित राज्यों में हिन्दू फासीवादी

ताकतें धार्मिक अल्पसंख्यकों का कल्लेआम कर रही हैं। गुजरात का नरसंहार इसका एक उदाहरण है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी खुद को धर्मनिरपेक्षतावादी बताते हुए हिन्दू धर्मोन्माद का पूरा सहयोग कर रही है, उसे बढ़ावा दे रही है। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को हिन्दुओं में बदलने के लिए खुद सरकार की ओर से पहलकदमी लिया जाना इसका एक उदाहरण है। जोगी द्वारा राम-कथाओं का आयोजन भी कांग्रेसी किस्म की हिन्दुत्व नीतियों का एक ताजातरीन मिसाल है।

इसलिए, इन पार्टियों में चाहे जो भी जीत जाए, वे सामंती व दलाल पूंजीवादी वर्गों के प्रतिनिधियों के तौर पर ही काम करेंगे और एक वफादार कुत्ते की तरह सामंतवाद और साम्राज्यवाद की सेवा करेंगे, यह बात इनकी नीतियों से साफ जाहिर होती है। इसके अलावा कुछ छोटी-छोटी राजनीतिक पार्टियां भी हैं जो जनता की आकांक्षाओं का इस्तेमाल कर चुनाव में फायदा उठाने की कोशिश करती हैं। ये पार्टियां जाति, राष्ट्रीयता या कबीले के आधार पर अपना अस्तित्व को बनाए रखी हुई हैं। ये पार्टियां जीत भी जाएं तो जनता के लिए कुछ भी नहीं कर रही हैं। वे सत्ता के लिए प्रमुख राजनीतिक पार्टियों की खिचड़ी सरकारों में शामिल होकर अपना उल्लू सीधा कर रही हैं। और संशोधनवादी पार्टियों के रवैये के तो क्या कहने! लोगों में लाल झण्डे के प्रति बचे आदर और हमदर्दी को वोटों में बदलकर सत्ता हथियाने की कोशिश में हैं ये पार्टियां। ये भी दिवालिया राजनीति को आत्मसात करते हुए अन्य बर्जुआई पार्टियों की पूंछ की तरह काम कर रही हैं। तरह-तरह के जोड़-तोड़ में शामिल हो रही हैं। भाकपा और माकपा दोनों पार्टियां 'पृथक बस्तर' का विरोध कर रही हैं जो कि बस्तरवासियों की जायज मांग है। नगरनार स्टील प्लान्ट का विरोध कर रही जनता का पक्ष न लेकर इन्होंने अपनी जन-विरोधी नीति साफ उजागर की। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा जैसे राज्यों में, जहां माकपा सत्तारूढ़ है, ये नकली मार्क्सवादी फासीवादी शासन लागू करके जन आन्दोलनों और क्रान्तिकारी आन्दोलन को लोहे के जूतों से रौंदने की जीतोड़ कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार यह बात स्पष्ट हो जाती है कि संशोधनवादी पार्टियों समेत सभी संसदीय पार्टियां जन-विरोधी ही हैं। खुद को आदिवासियों का प्रतिनिधि बताने वाली गोंडवाना पार्टी भी इस चुनाव में भाग ले रही है। इस पार्टी के लोग बता रहे हैं कि वे चुनाव के जरिए आदिवासियों की भलाई करेंगे। पूर्व में इस पार्टी की ओर से चुने गए कुछ विधायकों ने पैसे के लालच में आकर जोगी का पल्ला थाम लिया, यह बात किसी से छिपी नहीं है। इनका कहना जो भी हो, लेकिन इनका आचरण पूरा अवसरवादी ही है और जनता को गुमराह करने वाला ही है। छत्तीसगढ़ चुनाव में भाग लेने वाली एक और छोटी पार्टी है सीएमएम (छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा)। एक जमाने में मजदूर संघर्ष चलाकर जनता में, खासकर मजदूरों में पैठ बनाने वाली इस पार्टी का अब पूरी तरह एक अवसरवादी तथा मजदूर-विरोधी पार्टी के तौर पर पतन हो गया है। खुद को एक जनवादी संगठन बताते हुए साम्राज्यवाद का विरोध करने का ढोंग करने वाली यह पार्टी व्यवहार में सरकार की मजदूर-विरोधी नीतियों का समर्थन कर

रहा है। मसलन, जबकि दिल्ली-राजहरी में स्थित खदानों के प्रबन्धन द्वारा लागू मशीनीकरण का हजारों मजदूर विरोध कर रहे हैं, सीएमएम इसका समर्थन कर रहा है। इसलिए जनवादी संगठन के तौर पर खुद को स्थापित कर वास्तव में जनता के हितों के खिलाफ खड़ी इन दिवालिया पार्टियों का पर्दाफाश करना चाहिए। इन चुनावी पार्टियों के खिलाफ तथा इस झूठे चुनाव के खिलाफ जनयुद्ध को तेज करेंगे।

चुनाव का मतलब

छलपूर्ण नारों से वोट बटोर लेना !

हरेक राजनीतिक पार्टी यह कहते हुए जनता को छल रही है कि नव गठित छत्तीसगढ़ राज्य का विकास ही उनका एक मात्र लक्ष्य है। सरकार का दावा है कि उसने राज्य के विकास के लिए 6,000 किलोमीटर लम्बी सड़कें बनाई हैं। करोड़ों रुपए खर्चते हुए यह प्रचारित कर रही है कि सड़क निर्माण ही विकास की कुंजी है। सरकार यह दावा भी कर रही है कि रावघाट तक रेल लाइन बिछाने से बस्तर का विकास हो जाएगा। राज्य में मौजूद असीम खनिज, वन व जल संसाधनों का इस्तेमाल करके औद्योगीकरण को बढ़ावा देने और इससे बेरोजगारी को खत्म करने की बातें भी की जा रही हैं। और कई तरह की बातें की जा रही हैं। क्या इन बातों में कोई सचाई है?

किसी भी पार्टी को यह ध्यान ही नहीं है कि खेतों को पानी देकर किसानों की जिन्दगी किस तरह बदली जाए। फसलों को समर्थन मूल्य न मिलने की वजह से किसान अपने अनाज को बिछौलियों को औने-पौने दामों पर बेचने पर मजबूर हो रहे हैं। इस पर कोई भी पार्टी बात नहीं करती। हर साल गांवों में चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में मलेरिया, उल्टी-दस्त जैसी छूत की बीमारियों से लोग मौत के मुंह में समा जा रहे हैं। इसकी ताजातरीन मिसाल है कोंटा तहसील का पुव्वार गांव, जहां पिछले जुलाई में एक ही सप्ताह के अन्दर 12 लोग आंत्रशोथ के कारण चल बसे। कई गांवों में स्कूल नहीं है। बस्तर में सरकार के बेवकूफी फैसले के फलस्वरूप पहले से मौजूद कई स्कूलें भी बन्द पड़ गईं। गुरुजी नहीं हैं। जो हैं उन्हें वेतन नहीं मिलता। इन बुनियादी समस्याओं पर रत्ती भर भी ध्यान न देने वाली सरकार खासकर पिछले कुछ अरसे से यह प्रचार कर रही है कि विकास का एक मात्र समाधान है पर्यटन उद्योग।

सरकार ने बस्तर को बाकायदा पर्यटन की राजधानी बना डाली, हालांकि उसने आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा नहीं की है। यहां पर लोगों को उजाड़कर कई राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य-प्राणी संरक्षण केन्द्रों को खोलने की कोशिश कर रही है। जहां पहले इनका निर्माण हुआ था, वहां से गांवों को उजाड़ा गया और लोगों को भगा दिया गया, यह बात हम सभी जानते हैं। कई स्थलों को पर्यटकों के मनोरंजन और ऐशो-आराम के अनुरूप

संवार जा रहा है। महंगे होटल बनाए जा रहे हैं। बस्तर जैसे एक आदिवासी इलाके में पर्यटन उद्योग के बढ़ने से होने वाले नुकसानों की उसे रत्ती भर चिन्ता भी नहीं है। आदिवासी युवतियों को वेश्यावृत्ति में धकेलने वाले पर्यटन उद्योग को सरकार विकास की जादुई छड़ी कहकर प्रचारित कर रही है। अन्य संसदीय पार्टियां भी सरकार की नीतियों से बुनियादी तौर पर कहीं भी असहमत नहीं हैं। सभी का रास्ता भी एक है और मंजिल भी। आदिवासियों की जीवन-शैली और संस्कृति को तबाह करने को इन सभी लुटेरी पार्टियों की मंजूरी है। इसलिए हमें इनके छलपूर्ण नारों और मीठी बातों से धोखा नहीं खाना चाहिए। किसी को वोट नहीं देना चाहिए।

‘पृथक बस्तर राज्य’ पर न बोलने वालों को वोट मांगने का अधिकार नहीं !

आज सभी राजनीतिक पार्टियों की नजर विशाल बस्तर पर लगी हुई है। शासकों का कहना है कि दन्तेवाडा को आदर्श जिला बनाना उनका लक्ष्य है। उनकी मान्यता है कि बस्तर के बिना छत्तीसगढ़ नहीं है। वे इस बात को भुला रहे हैं कि बस्तर बस्तरवासियों का है। छत्तीसगढ़ के लुटेरे शासक वर्गों को बस्तर का छत्तीसगढ़ में शामिल रहना जरूरी है। बस्तर की धरती खनिज, वन और जल के समृद्ध संसाधनों से भरी-पूरी है। इसीलिए सभी राजनीतिक पार्टियां ‘पृथक बस्तर राज्य’ के प्रस्ताव का ढढ़ता से विरोध कर रही हैं। क्योंकि पृथक बस्तर राज्य के गठन से यहां की सम्पदाओं को मनमाने ढंग से लूटने में कई अड़चनें आएंगी। हालांकि सभी पार्टियां खुद को बस्तर के हितैषी साबित करने के लिए तरह-तरह की चालाकियां कर रही हैं। बस्तरवासियों के वोट लूटने के लिए बस्तर पैकेज की घोषणा जैसी तिकड़मबाजी कर रही हैं। जहां कांग्रेस सरकार ने 361 करोड़ रुपए की बस्तर पैकेज घोषित की, वहीं संशोधनवादी पार्टियों ने 1,000 करोड़ रुपए की वैकल्पिक बस्तर पैकेज की घोषणा करके मतदाताओं का ध्यान आकृष्ट करने की सस्ती चाल चली है।



पृथक जनवादी बस्तर की मांग से फरवरी 2001 में नारायणपुर में लोगों की रैली

झूठे चुनाव का बहिष्कार करो!

दलाल शासक वर्गों ने बस्तरवासियों की मर्जी के खिलाफ और उनकी आकांक्षाओं को कुचलते हुए बस्तर को जबरन छत्तीसगढ़ में मिला दिया। इसलिए अब 1 नवम्बर का दिन बस्तर की जनता के इतिहास में एक काला दिवस के रूप में अंकित हो गया। बस्तरवासियों का इलाका, भाषा, संस्कृति, अर्थव्यवस्था सभी विशेष किस्म के ही हैं। बस्तर बतौर छत्तीसगढ़ का हिस्सा कभी नहीं रहा। न ही कभी बस्तरवासियों ने किसी के सामने अपना सिर झुकाया। इसलिए हम आवाज उठाएं कि बस्तर बस्तरवासियों का ही है। अलग बस्तर राज्य का विरोध करने वाली सभी पार्टियों ने बस्तरवासियों से वोट मांगने की नैतिक योग्यता ही गंवाई है। इसलिए हमें इन पार्टियों का यह कहकर विरोध करना चाहिए कि अलग बस्तर राज्य के गठन पर कुछ बोलना नहीं है तो वोट मांगने मत आएं। खुद को बस्तरिया नेता बताते हुए दलाल शासक वर्गों में शामिल हो बस्तर जनता के हितों के खिलाफ काम करने वालों को हम अपनी सरहद में भी कदम रखने नहीं देना चाहिए।

पूंजीवादी संसदीय व्यवस्था का सही विकल्प जनता ना सरकार (क्रान्तिकारी जन परिषद) ही

अपनी पार्टी, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) [पीपुल्सवार] और अपनी बिरादराना पार्टी, एमसीसीआइ के नेतृत्व में देश के कई हिस्सों में लड़ रही जनता संसदीय चुनाव का बहिष्कार करती आ रही है। यहां दण्डकारण्य में भी पिछले 23 सालों से जनता संसदीय चुनावों का बहिष्कार करती आ रही है। उत्तर बस्तर, बस्तर, दक्षिण बस्तर, राजनांदगांव, कवर्धा, सरगुजा, आदि जिलों की जनता कई सालों से लुटेरे शासक वर्गों के खिलाफ संगठित लड़ाई लड़ रही है। चुनाव का बहिष्कार करते हुए दीर्घकालिक जनयुद्ध के रास्ते पर हथियारबन्द लड़ाई कर रही है। पिछड़े हुए ग्रामीण अंचलों को आधार बनाकर हमारा यह संघर्ष चल रहा है। कई कस्बों-शहरों में भी जनता हमारी पार्टी के नेतृत्व में संगठित हो रही है। दण्डकारण्य को आधार इलाके में तब्दील करने के लक्ष्य से हमारी पार्टी के नेतृत्व में पीजीए (जन छापामार सेना) लड़ रही है। जन छापामार सेना में सैकड़ों युवक-युवतियां भरती हो रहे हैं। कई गांवों में 'जनता ना सरकार' (क्रान्तिकारी जन परिषद) का, जो जनता की राजसत्ता का अंग है, निर्माण हो रहा है।

आमतौर पर हमारे संघर्ष इलाके से बाहर के लोगों और बुद्धिजीवियों के मन में एक संदेह पैदा हो रहा है - चुनाव का बहिष्कार करके राज्य या सरकार का गठन कैसे कर सकते हैं। लेकिन अपनी पार्टी मौजूदा लुटेरे वर्गों द्वारा आयोजित ढोंगी चुनाव का बहिष्कार करने की बात ही कर रही है। हमें ध्वस्त करना है इस लुटेरी व्यवस्था को, उसके संविधान को, उसके राज्य-यंत्र को जो उसकी रक्षा कर रहा है। इनके स्थान पर हमें सबसे पहले ग्राम स्तर पर क्रान्तिकारी जन परिषद का (जनता ना सरकार) गठन करना चाहिए। दण्डकारण्य में पिछले आठ सालों से यह प्रक्रिया जारी है, यह हम सब जानते ही हैं। जनता की

जनवादी सरकार का भ्रूण रूपी अंग हैं ये। जनसभाओं के जरिए सभी वयस्क लोग स्वेच्छा से जन सरकार की इन इकाइयों का चुनाव कर रहे हैं।

दण्डकारण्य में निर्मित हो रही जनता की वैकल्पिक राज्यव्यवस्था का उन्मूलन करने के लिए सभी राज्य सराकारों और केन्द्र सरकार तीखे दमन का प्रयोग कर रही हैं। हजारों पुलिस व आर्ध-सैनिक बलों को तैनात कर युद्ध जैसा माहौल बना रही हैं। क्रान्तिकारियों और जनता के कल्लेआम करवा रही हैं। गिरफ्तारियां, यातनाएं, जेल, जुमनि, अत्याचार, आदि आम हो गए। इन सभी को झेलकर भी हम लड़ रहे हैं। हर चुनाव के मौके पर सरकार दमन को कई गुना बढ़ाकर किसी भी तरीके से वोट डलवाकर 'जनवाद' की लाज बचाने की कोशिश कर रही है। जो वोट नहीं डालते हैं उन पर नक्सलवादी का ठप्पा लगाकर उन्हें प्रताड़ित कर रही है। इसके बावजूद हम अपनी लड़ाई जारी रखे हुए हैं। पुलिसिया दमन का मुकाबला करते हुए ही चुनाव का बहिष्कार करते चले आ रहे हैं। कुछ माह पहले (सितम्बर 2002 से मार्च 2003 तक) सैकड़ों सरपंचों, पंचों, जनपद अध्यक्षों और सदस्यों ने जनता की ताकत के सामने घुटने टेककर अपने पदों से इस्तीफे दिए। 'जनवाद' की नींव माने जाने वाली पंचायतराज व्यवस्था के इस तरह ढह जाने से जगदलपुर से दिल्ली तक सरकार सकपका गई थी। मीडिया का क्या कहने? खूब शोर-शराबा मचाया। लेकिन दूसरी तरफ जनता अपने कामकाज को अपने ही चुने हुई 'जनता ना सरकार' के तहत चलाती रही। इसलिए हम कह रहे हैं कि हमें यह पंचायतराज व्यवस्था नहीं चाहिए, पूरी संसदीय व्यवस्था से ही हमें धिक्कार है। इस झूठे चुनाव का हम बहिष्कार कर लड़ाई के जरिए ही जनता की राजसत्ता हासिल कर लेंगे। गांव-गांव में 'जनता ना सरकार' के संगठनों की स्थापना करते हुए उन्हें मजबूत बना लेंगे। ग्राम स्तर से उच्च स्तर तक जनता की राजसत्ता के अंगों को व्यापक बनाते हुए आधार इलाके का निर्माण करेंगे। लड़ाई के दौरान चाहे जितनी कुरबानियों के लिए भी तैयार होकर इस लुटेरी राज्यव्यवस्था के स्थान पर नव जनवादी व्यवस्था की स्थापना करेंगे - हमारे देश को सामंती और साम्राज्यवादी बन्धनों से मुक्त कराएंगे।

- छत्तीसगढ़ विधानसभा के चुनाव का बहिष्कार करो!
- 'जनता ना सरकार' का चुनाव करो - उन्हें मजबूत बनाते हुए व्यापक बनाओ!
- दण्डकारण्य को आधार इलाके में बदल दो!
- सरकारी दमन को हरा दो - क्रान्तिकारी जन परिषदों की सुरक्षा करो!

क्रान्तिकारी बधाई के साथ,
दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी
भाकपा (मा-ले) [पीपुल्सवार]

पृथक छत्तीसगढ़ प्रदेश के गठन के बावजूद जनता को कोई फायदा नहीं!

जनता की असली तमन्नाएं जस की तस !!

हमारा प्यारा भारत कई राष्ट्रीयताओं का जमघट है। हमारे देश की कई राष्ट्रीयताएं कई सालों से अपनी जायज मांगों को लेकर संघर्ष करती चली आ रही हैं। इनमें ऐसी राष्ट्रीयताएं भी शामिल हैं जो अलग होने के अधिकार समेत आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए जुझारू व हथियारबन्द संघर्ष कर रही हैं। यहां ऐसे इलाके भी हैं जो भाषा को लेकर, अलग-अलग इलाकों के बीच असमान विकास को लेकर अपने अलग अस्तित्व को पहचान कर अलग राज्य की मांग कर रहे हैं ताकि उनका विकास का रास्ता सुगम बनाया जा सके। नगा, कश्मीरी आदि राष्ट्रीयताओं के संघर्ष पहली श्रेणी में आते हैं, जबकि झारखण्ड, विदर्भ, उत्तराखण्ड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, बस्तर आदि इलाकों के जन संघर्ष दूसरी किस्म के हैं। ये सब अपनी इस मजबूत तमन्ना के साथ देश के शासक वर्गों के खिलाफ दृढ़ता से लड़ रहे हैं कि इस देश के अन्दर ही उन्हें एक अलग राज्य हो, जिससे उनके इलाके का विकास हो सके। ये सभी संघर्ष जायज हैं। इन सभी संघर्षों का समर्थन किया जाना चाहिए क्योंकि ये जनता की आकांक्षाओं को प्रतिबिम्बित कर रहे हैं।

1947 में भारत एक 'स्वतन्त्र' देश के रूप में वजूद में आया। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान अस्तित्व में आया। उसके छह साल बाद, यानी 1956 में भाषाधार राज्यों के नाम पर 18 नए प्रदेशों का गठन किया गया था। राष्ट्रीयता को आधार बनाकर राज्यों का विभाजन न करके और अलग-अलग राष्ट्रीयताओं की आकांक्षाओं

को अहमीयत न देकर 'आजाद' भारत के इतिहास में पहला अन्याय किया जा चुका था। इस तरह नए राज्यों का गठन करने से उन जन समुदायों की आकांक्षाओं को धक्का लग चुका था जिन्होंने तब तक अपने लिए एक अलग राज्य की तमन्ना पाल रखी थी। भाषाधार राज्यों के नाम पर राज्यों के बीच बनी सीमाओं ने जनता में फूट के बीज बो दिए। एक ही राष्ट्रीयता की जनता कई राज्यों के तहत बांटी जा चुकी थी। खासकर देश के लाखों आदिवासियों के साथ बड़ी धोखाधड़ी हो चुकी थी। एक राष्ट्रीयता के तौर पर उभर रहे आदिवासी जन समुदायों को – इसके बावजूद भी कि वे एक ही विशाल इलाके में जीवन-यापन कर रहे थे, एक ही भाषा बोलने वाले थे, एक ही मानसिकता के थे, उनकी अर्थव्यवस्था समान थी और उनकी कई एकरूपताएं थीं – प्रभुत्वकारी भाषाओं के द्वारा उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा और उन्हें बेरहमी के साथ

... धोखाधड़ी, जुल्म, नाइंसाफी व दमन का शिकार हो चुके लगभग दो करोड़ छत्तीसगढ़वासियों के सामने अब सभी राजनीतिक पार्टियां झोली फैलाकर आ रही हैं क्योंकि इस नए-नवेले प्रदेश में पहली बार चुनाव होने वाला है। आइए, इन सभी पार्टियों को मार भगाएं! ...

बांट दिया गया। इसका जीता-जागता उदाहरण हैं विशाल गोंडवाना और झारखण्ड के मूलवासी। लेकिन उनकी तमन्ना आज भी जंगल की आग की तरह सुलगती ही रही है जो एक समय कुचली जा चुकी थी। उसके बाद कुछ अन्य संघर्ष सामने आ गए। अंग्रेजों ने हमारे देश को पांच रियासतों में बांटकर राज किया, जबकि भारत के शासक वर्गों ने पूरे देश को 18 राज्यों में बांट कर शासन करना शुरू किया। इसके बावजूद भारत के मानचित्र पर ऐसे इलाकों की संख्या लगातार बढ़ रही है जो खुद को विशेष राज्य का दर्जा पाना चाहते हैं। इनके संघर्षों के बदौलत ही वर्ष 2000 में झारखण्ड, उत्तराखण्ड और

छत्तीसगढ़ राज्य नए राज्य के रूप में वजूद में आ गए। आज भी गंभीर असमानता को झेल रहे और विकास से वंचित विदर्भ, तेलंगाना, गोंडवाना आदि इलाकों के निवासी अपनी अलग राज्य की मांग को बरकरार रखे हुए हैं। संघर्ष चल ही रहा है। इनके साथ-साथ अब विशाल बस्तर की जनता भी सामने आ गई जिनकी अपने अस्तित्व को बनाए रखने की बड़ी तमन्ना है। एक अलग राज्य के रूप में विकसित होने के लिए सभी आवश्यक संसाधन इन इलाकों में मौजूद हैं और उनका विश्वास है कि वे अपना एक अलग राज्य बनाकर विकास के रास्ते पर चल सकते हैं। बस्तर के लोगों में पनपी संघर्ष की यह आग तब तक नहीं बुझेगी जब तक कि उनकी जायज मांगें पूरी नहीं हो जातीं। यहां की जनता के संघर्षों से इस बात का सबूत मिल जाता है कि जनता की



पृथक जनवादी बस्तर के लिए बस्तर संघर्षाई में बन्दूकों की परवाह किए बिना

झूठे चुनाव का बहिष्कार करो!

वास्तविक तमन्ना को कोई भी ताकत हमेशा के लिए दबाकर नहीं रख सकती। अपनी मांगों को लेकर दृढ़ता से लड़ रही जनता के पक्ष में हम खड़े हैं और यहां के जन संघर्षों का बिना किसी द्वन्द्व से हम समर्थन करते हैं।

तीन साल पूर्व मध्यप्रदेश राज्य को बांटकर छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया। 1 नवम्बर 2000 को छत्तीसगढ़ की जनता ने बड़ा उत्सव मनाया था। लेकिन दूसरी तरफ विशाल बस्तर की जनता ने छत्तीसगढ़ में बस्तर के जबरिया विलय का विरोध करते हुए बड़ी-बड़ी रैलियां निकालीं और प्रदर्शन आयोजित किए। हमारी पार्टी ने बस्तर की जनता की जायज मांग का समर्थन करते हुए ही दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ जनता की तमन्ना का भी सम्मान देते हुए नए राज्य के गठन का स्वागत किया। साथ ही, हमने यह भी स्पष्ट किया कि नए राज्य के बनने मात्र से बिना किसी मजबूत संघर्ष के जनता की मूल समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। हमने कहा कि जनता को अपनी समस्याओं को लेकर एकजुटता से संघर्ष करना ही होगा। पृथक छत्तीसगढ़ के इन तीन सालों के शासन ने भी यही साबित किया। इन तीन सालों में जनता की किसी एक भी मूलभूत

समस्या का समाधान नहीं हो सका। इस क्षेत्र की जनता ने सहज ही यह आशा संजोए रखी कि पृथक राज्य बनने से उनकी कई समस्याएं दूर हो सकेंगी और उनकी जिन्दगी में जबर्दस्त बदलाव आ जाएगी। खासकर जनता ने यह उम्मीद रखी कि उनके नौजवान बच्चों को नौकरियां मिलेंगी; खेतों को पानी मिलेगा; और चूंकि आसीम प्राकृतिक संसाधनों से भरे इस अंचल अब उनके हाथ में है, इसलिए उनका उपयोग करते हुए जीवन स्तर को सुधारा जा सकेगा। उन्हें यह भी उम्मीद थी कि उनके बच्चे अब अपनी भाषा, यानी छत्तीसगढ़ी में पढ़ाई कर सकेंगे। साल-दर-साल दूर-दूर तक बाल-बच्चों समेत पलायन करने की मजबूर स्थिति भी अब दूर हो सकती है, यह भी खासकर गरीब व भूमिहीन किसानों की उम्मीदों में एक थी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि शासक वर्ग तो जनता को यह झूठा भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सभी उम्मीदें पूरी हो रही हैं या हो सकती हैं। अभी भी मुख्यमंत्री अजीत जोगी व उसके मंत्रीमण्डल के सदस्य झूठी घोषणाएं कर रहे हैं कि उनकी सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी उतर रही है। अब तक हासिल की गई प्रगति के आंकड़े पेश करते हुए वे यह जताने की कोशिश कर रहे हैं कि सभी क्षेत्रों में पिछड़े हुए एक राज्य का विकास होना है तो तीन साल काफी नहीं हैं और ज्यादा साल लग सकते हैं। हालांकि यह बात सही है कि तीन सालों में एक राज्य का समग्र विकास नहीं हो सकता, लेकिन सरकार के आंकड़ों से

यह पता चलता है कि उसका रुख इस तरफ है। सरकार की प्रत्येक कार्यवाही से और प्रत्येक कदम से किन वर्गों का विकास हो रहा है? यह एक अहम सवाल है, जिस पर गौर करना जरूरी है।

जोगी सरकार का कहना है कि वह छत्तीसगढ़ को एक आदर्श प्रदेश बनाने के लिए संकल्पबद्ध है और उसने किफायत के लिए 58 सरकारी विभागों को घटाकर 18 कर दिया है। किफायत के नाम पर उसने 30 सरकारी निगमों को रद्द कर दिया। 60 हजार करोड़ की पूंजी से उद्योग खोलने और कई अन्य लघु व कुटीर उद्योगों को दोबारा शुरू करने की बात कर रही है। 6 हजार किलोमीटर की नई सड़कों के निर्माण का दावा भी कर रही है। 10 लाख एकड़ जमीनों को

सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने का झूठा दावा भी कर रही है। सरकार का यह भी कहना है कि फिलहाल प्रदेश में 4 बड़ी, 7 मध्यम और 37 छोटी सिंचाई परियोजनाओं का काम जारी है। 7 हजार गांवों में 'गांव-गंगा' की योजना के तहत सुरक्षित पीने के पानी की सुविधा बनाने का दावा भी कर रही है। राज्य में 33 हजार स्व-सहायता समूहों का गठन हुआ है और इनमें शामिल महिलाएं अपनी शक्ति पर निर्भर होकर आगे

बढ़ रही हैं। कई चिकित्सा महाविद्यालयों, दन्त चिकित्सा महाविद्यालयों, आइटीआइ, कृषि विश्वविद्यालय आदि खोलने की बात भी कर रही है। इसके अलावा जोगी ने जनता के सामने 'विज़न 2010' दस्तावेज भी पेश किया। वह ताल-ठोंककर कह रहा है कि उसे फिर से सत्ता पर काबिज होने दिया जाए तो छत्तीसगढ़ को 2010 तक देश के सबसे तेजी से विकास करने वाले प्रदेशों में शामिल कर देगा। इस तरह वह जनता के सामने सब्ज-बाग पेश कर रहा है।

छत्तीसगढ़ प्रदेश में स्थापित नए निजी विद्यालयों और

... लेकिन अब इनके धोखाधड़ी के सिलसिले को खत्म करने का वक्त आ गया है। चाहे जो पार्टी, जो झण्डा, जो रंग वाले भी वोट मांगते हैं तो उनका विरोध करें। उनकी जन विरोधी कार्यवाहियों का पर्दाफाश करें - उन्हें मार भगाएं! ...



पृथक बस्तर राज्य के लिए महिलाएं जुट गई संघर्ष में

महाविद्यालयों में किन वर्गों के बच्चे पढ़ाई कर पा रहे हैं? नए प्रदेश में स्थापित निजी उद्योगों में कितने हजार बेरोजगारों को रोजगार के अवसर मिल पा रहे हैं? करोड़ों रुपए की पूंजी से और विदेशी तकनीक से निर्मित किए जा रहे नगरनार इस्पात संयंत्र में क्यों 300 से ज्यादा लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं? नए राज्य के गठन के तुरन्त बाद किसानों की पुरजोर मांग को ठुकराते हुए और उनके मुंह में मिट्टी झोंकते हुए गंगरेल प्राजेक्ट का पानी भिलाई इस्पात संयंत्र को देकर जोगी सरकार ने किसका उद्धार किया? फसलों को समर्थन मूल्य के अभाव में कर्जों तले दबकर कई किसानों ने आत्महत्या की शरण ली है तो इस शासन में किन लोगों के हित पूरे हो गए? राज्य परिवहन निगम के निजीकरण के बाद सड़कों पर फेंक दिए गए कर्मचारियों, 'समान कार्य - समान वेतन' की मांग से आमरण अनशन पर बैठे शिक्षाकर्मियों, तत्कालीन मध्यप्रदेश शासन की कलम की एक घसीट से नौकरी गंवाकर आज भी दर-दर भटक रहे दैनिक वेतनभोगियों के अस्तित्व पर ही प्रश्नचिह्न लग चुका है। हर विभाग के कर्मचारी कई समस्याओं से दो-चार हैं। हर साल सूखे की मार झेलते हुए छत्तीसगढ़ के लाखों परिवार बाल-बच्चों समेत दूर-दूर तक पलायन कर ही रहे हैं। छत्तीसगढ़ में विशाल आदिवासी आबादी की मौजूदगी के बावजूद उन्हें जंगल पर कोई अधिकार नहीं है। उनके द्वारा इकट्ठी की गई वनोपजों को वाजिब दाम भी नहीं है। सरकार अपनी इस घोषणा के बावजूद भी कि प्रदेश के पांच आदिवासी कबीले - बैगा, बैरलार, कुमार, पहाड़ी कोरबा और अबूझमाड़िया - लुप्त होने के कगार पर हैं, उनके अस्तित्व को बचाने और उनकी प्रगति का कोई तात्कालिक या दूरगामी कदम नहीं उठा रही है। इन सभी से क्या संकेत मिल रहे हैं? 33 हजार स्व-सहायता समूहों में शामिल लाखों गरीब महिलाओं द्वारा पाई-पाई इकट्ठा करके बैंकों में जमा किए गए पैसों से किन पूंजीपतियों को फायदा हो रहा है? जबकि राज्य में सभी वर्गों और तबकों की जनता अपनी रोजमर्रा की समस्याओं से बेहद परेशान है, तो सरकार ने उनके लिए क्या किया? करोड़ों रुपए का जन-धन सरकार किन वर्गों के विकास के लिए खर्च रही है? इसका जवाब यह है कि प्रदेश की राजधानी रायपुर की शोभा बढ़ाने, सम्पन्न लोगों को सभी सुविधाएं मुहैया कराने, प्रदेश में तेज होते जा रहे जन संघर्षों और जनवादी विचारों को कुचलने तथा पहले से मौजूद 20 हजार सशस्त्र बलों को मजबूत बनाने के लिए ही छत्तीसगढ़ सरकार प्रतिबद्ध है। प्रदेश की जनता इन सभी बातों पर नजर रखी हुई है। इस छोटे अन्तराल में ही लोगों ने समझ लिया कि सरकार उनकी समस्याओं को हल करने में ध्यान देने की बजाए सम्पन्न व लुटेरे वर्गों के हितों व मुनाफों का पक्ष ले रही है। पृथक राज्य के गठन से जनता ने अपनी जिन्दगी सुधर जाने की जो उम्मीदें और जो तमन्नाएं बांध रखी थीं वो सब के सब झूठी साबित हुई। धोखाधड़ी, जुल्म, नाइंसाफी व दमन का शिकार हो चुके लगभग दो करोड़ छत्तीसगढ़वासियों के सामने सभी राजनीतिक पार्टियां झोली फैलाकर आ रही हैं क्योंकि इस नए-नवेले प्रदेश में पहली बार चुनाव होने वाला है। आइए, इन सभी पार्टियों को मार

भगाएं।

भारत में 26वें राज्य के तौर पर छत्तीसगढ़ के अस्तित्व में आने से भी जनता की किसी एक भी समस्या का हल नहीं हुआ। राजधानी में लम्पटीकरण बढ़ गया। छत्तीसगढ़ सरकार बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के स्वागत में लाल कालीन बिछाए हुई है। आदिवासी गांवों में तो लोग पीने के पानी तक के लिए मोहताज हैं। राज्य को कर्जों में डुबोकर विदेशी धन से चौड़ी सड़कें बिछाकर सरकार सम्पन्न वर्गों को ही फायदा पहुंचा रही है। पहले से मौजूद 32 हजार करोड़ के कर्ज के अलावा राज्य सरकार ने विश्व बैंक से 617 करोड़ रुपए की सहायता के लिए झोली फैला दी। अपार संसाधनों से भरे-पूरे छत्तीसगढ़ की जनता की गरीबी दूर करने के लिए सरकार को विश्व बैंक से कर्ज लाना पड़ रहा है! इससे यह साफ पता चलता है कि जनता को विकास के पथ पर आगे ले जाने के सरकारी दावे कितने खोखले हैं। राज्य में पुलिस बलों को बढ़ाकर जन संघर्षों को कुचला जा रहा है। राज्य के गठन के बाद से अब तक 100 से ज्यादा असली और झूठी मुठभेड़ों में हुई 10 से ज्यादा क्रान्तिकारियों की हत्याओं से सरकार के जन विरोधी चरित्र को समझा जा सकता है।

इस नए राज्य के लिए उपलब्ध भारी-भरकम धनराशियों में भ्रष्टाचार-घोटालों के कई मामले रोशनी में आए। रिश्वतखोरी बेहिसाब बढ़ गई। विशेष राज्य के गठन के बाद उन लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर गया जो यह सोच रहे थे कि उनकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। यह बात फिर एक बार साबित हो गई कि सिर्फ नए राज्य के गठन से मौजूदा व्यवस्था में समस्याओं का समाधान नहीं हो सकेगा। फिर भी हर पांच साल में आने वाले चुनाव के अवसर पर सभी किस्म की राजनीतिक पार्टियों के नेता जनता को यह आश्वासन देते ही रहते हैं कि वे लोगों की समस्याओं को दूर करेंगे। हर चुनाव में वे जनता के साथ छलावा ही कर रहे हैं। लेकिन अब इनके धोखाधड़ी के सिलसिले को खत्म करने का वक्त आ गया है। चाहे जो पार्टी, जो झण्डा, जो रंग वाले भी वोट मांगते हैं तो उनका विरोध करें। उनकी जन विरोधी कार्यवाहियों का पर्दाफाश करें - उन्हें मार भगाएं।

पिछले 23 सालों से छत्तीसगढ़ प्रदेश के विशाल इलाकों में क्रान्तिकारी किसान आन्दोलन चल रहा है। बस्तर से लेकर सरगुजा तक हजारों किसान संगठित होकर जनयुद्ध की राह पर चल रहे हैं। वे सब झूठे संसदीय व विधानसभा चुनावों का बहिष्कार करते आ रहे हैं। ग्रामीण अंचलों में मजदूर-किसानों की एकता के आधार पर राजसत्ता कायम करने के लिए जुझारू रूप से लड़ रहे हैं। जनता अपने-अपने गांवों में क्रान्तिकारी जन परिषदों का गठन करके भ्रूण रूप में खुद की राजसत्ता चला रही है। यही जनता की असली जनवादी सरकार के अंग हैं। हम तमाम छत्तीसगढ़वासियों का आह्वान करते हैं कि वे इन्हें आदर्श मानते हुए, चुनाव का बहिष्कार करके जनता की वैकल्पिक राजसत्ता के अंगों की स्थापना के लिए कदम बढ़ाएं। इन अंगों के बचाव के लिए जरूरी जन छापामार सेना में हजारों की संख्या में शामिल हों। ☛

झूठे चुनाव का बहिष्कार करो!

निजीकरण की पटरियों पर छत्तीसगढ़ सरकार की दौड़

हमारे देश में एक दशक से ज्यादा समय से नई आर्थिक नीतियां लागू हो रही हैं। 1991 से अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) और विश्व बैंक के आदेशों व शर्तों पर इन नीतियों पर अमल किया जा रहा है। उदारीकरण, निजीकरण और भूमण्डलीकरण की नीतियों के तहत केन्द्र-राज्य सरकारें इन्हें लागू कर रही हैं। पूर्व में मुक्त बाजार के नाम पर साम्राज्यवादियों ने जिन नीतियों को लागू किया अब उन्हीं नीतियों को कड़े नियमों से भूमण्डलीकरण के नाम पर लागू किया जा रहा है। साम्राज्यवादी भूमण्डलीकरण का लक्ष्य यह है कि सीमाओं के दायरे में नहीं रहना और उत्पादकों को अपने उत्पादों को विश्व बाजार में कहीं भी बिना किसी संरक्षण की नीति से बेचने का मौका हो। निजीकरण से साम्राज्यवादियों का मतलब यह है कि सरकार सिर्फ कानून और व्यवस्था के मामलों को देख ले, बाकी सभी क्षेत्रों को निजी कंपनियों के हवाले कर दे। शिक्षा-चिकित्सा, कृषि विकास कार्यक्रम, उद्योग, अधारिक सुविधाओं का निर्माण आदि मामलों में सरकार की दखल न हो और उसे पूरी तरह निजी व्यक्तियों को सौंप दिया जाए, यह भी निजीकरण की नीति का हिस्सा है। जहां तक उदारीकरण का सवाल है, उद्योगों की स्थापना में, उत्पादों को तय करने में तथा मूल्यों का निर्धारण करने में सरकार पूरी उदारता बरतेगी। सरकारी लाइसेंसों के नाम पर अनावश्यक देरी हो रही है, अधिकारियों के रहमोकरम पर निर्भरता बढ़ रही है, आदि शिकायतें करते हुए साम्राज्यवादी इन नियमों को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। इस तरह साम्राज्यवादी अपने संकट के बोझ को खास तौर पर गरीब देशों पर लादने के लिए ही नई आर्थिक नीतियां लागू करवा रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप पहले से संकट में छटपटाती रही अर्थव्यवस्थाओं का और ज्यादा पतन हो गया। इसके बावजूद भी कई देशों की सरकारें पूरी वफादारी के साथ साम्राज्यवादी आर्थिक नीतियों को लागू करने में एक-दूसरे से होड़ लगा रही हैं। हमारे देश में पहले दस सालों में इन्हें पहले चरण के सुधारों के नाम पर अमल किया गया, जबकि पिछले चार सालों से दूसरे चरण के सुधारों के नाम से इन नीतियों को बड़ी तेजी से लागू किया जा रहा है। इन दोनों चरणों के सुधारों में कोई खास फर्क नहीं है। इस पृष्ठभूमि में छत्तीसगढ़ में अमल निजीकरण की नीतियों पर नजर डाली जाए।

नए राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ के उभर आने के कुछ ही महीनों में 'बाल्को' के निजीकरण का मामला सामने आया। यह भारत का अल्यूमिनियम बनाने वाला सुविख्यात उद्योग है। हजारों मजदूरों को रोजगार का अवसर देते हुए बड़े पैमाने पर मुनाफा कमा रही बाल्को को स्टेरलाइट नामक एक निजी दलाल कंपनी को बेहद सस्ते में, यानी कुल करीब 5,500 करोड़ रुपए की कंपनी को महज 551 करोड़ रुपए में बेच दिया गया। जोगी सरकार ने इसका विरोध किया और आन्दोलनरत मजदूरों का पक्ष लेकर केन्द्र सरकार को जमकर कोसा था। लेकिन आखिर में वह भी अपने स्वभाव के मुताबिक दलाल

पूंजीपतियों के पक्ष में शामिल हो गई। दरअसल हमारे देश में कांग्रेस सरकार ने ही 1991 में नई आर्थिक नीतियों को शुरू किया था। उसने आज तक कहीं भी और कभी भी इन नीतियों का विरोध नहीं किया। न कभी वह ऐसा करेगी भी। सत्ता की खींचातानी के चलते वह दिखावटी तौर पर निजीकरण के विरोध में चंद शब्द बोल सकती है, छत्तीसगढ़ में दो साल पूर्व बाल्को के निजीकरण के मामले में भी यही कुछ हुआ था।

जबसे छत्तीसगढ़ राज्य बना, तबसे नगरनार स्टील प्लान्ट जनता की एक जटिल समस्या बन गई। इस प्लान्ट को सबसे पहले हीरानार में स्थापित करने का इरादा था। लेकिन वहां की जनता ने जुझारू विरोध किया तो उसे नगरनार ले जाया गया। वहां भी स्थानीय जनता ने इस प्लान्ट का दृढ़तापूर्वक विरोध किया। देश के कई जनवादी लोगों, आदिवासियों के हितैषियों, पर्यावरणविदों, क्रान्तिकारी संगठनों और जनवादी संगठनों ने जनता का पक्ष लिया। लेकिन सरकार ने अपना अड़ियल रवैया नहीं छोड़ा। स्थानीय लोगों पर बेहद दमन चलाया गया। कई महिलाओं को यहां तक कि जच्चाओं को भी जेल में डाल दिया। इस प्लान्ट का विरोध करने वालों को जगदलपुर में कदम रखने का मौका ही नहीं दिया गया। क्रूर दमन के सहारे नगरनार में आधारशिला रखी गई। बस्तर के विकास के लिए औद्योगीकरण ही एक मात्र रास्ता बताते हुए, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए औद्योगीकरण ही एक मात्र रास्ता बताते हुए लुटेरे शासक वर्गों ने जन समुदायों को, खासकर युवाओं को गुमराह करने के प्रयास तेज किए हैं। इस प्रचार की आड़ में वे देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का स्वागत कर रहे हैं। इस प्रदेश का सफर किस दिशा में चल रहा है और इसकी प्रगति किस पर निर्भर है, यह समझने के लिए यह जानना काफी है कि पिछले तीन सालों में 65 करोड़ से ज्यादा विदेशी पूंजी दर्ज की गई है। नगरनार में जमीन गंवा चुके लोगों को पर्याप्त मुआवजा देने और नौकरियों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने का एनएमडीसी का आश्वासन एक साल के अन्दर ही झूठा साबित हो चुका है। महज 300 नौकरियों के लिए 3 लाख आवेदन (17 मार्च 2003) आ जाने से उसने यह घोषणा की कि किसी को कोई प्राथमिकता नहीं होगी। जमीनें गंवाने वालों को देय मुआवजा भी 50 प्रतिशत घटाने की घोषणा करके सरकार ने अपने जन विरोधी चरित्र को उजागर कर दिया।

छत्तीसगढ़ प्रदेश में अपार खनिज सम्पदाएं, विशाल जंगल और कई अन्य प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं। इनमें काफी बड़ा हिस्सा बस्तर का है। देश में अभी भी भारी शोषण का शिकार हो रहे इलाकों में ज्यादातर आदिवासी इलाके ही आते हैं जहां जंगल, पहाड़, आदि होते हैं और जहां कई प्रकार के प्राकृतिक संसाधन मौजूद होते हैं। बस्तर भी इससे मुक्त नहीं है। इसीलिए बस्तर को लूटने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार औद्योगिक विकास, पर्यटन विकास, आदि नीतियों के तहत आनन-फानन अधोसंरचना तैयार कर रही है

जो कि पूंजीपतियों के लिए आवश्यक हैं।

छत्तीसगढ़ के विकास में सड़क निर्माण को ही ज्यादा आहमीयत दी जा रही है। सैकड़ों किलोमीटर की नई सड़कें बिछाई जा रही हैं। अब तक छह हजार किलोमीटर लम्बी सड़कों के निर्माण का काम पूरा हो चुका है, जबकि सरकार का कहना है कि अभी तक उसके 'मास्टर प्लान' की शुरुआत ही नहीं हुई। आमतौर पर सड़कें दो जगहों पर बन रही हैं। एक, प्रदेश की राजधानी में जहां चौड़ी सड़कों से सुन्दर बनाने की कोशिशें चल रही हैं और दूसरा बस्तर में जहां से असीम सम्पदाओं को लूटने के लिए सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। रणनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो बस्तर में सड़कें इसलिए निर्मित की जा रही हैं ताकि यहां की सम्पदाओं का दोहन किया जा सके। लेकिन सरकार की फौरी जरूरत यह है कि यहां बढ़ रहे क्रान्तिकारी आन्दोलन का सफाया किया जाए। इस पृष्ठभूमि में करोड़ों का जन-धन बेकार खर्च करके बीआरओ के सहारे बन्दूकों के साये में सरकार सड़कें बनवा रही है। 7 जनवरी 2003 को घोषित 362 करोड़ के बस्तर पैकेज में भी आधा से ज्यादा सड़क निर्माण पर आवंटित किया गया। इसके पीछे उसका इरादा बस्तर को निर्बाध पूंजीपतियों को सभी जरूरी सुविधाएं मुहैया करवाना है ताकि वे बस्तर को निर्बाध लूट सकें।

दूसरी तरफ सरकार यह दुष्प्रचार कर रही है कि राज्य में नक्सली समस्या के चलते कई खदानें बंद पड़ी हुई हैं, इससे बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है। लेकिन वह इस सचाई पर परदा डाल रही है कि जो सरकार विश्व बैंक से कर्ज लाती है उसे उसकी शर्त के अनुसार सालाना 2 प्रतिशत नौकरियों को समाप्त करना ही होगा। पिछले 30 सालों से बस्तर के बीचोंबीच स्थित बैलाडीला खदानों से लौह अयस्क जापानी साम्राज्यवादियों को बेचते हुए सरकार रॉयल्टी के तौर पर करोड़ों की विदेशी मुद्रा अर्जित कर रही है। लेकिन इससे बस्तर की जनता का कोई उद्धार नहीं किया गया। ऊपर से इससे आर्थिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक तौर पर आदिवासियों का जीवन अस्तव्यस्त हो रहा है। दूसरी तरफ पिछले 30-35 सालों से रावघाट में लोहे की खदान खोलने की कोशिशें मुश्किलों के बावजूद जारी हैं। अभी तक दल्ली में मौजूद खदानों से बीएसपी (भिलाई स्टील प्लान्ट) को लोहे की आपूर्ति होती रही तो रावघाट में खदान न खुलने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अब चूंकि दल्ली में लोहा खत्म होने के कगार पर है, इसलिए रावघाट में खदान खोलने और रेल लाइन बिछाने की बात गंभीरता से सामने आ गई। एक अनुमान है कि यहां पर 42 हजार करोड़ टन का बेशकीमती लोहा मिलेगा। सरकार ने अब यहां से लोहा निकाल कर बीएसपी को भेजने की ठान ले रखी है। दूसरी ओर बीएसपी में हर साल मजदूरों को नौकरी से निकाल कर उसका निजीकरण करने की कोशिशें भी चल रही हैं। बीएसपी में एक समय करीब एक लाख मजदूर काम किया करते थे। लेकिन

अब उनकी संख्या 40 हजार तक घट चुकी है। उसके निजीकरण की प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है। इस कम्पनी को कच्चा माल पहुंचाने के लिए रावघाट में सेल (स्टील अंथारिटी ऑफ इंडिया) रावघाट में खदान खोदने का काम शुरू करेगी। इसके निजीकरण में भी कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा। सरकार रावघाट रेलवे लाइन का काम निजी ठेकेदारों को देकर जल्दी से काम पूरा करवाने का प्रयास कर रही है। सरकार के अलावा सभी लुटेरी राजनीतिक पार्टियां भी यह दुष्प्रचार जोरों से कर रही हैं कि इस रेलवे लाइन का निर्माण बस्तर के विकास की कुंजी है। वास्तव में खदानों, रेलवे लाइन और सड़कों के निर्माण से देश के दलाल पूंजीपतियों, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और बड़े ठेकेदारों को ही फायदा होगा। यही वजह है कि सरकार इन कामों को पूरा करने के लिए कहीं ज्यादा महत्व दे रही है।

उधर प्रदेश सरकार ने राज्य परिवहन निगम को बन्द कर दिया जो

40 सालों से चल रहा था। अजीत जोगी ने सारी बसों को बेच दिया जो कि आज तक देश के किसी भी दूसरे मुख्यमंत्री ने नहीं किया। निजी पूंजीपतियों की सेवा में तन-मन लगाकर काम करने वाले जोगी ने घाटे का बहाना बताकर इस करतूत को अंजाम दिया। इससे नौकरियां गंवाकर सड़कों पर फेंक दिए गए 2,734 परिवारों को उसने बजट

... इससे गरीब लोगों को निजी डॉक्टरों का दरवाजा खटखटाने पर विवश होना पड़ रहा है। चिकित्सा एक बड़ा व्यापार बन गया। डॉक्टर मरीजों की जान से खिलवाड़ करने वाले ठेकेदार बन रहे हैं। ...

से 15 करोड़ रुपए का आवन्तन करके हाथ झाड़ लिए। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) के तहत उन्हें तीन सालों में तीन किस्तों में पेंशन थमाने का फैसला हुआ। इससे राज्य के 117 मार्गों में 300 बसें चलाते हुए निजी ठेकेदार यात्रियों से मनमाने ढंग से किराया वसूल कर रहे हैं। एक नए राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ के उभरने से छत्तीसगढ़ी जनता को पहले से हासिल परिवहन सुविधा भी अब ज्यादा खर्चीली और गारन्टी रहित बन चुकी है। यह सब जोगी द्वारा जारी निजीकरण की प्रक्रिया का परिणाम है, इसे जनता अच्छी तरह जानती है।

जोगी का कहना है कि उसकी सरकार प्रदेश में 12,397 शिक्षण संस्थाओं को संचालित कर रही है। इस संख्या में उच्चा शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा की संस्थाएं शामिल नहीं हैं। इसमें एक-तिहाई संख्या आदिवासी आश्रमशालाओं की हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री वास्तविकता को छिपाकर गलत आंकड़े पेश करके जनता को गुमराह कर रहा है। जोगी ने निजीकरण के सिलसिले को शिक्षा के क्षेत्र में भी बराबर जारी रखा। उसने स्पष्ट किया कि सरकार राज्य में उच्च शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के संस्थानों को नहीं चलाने वाली है। कई आश्रमशालाओं को घटा दिया। बस्तर व दक्षिण बस्तर जिलों में 533 प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों को बन्द करके 156 आश्रमशालाएं खोल दीं। एक-एक आश्रमशाला में सिर्फ 100 छात्रों को ही रहने और पढ़ाई करने की व्यवस्था होगी। इससे सैकड़ों छात्रों को निजी

झूठे चुनाव का बहिष्कार करो!



धौड़ाई में बन्दूकों की परवाह किए बिना पृथक राज्य की मांग उठाई बस्तरवासियों ने

स्कूलों की ओर रुख करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। स्कूली शिक्षा को लेकर अनर्गल भाषणबाजी करने वाले जोगी के शासन में प्रदेश के 28 हजार शिक्षाकर्मियों को बराबर वेतन भी नहीं मिल रहा है। वे सभी अपनी जायज मांगों को लेकर आन्दोलन छेड़कर आमरण अनशन भी कर रहे हैं। इससे साफ मालूम होता है कि स्कूली शिक्षा को जोगी कितना महत्व देता है। कल के दिन इन सभी शिक्षाकर्मियों को निजीकरण के झटके से निकाल बाहर कर दिया जाए तो भी कोई आश्चर्य नहीं होगा।

प्रदेश में चिकित्सा-प्रणाली की स्थिति भी शिक्षा-प्रणाली से अलग नहीं है। राजधानी रायपुर से लेकर छोटे-छोटे कस्बों तक सर्व सुविधायुक्त निजी अस्पतालों को तवज्जो दी जा रही है। बस्तर ही इसका बड़ा उदाहरण कहा जा सकता है। बस्तर पैकेज के तहत जोगी ने घोषणा की कि 122 डॉक्टरों को नियुक्त किया जाएगा। लेकिन अब तक सिर्फ 65 डॉक्टरों को ही नियुक्त किया गया है। आज इलाज करवाना गरीब लोगों के लिए महंगा हो गया है। सरकारी अस्पतालों को या तो बन्द कर दिया गया या फिर उनका खस्ता हाल बन चुका है। इससे गरीब लोगों को निजी डॉक्टरों का दरवाजा खटखटाने पर विवश होना पड़ रहा है। चिकित्सा एक बड़ा व्यापार बन गया। डॉक्टर मरीजों की जान से खिलवाड़ करने वाले ठेकेदार बन रहे हैं। सरकार स्पष्ट कर रही है कि व्यापार उसका काम नहीं है।

आज-कल सरकारें पानी से भी व्यापार कर रही हैं। जोगी के शासन काल में शिवनाथ नदी को बेचने का मामला गरमाया। नदियों के पानी को बेचने से जनता को उस इलाके पर भी कोई अधिकार नहीं होगा। वे उस पानी को खेतों में नहीं ले जा सकते या मछली भी नहीं मार सकते। सभी जरूरतों के लिए पानी को ठेकेदारों से खरीदना पड़ेगा। इस प्रकार की धिनौनी सौदेबाजी से जनता क्रोधित हुई तो जोगी ने इसमें अपना हाथ होने से मना कर दिया। हालांकि यह सौदा अविभाजित मध्यप्रदेश सरकार ने किया था, लेकिन नए राज्य के गठन के बाद जोगी सरकार ने इसे जारी क्यों

रखा? इसका जवाब कोई भी समझ सकता है। शिवनाथ नदी के अलावा खारून, जोंक, शबरी, महानदी और केलो नदी के पानी को भी निजी कम्पनियों को बेच दिया गया। दरअसल पिछले साल जब गुजरात में संघ गिरोह द्वारा मुसलमानों का कल्लेआम किया जा रहा था, तब सरकार ने संसद में पानी को निजी सम्पत्ति मानने की नीति अपनाई। ये मामले हमें चेता रहे हैं कि दलाल पूंजीपतियों और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की सेवा में लगी हुई सरकारें और राजनीतिक पार्टियां व उनके नेतागण उनके फायदों और हितों के लिए चाहे जितनी निर्लज्ज हरकतें भी कर सकते हैं।

जब पानी ही बेच दिया तो बीज बेचने में हर्ज क्या है? छत्तीसगढ़ को 'धान का कटोरा' कहलाता है। छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के कोने-कोने से चुन-चुनकर इकट्ठी की गई धान की करीबन 20,000 नस्लें रायपुर

स्थित इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में मौजूद हैं। इन्हें संग्रहित करने का श्रेय देशभक्त वैज्ञानिक डॉ. रिछारिया को जाता है। इन नस्लों को छत्तीसगढ़ के किसानों ने अपनी मेहनत और लगन से विकसित किया है। इन किस्मों में हर मौसम हर परिस्थिति में उगने वाले - कम समय में, देर से, कम पैरा, ज्यादा पैरा, बाढ़, सूखा, दलदल, गहरे पानी, कीटरोधी - हर प्रकार के बीज शामिल हैं। इस अनमोल खजाने पर सिंजेन्टा की नजर पड़ चुकी है। सिंजेन्टा स्विट्ज़रलैंड की बहुराष्ट्रीय कम्पनी है जो 4 बदमाशशुदा कम्पनियों - सैन्डोज, सिबा-गेइगी, आस्ट्रा और जेनेरका - के विलय से बनी है। इस सिंजेन्टा कम्पनी को धान की कुछ विशेष प्रजातियों को बड़े गोपनीय ढंग से अनुसंधान के नाम पर भेंट करने की तैयारियां पूरी कर ली गई थीं। इनका इस्तेमाल करके सिन्जेन्टा धान की नई हाइब्रिड प्रजातियां विकसित करेगी और विश्व बाजार में बेचेगी। बिक्री से होने वाली आय का कुछ हिस्सा कृषि विश्वविद्यालय को मिलेगा। कुछ फण्ड भी दिया जाना था। नई हाइब्रिड बीज पर पेटन्ट अधिकार सिंजेन्टा को होगा। आपसी समझौता-पत्र भी तैयार हुआ था। हस्ताक्षर करना बाकी था। लेकिन डॉक्टर रिछारिया द्वारा स्थापित देशभक्ति की परम्परा को आगे बढ़ाते हुए कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने इस साजिश का पर्दाफाश किया और अपना विरोध दर्ज किया।

इसके बाद अनेक बुद्धिजीवियों और जन संगठनों ने जोरदार विरोध किया। वह सब देखकर सिंजेन्टा और कृषि विश्वविद्यालय ने अपना कदम पीछे ले लिया। जोगी सरकार ने इस मामले पर 'जानकारी न होने' की बात की। एक तरफ इस प्रकरण से हुई शर्मिंदगी से अपनी नाक बचाने की कोशिश करते हुए ही जोगी ने छत्तीसगढ़ के बुद्धिजीवियों को अपने 'संकुचित' दायरे से बाहर आने और दुनिया को देखने की हिदायत दी। मुख्यमंत्री का आशय यह है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के बगैर किसी की भलाई नहीं हो सकती। जनता के विरोध के चलते यह साजिश फिलहाल विफल हुई, लेकिन सिंजेन्टा की घुसपैठ का खतरा पूरी तरह नहीं टला। इसका

ताजा उदाहरण है कवर्धा जिले में सिंजेन्टा का प्रवेश। अजीत जोगी कृषि-प्रधान छत्तीसगढ़ को बहुराष्ट्रीय कृषि कम्पनियों की चरागाह में बदलने पर तुले हुए हैं।

छत्तीसगढ़ में मौजूद अनमोल खनिज संसाधनों से सरकार को काफी आय हो रही है। लेकिन सरकार अब इसे 1,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाने की सोच रही है। इसके लिए वह अब आनन-फानन राज्य के सभी खनिज भण्डारों को निजी कम्पनियों को सौंप रही है। इसके तहत फिलहाल सरकार ने कांकेर जिले के चारगांव में लोहा की खदान खोली। राज्य में मुख्य तौर पर कोयला, चूनापत्थर, लोहा, डोलामाइट, बॉक्साइट, टीन आदि कई अनमोल खनिजों के विशाल भण्डार मौजूद हैं। इन्हें बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हवाले करने की तैयारियां हो रही हैं।

सरकारी अधिकारियों और राजनीतिज्ञों के भ्रष्टाचार का एक ताजातरीन मामला 'हंसदेव बांगो तट-नहर परियोजना' अभी-अभी प्रकाश में जंगलों पर विश्व बैंक की गिद्ध-दृष्टि लगी हुई है। सभी राज्यों के जंगलों पर अपनी पकड़ बनाने के लिए विश्व बैंक अलग-अलग राज्य सरकारों को हजारों करोड़ों के कर्ज दे रहा है। देश में मध्यप्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसके काफी विस्तार में जंगल मौजूद हैं। इन जंगलों में आदिवासी बड़ी संख्या में बसे हुए हैं। जब अविभाजित राज्य था तब सरकार ने विश्व बैंक से 1,000 करोड़ का कर्ज लिया था। जंगलों के निर्वहण में जनता की भागीदारी के नाम पर सभी राज्यों की तरह यहां भी वन संरक्षण समितियों का गठन किया गया। इनके काम की खूब तारीफ की गई थी। लेकिन बाद में जंगलों के निर्वहण में इनकी विफलता पर नाराजगी जाहिर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने देश के लाखों आदिवासियों को वन भूमि से बेदखल करने का फैसला सुनाया क्योंकि उसका मानना है कि उन्होंने बड़े पैमाने पर जंगलों पर कब्जा कर रखा है। इससे सभी राज्य सरकारें आदिवासियों को वन भूमि से हटाने की प्रक्रिया में जुट गईं। देश के जंगलों को साम्राज्यवादी शुरू से ही लूटते आ रहे हैं। पहले अंग्रेजी साम्राज्यवादियों ने वन सम्पदा को लूटा था तो अब साम्राज्यवादी विश्व बैंक की नई योजनाओं की आड़ में लूट कर ले जाने की कोशिश में हैं। इस तरह छत्तीसगढ़ के जंगलों पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का शिकंजा कसता जा रहा है, अतः इससे जनता को सावधान होना है।

इस तरह राज्य में सभी क्षेत्रों का निजीकरण हो रहा है। यहां तक कि लोगों के जन्म और मृत्यु के दस्तावेज बनाने का जिम्मेदाराना काम भी सरकार ने निजी लोगों को सौंप दिया है। अब लोगों को जन्म और मृत्यु को दर्ज करवाने के लिए भी इन्हें पैसे देने पड़ेंगे, वरना जन्म और मृत्यु को मान्यता नहीं मिलेगी। जनता को यह समझने में कोई मुश्किल नहीं होगी कि यह कितना जन-विरोधी कदम है।

देश की सभी राज्य सरकारें और केन्द्र सरकार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा संगठनों से कर्ज लाने में एक-दूसरे से होड़ लगाए हुए हैं। पहले तो सिर्फ केन्द्र सरकार ही इस तरह का कदम उठाया करती थी। लेकिन फिलहाल राज्य सरकारें भी सीधे तौर पर कर्ज लाने के लिए उतावली

हो रही हैं। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा संस्थाएं भी केन्द्र सरकार की मध्यस्थता के बिना भी राज्यों को सीधे तौर पर कर्ज दे रही हैं। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि वे प्राकृतिक संपदाओं से भरपूर राज्यों को अपनी मुट्ठी में रखने के लिए बेताब हैं ताकि लगातार बढ़ रहे संकट की तीव्रता से छुटकारा पाया जा सके। राज्य सरकारें इन संस्थाओं के अलावा अनिवासी भारतीयों को लुभाने के लिए भी कई पापड़ बेल रही हैं। उनसे बड़े पैमाने पर पूंजीनिवेश करवाने के लिए उन्हें कई प्रकार की रियायतें दी जा रही हैं। कर्जों में कटौती, माफी, सस्ते कच्चा माल की आपूर्ति, उनकी इच्छानुसार जगह उनके मन-माफिक दाम पर देना, आधोसंरचना का निर्माण, कानूनों में उनकी मर्जी के मुताबिक संशोधन, आदि अनेक रियायतें दी जा रही हैं। इस सिलसिले में मुख्यमंत्री और मंत्रीगण बार-बार विदेशों में दौरे कर रहे हैं। इसमें छत्तीसगढ़ भी पीछे नहीं है। निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन - ईपीजेड) निर्मित करके बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को सस्ते में सौंप दिया जा रहा है। इस प्रकार सभी राज्य सरकारें उदारीकरण, निजीकरण और भूमण्डलीकरण की नीतियों के तहत देश और राज्यों की सम्पदाओं को साम्राज्यवादियों द्वारा लुटा रही हैं।

सरकारों द्वारा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के देश में घुसने की पूरी छूट दी जाने से वे मनमाने मुनाफे कमाने के चक्कर में जनता के जीवन से खिलवाड़ कर रही हैं। वे नकली बीज बेच कर किसानों के साथ विश्वासघात कर रही हैं जिससे त्रस्त होकर किसान मौत को गले लगा रहे हैं। वे बाजार में जो कीटनाशक बेच रही हैं उससे खेतों में कीड़े नहीं मर रहे हैं, जिससे किसानों की फसलें चौपट हो रही हैं। यही कीटनाशक किसानों की मौत का कारण बन रहे हैं। अभी-अभी कोका कोला और पेप्सी के मामले सामने आ गए। इनमें खतरनाक कीटनाशकों को मिलाने से जनता के स्वास्थ्य को नुकसान हो रहा है। इन लुटेरी कम्पनियों के हमारे देश में प्रवेश से स्थानीय बाजार काफी प्रभावित हो रहा है। इनसे मुकाबला न कर पाने के कारण देशी कम्पनियां बन्द हो रही हैं। इस तरह, हर दृष्टि से नुकसान पहुंचा रही इस तरह की कम्पनियों को वापिस भेजने के लिए जनता को आन्दोलन करना होगा। इन कम्पनियों को इजाजत दे रही सरकारों को सबक सिखाना होगा।

चुनाव के समय वोट बटोरने के लिए आने वाली सभी राजनीतिक पार्टियां बड़े पूंजीपतियों, बड़े जमींदारों और साम्राज्यवादियों का हितपोषण करने वाली ही हैं। इनमें कोई भी पार्टी सत्ता में आए तो इन सभी सामाजिक विषमताओं को झेलना ही पड़ेगा। मुनाफों के लिए उनकी भाग-दौड़ में हमारी जिन्दगी और बर्बाद होती जाएगी। इसलिए हमें चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए। इन लुटेरी पार्टियों और उनके नेताओं को सबक सिखा देना चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य में पिछले 20 से ज्यादा सालों से जारी जनयुद्ध में अधिक से अधिक लोगों को भागीदार बनना चाहिए। यही सही रास्ता है -- यही एक मात्र रास्ता भी है। इसी रास्ते पर चलकर सामन्तवाद, दलाल पूंजीवाद और साम्राज्यवाद को दफना सकते हैं। ☺

बस्तर छत्तीसगढ़ का हिस्सा नहीं ! छत्तीसगढ़ में बस्तर के विलय को जनता की मंजूरी नहीं !!

1 नवम्बर 2000 को मध्यप्रदेश से अलग होकर पृथक छत्तीसगढ़ राज्य का उदय हुआ। इससे छत्तीसगढ़ी जनता काफी खुश हुई क्योंकि पृथक राज्य हासिल करने की उनकी काफी पुरानी तमन्ना जो पूरी हो रही थी। लेकिन बस्तर की जनता ने पृथक बस्तर राज्य की मांग से अपना आन्दोलन तेज किया ताकि वे अपने जंगलों, जमीनों, खदानों आदि अनमोल सम्पदाओं पर अपना अधिकार कायम कर सकें तथा इसके जरिए अपने चौमुखी विकास कर सकें। लेकिन शासक वर्गों ने जनता की इस आकांक्षा के खिलाफ चलकर बस्तर को जबरन और एकतरफा ढंग से छत्तीसगढ़ में शामिल कर लिया। बस्तर की जनता इस जबरिया विलय के खिलाफ छत्तीसगढ़ प्रदेश के गठन के मौके पर भी और बाद में भी जुलूसों, रैलियों आदि के द्वारा अपना विरोध प्रदर्शित करते आ रही है। इन तीन सालों में, 1 नवम्बर को पृथक बस्तर राज्य की मांग के समर्थन में लगातार बन्द का आयोजन किया गया। इस संघर्ष के तहत सभी तबकों के हजारों लोगों ने विरोध-प्रदर्शन, बन्द, आदि के आयोजन में भाग लिया। खास बात यह है कि इनमें महिलाओं की काफी बड़ी संख्या शामिल है।

सरकार जनता के विरोध-प्रदर्शनों और जुलूसों पर लगातार दमनचक्र चला रही है। पृथक बस्तर के लिए आन्दोलनरत लोगों की आकांक्षाओं को दबाने की हर सम्भव कोशिश कर रही है। सरकार द्वारा जारी दमन और जुल्म के सिलसिले के बीचोंबीच भी बस्तर की जनता अपनी मांग को लेकर पुलिस बलों के साथ जूझते हुए आन्दोलन जारी रखे हुए है। आए दिन पृथक बस्तर राज्य की मांग को ज्यादा से ज्यादा लोगों का समर्थन मिल रहा है।

इसके बावजूद भी शासक वर्ग बस्तर जनता की इस जायज मांग के प्रति और उनके संघर्षों के प्रति अपना विरोधपूर्ण रवैया जारी रखे हुए हैं। बस्तर में मौजूद असीम वन व खनिज सम्पदाओं पर लुटेरे शासकों की नजर पहले से ही है। विशाल बस्तर के जंगलों से मिलने वाली वनोपजों, अनमोल लकड़ी व खनिजों को हथियाने के लिए उन्होंने एक सोची-समझी साजिश रची। उन्होंने बस्तर की जनता को झूठा भरोसा दिलाया कि छत्तीसगढ़ के अंतर्गत ही बस्तर का विकास हो सकता है। उन्होंने ऐसे कई वायदे भी किए कि बस्तर की सम्पदाओं पर बस्तरवासियों का अधिकार होगा और विशेष पैकेज भी घोषित किए जाएंगे। उनकी मंशा यह थी कि बस्तर में मौजूद अपार सम्पदाओं को लूटकर सरकारी खजाने को भरा जाए। यही वजह है कि उन्होंने किसी भी कीमत पर बस्तर को छत्तीसगढ़ में मिलाने का फैसला किया। उनका यह भी कहना है कि बस्तर के बिना छत्तीसगढ़ कैसे।

छत्तीसगढ़ के गठन के बाद भी बस्तर की जनता के साथ सरकार द्वारा धोखाधड़ी का सिलसिला जारी ही रहा। उन पर शोषण और उत्पीड़न पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गए। अब यह साफ हो चुका है कि

शासक वर्गों का यह प्रचार महज ढोंग है कि मध्यप्रदेश के मुकाबले पृथक छत्तीसगढ़ में बस्तर का ज्यादा विकास सम्भव होगा। इन तीन सालों के शासन में हजारों करोड़ों रुपए की सम्पदाओं का दोहन किया गया। दलाल पूंजीपतियों और साम्राज्यवादियों की कम्पनियां बस्तर की असीम सम्पदाओं को लूटने में मशगूल हैं। ये बस्तर में बढ़ रहे क्रान्तिकारी आन्दोलन और जनता में बढ़ रही चेतना को मद्देनजर रखते हुए, जितना जल्द हो सके बस्तर की सम्पदाओं को लूट लेना चाहते हैं। बस्तर से लूटी जा रही सम्पदाओं का एक प्रतिशत भी बस्तर के विकास पर खर्च नहीं कर रहे हैं। सामंती, दलाल पूंजीवादी व साम्राज्यवादी शोषण के चलते बस्तर की जनता भीषण गरीबी में, बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जीने को मजबूर है।

छोटे राज्य के गठन से प्रशासनिक रूप से सुविधा की बजाए, यह बस्तर के लिए तो ज्यादा लूट-पाट का जरिया ही बन गया। बस्तर जनता की बुनियादी समस्याओं को तो दूर, न्यूनतम समस्याओं को भी हल नहीं किया गया। बस्तर में सूखा, बेरोजगारी आदि समस्याओं ने गंभीर रूप धारण कर लिया। यहां की मुख्य समस्याओं में से एक सिंचाई व्यवस्था में कोई प्रगति नहीं हुई। शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी न्यूनतम जरूरतें भी इन तीन सालों में पूरी नहीं हुई। राज्य के गठन के बावजूद पहले की स्थिति में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। मंत्रियों और विधायकों के झूठे विकास के प्रचार को छोड़ कर व्यावहारिक तौर पर कोई विकास नहीं हुआ। सरकार द्वारा घोषित विकास योजनाओं, करोड़ों रुपए की भारी-भरकम परियोजनाओं और सरकार के तमाम झूठे सुधार कार्यक्रमों से व्यवहार में राजनीतिक नेताओं, मंत्रियों, अधिकारियों और ठेकेदारों ने ही फायदा उठाया। बस्तर की आम जनता का कोई विकास नहीं हुआ। बस्तर की कुल 28 लाख आबादी का 90 प्रतिशत आज भी रोटी, कपड़ा, मकान आदि बुनियादी समस्याओं से दो-चार है। छात्रों, कर्मचारियों, मजदूरों और महिलाओं की समस्याओं में कोई कमी नहीं आई है। नौकरी, वेतन, सुरक्षा आदि उनकी मुख्य समस्याएं अभी भी अनसुलझी ही हैं। शिक्षाकर्मियों की समस्या दिनोंदिन गंभीर रूप लेती जा रही है। किसानों की समर्थन मूल्य, बैंकों से कर्ज, बीज, कीटनाशकों आदि समस्याएं बढ़ रही हैं। एक शब्द में कहा जाए तो कांग्रेसी शासन के इन तीन सालों में बस्तर की जनता की किसी एक भी समस्या का हल नहीं हुआ, बल्कि समस्याएं बढ़ गई हैं।

सरकार ने बस्तर को विशेष अधिकार, विशेष आवंटन, वनोपजों और खनिजों पर बस्तर की जनता को अधिकार आदि जो वादे किए, वे बस्तर की जनता को भरमाने की कोशिश का ही हिस्सा थे। सरकार द्वारा अमल जन-विरोधी कार्यवाहियों से बस्तर की जनता का अस्तित्व ही खतरे में पड़ रहा है। बहु-प्रचारित ग्राम पंचायत

झूठे चुनाव का बहिष्कार करो !



पृथक बस्तर नहीं तो वोट भी नहीं - बस्तरवासियों का नारा

व्यवस्था भ्रष्ट हो चुकी है। वन-धन समितियां सरकार की पिट्टू संस्थाओं में बदल गईं। बस्तर में लौह अयस्क, बॉक्साइट, कोरण्डम, आदि बेशकीमती खनिज सम्पदाओं को साम्राज्यवादियों के हवाले कर देने की प्रक्रिया तेजी से जारी है। इसके अलावा जोगी सरकार बस्तर में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा दे रही है। नगरनार जनता की इच्छा के विरुद्ध वहां इस्पात संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। रावघाट रेल लाइन को बेरोजगारी की समस्या के समाधान के तौर पर पेश किया जा रहा है। दरअसल सरकार के इन सभी कदमों से बस्तर के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन में शासक वर्गों और साम्राज्यवादियों का हमला रोज-रोज बढ़ रहा है।

इस पृष्ठभूमि में छत्तीसगढ़ प्रदेश में पहली बार विधानसभा चुनाव सामने आ गए। राजनीतिक पार्टियों के नेतागण फिर एक बार बस्तर के विकास की रट लगाते हुए बस्तर जनता के सामने आ रहे हैं। झूठे वायदों के जरिए जनता को धोखा देकर सत्ता हथियाने के लिए जी-तोड़ कोशिश कर रहे हैं। सरकार भी अपने प्रशासनिक ढांचे का इस्तेमाल कर कई घोषणाओं से जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है। लेकिन बस्तर की जनता को इन राजनीतिक पार्टियों के झूठे और लुभावने प्रचार से धोखा नहीं खाना चाहिए।

पृथक बस्तर राज्य की मांग को एसएएफ और सीआरपीएफ बलों का इस्तेमाल करके दबाने के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। जनता के सभी जनवादी अधिकारों को क्रूरतापूर्वक दबाया जा रहा है। जनता पर जारी इस दमनचक्र के लिए जिम्मेदार शोषक वर्गों की पार्टियां अब चुनाव के नाम से जनता के सामने आ रही हैं। इसलिए बस्तर की जनता को अपनी मांग पूरी होने तक चुनावों का दृढ़तापूर्वक बहिष्कार करना चाहिए। वोट मांगने के लिए आने वाले नेताओं को कड़ा सबक सिखा देना चाहिए। उनकी लुटेरी अवसरवादी राजनीति

का पर्दाफाश करना चाहिए। पृथक बस्तर राज्य की मांग का विरोध करने वाले नेताओं को मार भगाना चाहिए। बस्तर की जनता के साथ गद्दारी करके छत्तीसगढ़ में बस्तर को मिलाकर सत्ता में भागीदार बने तथाकथित बस्तरिया नेताओं को हमें अपने गांवों में कदम तक नहीं रखने देना चाहिए। जन प्रतिरोध से सरकारी बलों का मुकाबला करना चाहिए। हमारी मांग लड़कर हासिल करनी चाहिए।

शासक वर्गों का यह कहना कि छत्तीसगढ़ और बस्तर के बीच राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व भाषा सम्बन्धी विषयों में एकरूपता है, अवास्तविक है। बस्तर को छत्तीसगढ़ का हिस्सा कहना इतिहास का गलत चित्रण ही होगा; जनता के वीरतापूर्ण संघर्षों और कुरबानियों से भरे इतिहास को

झुठलाना ही होगा। इतिहास में बस्तर छत्तीसगढ़ का हिस्सा कभी नहीं रहा। बस्तर की जनता अपनी अलग सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों में विकसित हो रही है जो कि छत्तीसगढ़ी जनता से भिन्न है।

बस्तर में अपार सम्पदाएं, समृद्ध आर्थिक संसाधन, विशेष भू-भाग, विशेष जन समुदाय और विशेष संस्कृति है। यह एक ऐसा इलाका है जो एक पृथक राज्य के तौर पर अपने अस्तित्व को बनाए रख सकता था। मणिपुर, त्रिपुरा, गोआ जैसे छोटे राज्यों से किसी भी मायने में यह पीछे नहीं रहेगा। एक राज्य के रूप में बने रहने के लिए हर आवश्यक चीज मौजूद है यहां। इसलिए पृथक बस्तर राज्य की मांग से बस्तर जनता के चौमुखी विकास का रास्ता बन सकता है। इससे बस्तर जनता को अपनी सम्पदाओं पर अधिकार होगा। यह मांग जायज है और व्यावहारिक भी है।

उक्त मांग हासिल करने के लिए बस्तर की विशाल जनता को एक साझे मंच के तहत गोलबन्द होना चाहिए। समूचे बस्तर में पृथक बस्तर की मांग को प्रचारित करना चाहिए। इस मांग पर एकजुट हो सकने वाली तमाम ताकतों को मिला लेना चाहिए। बस्तर के मजदूर-किसानों, छात्र-बुद्धिजीवियों और कर्मचारियों को गोलबन्द करके एक व्यापक आधार पर विशेष राज्य के लिए संघर्ष को आगे बढ़ाना चाहिए। इस मौके पर राजनीतिक नेताओं की धोखेबाजी का शिकार न बनते हुए अपनी स्वतंत्रता की तमन्ना को और संघर्षमय विरासत को बनाए रखना चाहिए। इस सिलसिले में एसएएफ, सीआरपीएफ आदि पाशविक सरकारी बलों द्वारा चलाए जाने वाले दमनचक्र के खिलाफ जन प्रतिरोध तेज करना चाहिए। शासक वर्गों की साजिशों को हराकर लम्बे अरसे से जारी बस्तर जनता की कामनाओं को पूरा करते हुए पृथक बस्तर को हासिल कर लेंगे। ☪

झूठे चुनाव का बहिष्कार करो!

जन संघर्षों पर छत्तीसगढ़ सरकार का दमनचक्र

जनता ने छत्तीसगढ़ के गठन से अपनी कई समस्याओं के हल होने की उम्मीद की थी। खासतौर पर युवाओं की यह आशा थी कि बेरोजगारी की समस्या खत्म हो जाएगी। जनता ने सोचा था कि छत्तीसगढ़ राज्य अपने समृद्ध संसाधनों का उपयोग कर विकास की राह पर आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन तीन साल गुजरने से पहले ही जनता अपने अनुभव से समझने लगी है कि उसकी उम्मीदें और कल्पनाएं झूठी थीं। जनता को यह भी मालूम हो गया कि खुद को आदिवासी बताने वाला छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री अजीत जोगी जनता की एक भी समस्या को हल नहीं करेगा।

अविभाजित मध्यप्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई नई आर्थिक नीतियों ने नए राज्य के गठन के बाद तेजी पकड़ ली। इन तीन सालों में राज्य सरकार ने बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के साथ कई समझौते किए। दिल्ली राजहरा, कुवेमारी और बैलाडीला की खदानों का निजीकरण करने की कोशिश कर रही है। विशाखा टनेल प्राजेक्ट का निर्माण करने की कोशिश भी चल रही है और इसके बदले आदिवासियों को उनकी जमीनों से बेदखल करने और पर्यावरण को क्षति पहुंचाने के लिए भी सरकार तैयार है। पर्यटन के विकास को बढ़ावा देते हुए वेश्यावृत्ति को बढ़ावा दे रही है। जन कल्याण के कार्यक्रमों से सरकार अपना हाथ खींच रही है। उद्योगों, नदी के पानी (शिवनाथ) और सड़कों का निजीकरण किया गया है।

इसके परिणामस्वरूप बाल्को, भिलाई, एसयूसीएल, रापनि आदि के हजारों मजदूर बेघरबंद हो गए। जनता को पानी भी खरीदना पड़ रहा है। नया राज्य निजीकरण की नीतियों पर चल रहा है। यहां के खनिज व प्राकृतिक सम्पदाओं को साम्राज्यवादियों के हवाले कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य लगातार तीन सालों से अकाल की मार झेल रहा है। 'धान का कटोरा' कहलाने वाले इस राज्य के लाखों किसानों को हर साल पलायन करना पड़ रहा है। बढ़ती महंगाई के चलते अपनी जरूरतों को पूरा करने में और अपनी फसलों को सही दाम पाने में असमर्थ किसान काफी मुश्किलें झेल रहे हैं। ऐसी स्थिति में, जनता की एक भी समस्या को हल करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाने वाली कांग्रेस, भाजपा आदि शासक वर्ग पार्टियों ने आगामी चुनाव जीतने के लिए एक-दूसरे से होड़ लगा रखी है।

भूमण्डलीकरण के तहत हमारे आन्दोलन के इलाकों में भी नई आर्थिक नीतियां बड़ी तेजी से लागू की जा रही हैं। दरअसल आज देश के सभी आदिवासी इलाकों को इसका हमला झेलना पड़ रहा है। असीम संसाधनों से समृद्ध कई आदिवासी क्षेत्र साम्राज्यवादियों और दलाल नौकरशाही पूंजीपतियों का लक्ष्य बन चुके हैं। यहां के जल संसाधनों, भू-गर्भ संपदाओं और वन सम्पदाओं को लूटने के इरादे से वे सरकारों से कई समझौते कर रहे हैं। पूंजी लगा रहे हैं।

दूसरी ओर, सुन्दर प्राकृतिक दृश्यों और परम्परागत कला व शिल्प को और आकर्षक बनाकर, आदिवासी बस्तियों को उजाड़ते हुए राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य प्राणी संरक्षण केन्द्रों का निर्माण किया जा रहा है। ताकि पर्यटकों को लुभाया जा सके। पर्यटकों के डॉलरों के एवज में जनता की जिन्दगी की बलि चढ़ाई जा रही है। सरकार पर्यटन को विकसित करके डॉलर कमाने के सपने देख रही है, लेकिन उसे उससे उत्पन्न होने वाले दुष्परिणामों की रती भर चिन्ता भी नहीं है। इससे जनता का विस्थापन, वेश्यालयों के खोले जाने और तेजी से फैल रही साम्राज्यवादी संस्कृति के चलते जन संस्कृति का विनाश जैसी कई समस्याएं सामने आएंगी। सरकार साम्राज्यवादियों के हित में बुनियादी सुविधाओं का निर्माण कर रही है। राज्य को कर्जों में डुबोकर विकास योजनाओं के नाम पर प्रचारित कर रही है। इन सभी के परिणामस्वरूप स्थानीय जनता का जीवन दिन-प्रतिदिन बद से बदतर हो रहा है। उनकी जीवन-शैली को बाजार प्रभावित कर रहा है। उनके सांस्कृतिक जीवन पर घोर हमला हो रहा है। भूमण्डलीकरण के तहत तेज हो रही नई आर्थिक नीतियों के दुष्परिणाम ये हैं। दूसरी ओर, आदिवासी जनता का धर्म परिवर्तन करने में हिन्दू फासीवादी और ईसाई धर्म एक-दूसरे से होड़ लगाए हुए हैं। जन आन्दोलनों पर अमल राजकीय हिंसा की आड़ में ये धार्मिक

संगठन आदिवासियों को अपने-अपने धर्मों में लुभाने की साजिश कर रहे हैं।

छत्तीसगढ़ की जनता कई समस्याओं से दो-चार है, यह हमने ऊपर देखा है। दण्डकारण्य में सभी वर्गों की जनता अपनी बुनियादी समस्याओं के हल के लिए पीपुल्सवार पार्टी के नेतृत्व में संघर्ष कर रही है। अन्य इलाकों में भी कई संघर्ष जारी हैं। आइए, अब यह देखें कि पिछले 33 सालों में किन-किन खास मुद्दों पर जनता ने संघर्ष किए हैं।

1 नवम्बर 2000 को मध्यप्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ प्रदेश का गठन हुआ। इसमें बस्तर को भी शामिल किया गया। बस्तर की जनता वीरतापूर्ण परम्परा को मिटाने की नीयत से बस्तर को पहले तीन और अभी-अभी पांच जिलों में बांट दिया गया। छत्तीसगढ़ में बस्तर के जबरिया विलय के विरोध में हजारों बस्तरवासियों ने विकासखण्ड और तहसील मुख्यालयों में कई जुलूसों और सभाओं को आयोजित किया। बस्तर को टुकड़ों में बांटने के कदम का भी लोगों ने विरोध किया। हर साल 1 नवम्बर को छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस को बस्तर की जनता अपने अलग राज्य की मांग को लेकर बन्द का आयोजन करती आ रही है। बन्द को विफल बनाने के लिए हर साल सरकार बड़ी संख्या में पुलिस बलों को तैनात करके लोगों को मार-पीट कर गिरफ्तार करवा रही है।



जुल्मी थानेदार अमृत केकेटा को बर्खास्त करने मांग से नारायणपुर में जनता का विरोध-प्रदर्शन

हो जाएगी। इस परियोजना के खिलाफ पूर्व में हमारी पार्टी के नेतृत्व में जनता ने संघर्ष किया था। जन-प्रतिरोध के चलते तब सरकार ने यह कदम पीछे लिया था। लेकिन अब वह दमन का प्रयोग करते हुए इसे पूरा करने की ठान ले रखी है। जनता को होने वाले नुकसान की चिन्ता ही कहां है सरकार को?

पूर्व में भाजपा सरकार ने रावघाट खदान खुलवाने के लिए काफी दमन का प्रयोग किया था। इस खदान के खोले जाने से 30 गांवों के लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा; सैकड़ों एकड़ के जंगल लुप्त हो जाएंगे; यहां से प्रवाहित होने वाले नदी-नाले प्रदूषित हो जाएंगे जिससे अन्य गांवों पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए रावघाट खदान विरोधी कमेटी की अगुवाई में कई रैलियों और जुलूसों का आयोजन किया गया था।

छत्तीसगढ़ प्रदेश के गठन के कुछ ही समय बाद सरकार ने किसानों पर हमले से अपना कामकाज शुरू किया। गंभीर सूखे के स्थिति से त्रस्त रायपुर जिले के लाखोली क्षेत्र के किसानों ने अपने खेतों में गंगरेल बांध से दस दिन तक पानी छोड़ने की मांग की। उन्होंने कुछ छात्रों की अगुवाई में कलेक्टर का घेराव किया क्योंकि उनकी आंखों के सामने ही फसलें सूखकर नष्ट हो रही थीं। राष्ट्रीय राजमार्ग पर सैकड़ों वाहन जाम हो गए। सरकार ने पुलिस द्वारा किसानों पर लाठीचार्ज करवाया। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की सेवा में तन-मन से जुटे हुए जोगी ने किसानों के लिए पानी न छोड़कर भिलाई स्टील प्लांट को ही दिया।

हीरानार में स्टील प्लांट खोलने के लिए सरकार ने वहां के आसपास के 10 गांवों को उजाड़कर लोगों की जमीनों को हथियाने का फैसला लिया था। लेकिन जनता ने इस फैसले के खिलाफ कड़ा विरोध व्यक्त किया। यहां की जनता पर पुलिस ने हमला किया, लेकिन जनता टस से मस नहीं हुई। सभी वर्गों की जनता ने इस कदम का विरोध किया। इससे सरकार ने इस प्लांट के निर्माण का निर्णय बदल लिया। स्टील प्लांट को नगरनार ले आई। यहां भी लोगों ने सरकार के इस गलत फैसले का जमकर विरोध किया। पुलिस ने लोगों पर पाशविक दमनचक्र चलाया। महिलाओं, बच्चों, बूढ़ों – सभी को गिरफ्तार किया, सभी को लाठियों से मारा। उस इलाके के कुछ छात्रों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया जिससे वे परीक्षाएं देने से वंचित रह गए। वहां की जनता को गुमराह करने के लिए सरकार ने कुछ दिखावटी सुधार कार्यक्रम भी चलाए। लेकिन जमीन छिन जाने की जो मुख्य समस्या थी उसका तो कोई हल नहीं हुआ।

नगरनार स्टील प्लांट के लिए बिजली, पानी आदि की आपूर्ति करने के लिए सरकार ने बोधघाट परियोजना को फिर से चालू करने का निर्णय लिया। बोधघाट परियोजना के निर्माण से करीबन 50 गांव उजाड़ दिए जाएंगे और सैकड़ों एकड़ की वन भूमि डूबकर नष्ट

रावघाट के पहाड़ों में लाए गए मशीनों को भी लोगों ने जला दिया। ऐसे तीखे प्रतिरोध के बाद ही जंगल में खदान के पास 70 एसएएफ जवानों के साथ एक पुलिस कैम्प बिठा दिया गया। अब जोगी सरकार ने किसी भी हाल में रावघाट खदान को खुलवाने की ठान ले रखी है। दिल्ली-राजहरा से रावघाट होते हुए बैलाडीला तक रेल लाइन बिछाने के प्रस्ताव भी सरकार के सामने है जिसे बस्तर के विकास की कुंजी के रूप में चित्रित करके खूब प्रचारित किया जा रहा है। लेकिन इनसे यहां की जनता को कुछ नहीं हासिल होगा। बस्तर की जनता को खेत, जमीन-जायदाद सब कुछ गंवाना पड़ेगा। लेकिन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हितों को ही सर्वोपरि मानने वाली जोगी सरकार को जनता को होने वाली परेशानियों की फिक्र ही क्या है?

इस वर्ष जुलाई माह में शिक्षा गारन्टी गुरुजियों ने अपनी एकसूत्रीय मांग – ‘राजीव गांधी शिक्षा मिशन को बन्द मत करो’ – को लेकर हड़ताल की। लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं रेंगी। 5 अगस्त से 28 हजार शिक्षाकर्मियों ने ‘समान कार्य - समान वेतन’ की अपनी मांग को लेकर राज्य भर में भूख हड़ताल शुरू की। सैकड़ों शिक्षकों ने आमरण अनशन भी शुरू किया जिससे कड़ियों की हालत बिगड़ गई। पुलिस कई लोगों को जबर्दस्ती उठाकर अस्पतालों में भर्ती करवा रही है। शिक्षाकर्मियों के आन्दोलन को सभी वर्गों और सभी पार्टियों के लोगों ने अपना समर्थन व्यक्त किया। इन्होंने पिछले साल भी इसी मांग को लेकर आन्दोलन किया था। पिछले साल रायपुर में धरना दे रहे शिक्षाकर्मियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इसके बावजूद शिक्षाकर्मियों ने अपना आन्दोलन जारी रखा था। आन्दोलनरत शिक्षकों के पास आकर जोगी ने उनकी मांगों पर ध्यान देने का आश्वासन दिया था। इस तरह जोगी ने उन्हें अपना आन्दोलन समाप्त करने पर विवश किया था। उनकी समस्या अभी तक हल नहीं हुई और इस वर्ष भी उन्हें संघर्ष का रास्ता अपनाना ही पड़ा। जोगी इस

झूठे चुनाव का बहिष्कार करो!

कोशिश में है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की घुसपैठ करवाई जाए। शिक्षा के निजीकरण की कोशिशें पूरे जोर से चल रही हैं। इसके तहत ही नियमित शिक्षकों की नियुक्ति करने की बजाए अनियमित व अस्थायी शिक्षकों को नियुक्त करके जब चाहे तब उन्हें नौकरी से हटाने का तरीका अपनाया जा रहा है।

बढ़ रहे क्रान्तिकारी आन्दोलन और जनता की बढ़ती चेतना को कुचलने के लिए जारी कोशिशों के तहत सरकार ने नारायणपुर और बीजापुर पुलिस जिले घोषित किए। सरकार के इस फैसले के खिलाफ बीजापुर में हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। नारायणपुर में रैली निकालने के लिए इकट्ठे हुए हजारों आदिवासियों को पुलिस ने डरा-धमकाकर तितर-बितर कर दिया। रैली के एक दिन पहले पुलिस ने रात में एकतरफा गोलाबारी करके युद्ध जैसा माहौल निर्मित किया। रैलियों को रोककर जनता के जनवादी अधिकारों का भी हनन करने के स्पष्ट इरादे से पुलिस ने यह कदम उठाया। इसके बावजूद जनता ने रैली निकाली और पुलिस जिले के गठन के प्रति अपना विरोध जताया। माड़ डिवीजन के ग्राम सोनपुर में प्रस्तावित पुलिस थाने के विरुद्ध लोगों ने डीएकेएमएस की अगुवाई में एक बड़ी रैली निकाली जिसमें करीबन 3,000 लोगों ने भाग लिया।

शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं को लेकर उत्तर बस्तर और माड़ डिवीजनों में लोगों ने अगस्त 2002 में रैलियां निकालीं। इस समस्या पर गठित एक साझी कार्यवाही कमेटी की अगुवाई में 25 हजार लोगों ने नारायणपुर में रैली निकाली। ओरछा में भी एक रैली निकाली गई जिसमें कुछ हजारों लोगों ने भाग लिया। इन रैलियों में छात्रों, लोगों और शिक्षकों ने भी भाग लिया। लेकिन सरकार ने जनता की एक भी मांग पूरी नहीं की।

वर्ष 2001 में दक्षिण व पश्चिम बस्तर डिवीजनों में छात्रों की समस्याओं पर हजारों की संख्या में छात्रों और उनके अभिभावकों ने मिलकर तहसील व ब्लॉक मुख्यालयों में रैलियां निकालीं। 2002 में सूखा पड़ने से परेशान लोगों ने इस स्थिति के लिए शासक वर्गों की लुटेरी नीतियों को जिम्मेदार ठहराते हुए कई जगहों पर प्रदर्शन किए। दक्षिण बस्तर की जनता ने पड़ोसी आंध्र में मौजूद बड़े जमींदारों के घरों पर अकाल हमले करके धान जब्त कर लिया। इसके बाद पुलिस ने बस्तर-आन्ध्र सीमांत क्षेत्र में मौजूद गांवों के लोगों का दमन किया। गोल्लापल्ली, किष्टारम, आदि हाट बाजारों को बन्द करवाया जिससे लोगों को रोजमर्रा की जरूरत की चीजों के लिए काफी परेशानी उठानी पड़ी। इसके खिलाफ 2,000 लोगों ने 31 दिसम्बर 2000 को सीतानगरम में हाट बाजारों को फिर से खोलने की मांग करते हुए एक जुलूस निकाला। इस जुलूस पर आन्ध्र पुलिस ने गोलीबारी करके एक युवती को जान से मार दिया।

पिछले साल जनता ने लुटेरी सरकार की ओर से नियुक्त सरपंचों और सचिवों को इस्तीफे देने पर दबाव डाला क्योंकि वे जनता के हित में कोई काम नहीं कर रहे हैं। इससे शासक वर्गों में ऐसी हड़कंप मच गई जैसे उनकी शासन व्यवस्था की नींव हिल गई हो। इस पर कार्यवाही करते हुए सरकार ने सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार करवाकर जेलों में डाल दिया।

छत्तीसगढ़ के गठन के बाद इन ढाई सालों के अनुभव से यही

स्पष्ट होता है कि चाहे पीपुल्सवार पार्टी के नेतृत्व में तेज हो रहे जन संघर्ष हों, या फिर जोगी सरकार की साम्राज्यवाद-अनुकूल नीतियों के परिणामस्वरूप उभर रहे विभिन्न तबकों के संघर्ष हों, छत्तीसगढ़ सरकार ने उनके दमन की ही नीति अपनाई है। शिक्षाकर्मियों द्वारा दो बार चलाए गए आन्दोलन के प्रति सरकार ने अड़ियल रवैया ही अपनाया है। शिक्षाकर्मियों को तीन दिन के भीतर काम पर न लौटने से नौकरी से बरखास्त करने की धमकी भी दी। छत्तीसगढ़ सरकार हड़ताल जैसे न्यूनतम जनवादी अधिकारों को भी खत्म करना चाहती है। स्पष्ट है साम्राज्यवाद के सामने घुटने टेककर जोगी सरकार जन संघर्षों को कुचलने पर ही तुले हुए है। जोगी खुलेआम घोषणा कर रहा है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की मदद के बिना कोई भी देश या राज्य विकसित नहीं हो सकता! स्पष्ट है अजीत जोगी की इस तरह की नीति से आने वाले दिनों में साम्राज्यवादी लूट और ज्यादा बढ़ेगी। इसके खिलाफ उभरने वाले जन संघर्षों को जोगी सरकार क्रूर दमन के सहारे कुचलने के प्रयास करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है।

उपरोक्त जन संघर्षों में कुछ तो हमारी पार्टी – पीपुल्सवार की अगुवाई में हुए हैं, जबकि कुछ अन्य संघर्ष अलग-अलग जन संगठनों के नेतृत्व में चलाए गए। इन सभी को कुचलने के लिए एक तरफ गंभीर कोशिश करते हुए ही दूसरी तरफ जनता के आंसू पोछने के लिए कुछ सुधार कार्यक्रम भी चलाए गए। आन्दोलन के इलाकों में बस्तर पैकेज, सरगुजा पैकेज आदि के जरिए करोड़ों रुपए की घोषणाएं की गईं। आन्दोलन को कुचलने के लिए राज्य सरकार अपनी 1,450 करोड़ रुपए वाली कार्ययोजना केन्द्र के सामने रखी हुई है। उसने केन्द्र से 2,500 सीआरपी बलों को बुलवाकर बस्तर में तैनात कर दिया। अन्य राज्यों के साथ ताल-मेल से हमले तेज किए जा रहे हैं। दमन अभियान बढ़ा दिए गए। संघर्ष के इलाकों में सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। घरों को जलाना, महिलाओं के साथ बलात्कार आदि घटनाएं रोजमर्रा की बातें हो गईं। जनवादी अधिकारों व मानवाधिकारों का खुल्लमखुल्ला हनन किया जा रहा है। जनता को शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने की इजाजत भी नहीं दी जा रही है। लाठीचार्ज और गोलीबारी की घटनाएं आम हो चुकी हैं। तीखे दमन के बीचोंबीच भी जनता संघर्ष का परचम उंचा कर रखी हुई है। दमनकारी कार्यवाहियों को चुनौती देते हुए लोग अपनी मांगों को हासिल करने के लिए ज्यादा जुझारू संघर्षों के लिए तैयार हो रहे हैं।

मौजूदा लुटेरी व्यवस्था को बदले बिना उपरोक्त समस्याओं में से किसी एक का भी हल नहीं हो सकेगा। इसलिए सभी वर्गों की उत्पीड़ित जनता को एकजुट होकर सही नेतृत्व के तहत संघर्षों को तेज करना होगा। अपनी सारी समस्याओं को हल करना तभी सम्भव होगा जब इस व्यवस्था को जड़ों से बदलकर नव जनवादी सरकार को स्थापित किया जाएगा। इसके लिए सभी शोषित तबकों को एकजुट होना जरूरी है। पीपुल्सवार पार्टी के नेतृत्व में इस व्यवस्था को बदलने के लिए जारी नव जनवादी क्रान्ति में विशाल जन समुदायों को गोलबन्द होकर जनयुद्ध को तेज करने की जरूरत है। तभी जन आन्दोलनों पर लुटेरे शासक वर्गों द्वारा अमल क्रूरतापूर्ण दमन का मुकाबला करके उन्हें हराया जा सकेगा। जनता की जनवादी सरकार की स्थापना की जा सकेगी। ☺

अपनी चुनावी जीत के लिए महिलाओं को साधन मत बनाओ

बलात्कार को दमन का एक साधन बनाकर

महिलाओं को संघर्ष में शामिल होने से नहीं रोका जा सकता

किसी भी समाज में आमतौर पर महिलाओं और पुरुषों की संख्या में संतुलन रहता है। इसे एक प्राकृतिक वरदान ही कहा जा सकता है। लेकिन सामंती व साम्राज्यवादी संस्कृति के बढ़ते प्रभाव के चलते मौजूदा समाज में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या घटती जा रही है। हमारे देश में पिछले दो दशकों के दौरान की गई जन-गणना के आंकड़ों के आधार पर यह बात आसानी से समझी जा सकती है। कुछ राज्यों में 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाएं सिर्फ 830 ही हैं, जिससे स्थिति की गंभीरता को समझा जा सकता है। मुख्य रूप से दहेज की समस्या, महिला को समाज में दोगम दर्जा, अत्याचार, अपमान, अंधविश्वास आदि कई सामाजिक बुराइयों के चलते महिलाओं की हत्या की जा रही है। भ्रूण हत्याओं और शिशु-हत्याओं की संख्या बढ़ रही है। कूड़े के ढेरों पर, गंदी नालियों में फेंके जाने वाले

नवजात शिशुओं की असली संख्या सरकारी दस्तावेजों में ढूंढने से भी नहीं मिलती। जवान महिलाओं की आत्महत्याएं, खरीद-फरोख्त, अत्याचार; शादीशुदा महिलाओं की हत्याएं, हत्या के प्रयास आदि कई घटनाएं दबा दी जा रही हैं – कुछ ही अखबारों में प्रकाशित हो रही हैं। ये घटनाएं बेरोकटोक बढ़ती ही जा रही हैं – कोई भी सरकार इन्हें रोकने का

प्रयास नहीं कर रही है। ब्रिटिश शासन से लेकर आज तक पिछले 150 सालों में देश में स्त्री-पुरुष समानता और अन्य समस्याओं के सम्बन्ध में कई कानून बनाए जा चुके हैं। लेकिन मौजूदा पितृसत्तात्मक व्यवस्था में उन पर ठीक से अमल नहीं हो रहा है। इसके लिए कानून के निर्माता और उनकी व्यवस्था ही जिम्मेदार हैं। ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं कि देश के वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और राजनीतिज्ञ अपने ओहदों और अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं। अंजना मिश्रा (उड़ीसा) से लेकर मधुमिता शुक्ला (उत्तरप्रदेश), मिकी मेहता

(छत्तीसगढ़), जेनी (उत्तराखण्ड) तक ऐसी कई महिलाएं हैं जिन्हें इस पितृसत्तात्मक व्यवस्था ने निगल लिया। स्कूल-कॉलेजों में लम्पट छात्रों और कामुक प्रोफेसर्स के अत्याचारों का शिकार बनने वाली छात्राओं की संख्या भी कम नहीं है।

पिछले एक दशक से महिलाओं को लुभाने के लिए शासक वर्ग काफी कोशिशें कर रहे हैं। ये प्रयास देश में ही नहीं, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखे जा सकते हैं। लड़की पैदा करने वाले परिवार को आर्थिक सहायता से लेकर विधवाओं को पेंशन तक कई योजनाएं हैं जो केन्द्र व राज्य सरकारों ने घोषित कीं। दुनिया भर में विशेष महिला वर्ष, बालिका वर्ष, विशेष दशक आदि घोषित किए जा रहे हैं। हर पूंजीवादी पार्टी हर साल अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रही है। 8 मार्च को ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक, सरपंच से लेकर

प्रधानमंत्री तक सभी सरकारी और गैर-सरकारी संगठन ऐसे मनाने लगे हैं जैसे उनके बीच कोई होड़ मची हुई हो। भाकपा-माकपा जैसी संशोधनवादी पार्टियां तो महिला दिवस को अमल में लाने का श्रेय खुद को देकर भाषणबाजी करती हैं। अजीब और हैरान की बात है कि संघ गिरोह से जुड़े कुछ साम्प्रदायिक संगठन भी अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं।



झूठे चुनाव के विरोध में बस्तर की महिलाओं ने उठाई मुक्ति का लाल पताका

लेकिन उपरोक्त पार्टियों या संगठनों में से एक भी ऐसा नहीं है जो इमानदारी के साथ स्त्री-पुरुष समानता के लिए प्रयासरत हो। जहां तक धर्मों का सवाल है, सभी धर्म ऐसे नैतिक सूत्र बताते हैं जिसके अनुसार महिला को पुरुष के अधीन रहना होगा, उसे पुरुष की सेवा करनी होगी। महिला को पतिव्रता-धर्म का पालन करना होगा, जबकि पुरुष को ऐसा कोई बंधन नहीं होगा। इस किस्म के विचारों और नैतिक सूत्रों से वे स्त्री-पुरुष समानता नहीं, बल्कि स्त्री के पतन और पुरुष के उन्नति की हिमायत करते हैं।

झूठे चुनाव का बहिष्कार करो!

हाल के दिनों में 'सत्ता में महिलाओं की भागीदारी', 'महिला सशक्तिकरण' को लेकर खूब चर्चा हो रही है। ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक सत्ता में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग सशक्त रूप से उठ रही है। अब तो ग्राम पंचायत व्यवस्था में महिलाओं को 33 प्रतिशत का आरक्षण दिया गया है, जबकि उसके ऊपर की विधायिकाओं में अभी तक आरक्षण को मंजूरी नहीं मिली है। पिछले 5-6 सालों से संसद के हर सत्र में सत्ता पक्ष द्वारा महिला आरक्षण का विधेयक पेश किया जाना, उस पर चर्चा करना और आखिर में मतदान के बिना ही उसे वापस ले लेना जैसे एक प्रहसन बन गया। इससे यह साफ हो जाता है कि संसद में बैठे पुरुष प्रतिनिधि सत्ता में महिलाओं की भागीदारी से कितना खफा हैं। इस पर देश के प्रमुख शहरों में अलग-अलग पार्टियों की महिला नेताओं का विरोधी-रैलियां आयोजन इसलिए होता है ताकि उत्पीड़ित महिलाओं की हमदर्दी को और उनके वोटों को बटोरा जा सके। गौरतलब है कि वाजपेयी के नेतृत्व वाली राजग सरकार ने जन विरोधी पीटा कानून को पारित करवाने के लिए संसद की दोनों सभाओं का संयुक्त अधिवेशन बुलाया था। लेकिन महिला आरक्षण विधेयक को पारित न करवाने के लिए कई कमजोर बहाने बताए जा रहे हैं।

महिला सशक्तिकरण की बात एक बड़ी धोखाधड़ी है। देश में महिलाओं को स्व-सहायता समूहों में गोलबन्द किया जा रहा है। इनमें अत्याधिक संख्या गरीब महिलाओं की ही है। दिन भर मेहनत-मजदूरी करके वे जो पैसा कमाती हैं उसमें से एक हिस्सा बचत करना पड़ रहा है। वे अपना पेट काटकर पैसा जमा कर रही हैं। स्व-सहायता समूह में शामिल महिलाओं का खुला शोषण किया जा रहा है। इन्हें यह आशा दिलाई जा रही है कि अगर वे अपनी बचत राशि बैंकों में जमा करेंगी तो बैंकों से उन्हें दुगुनी रकम मिलेगी। इस तरह इन महिलाओं का बचत पैसा बैंकों में जा रहा है और बैंकों से सामंती, दलाल पूंजीपतियों, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों, शेयर बाजारों और सरकारों को पूंजी के तौर पर मिल रहा है। चूंकि बिना किसी मेहनत के ही करोड़ों रूपए की पूंजी मिल रही है, इसलिए सभी सरकारें और सभी पार्टियां इन स्व-सहायता समूहों को प्रोत्साहित कर रही हैं। जुलाई 2003 में दन्तेवाड़ा जिले के कटे कल्याण में आयोजित एक महिला सभा में बोलते हुए मुख्यमंत्री जोगी ने स्व-सहायता समूहों की बढ़-चढ़कर तारीफ की। आदिवासी महिलाओं को माता, बहन, बेटी कहकर उनकी कुरबानियों का गुणगान किया। आखिर में उसने महिलाओं से आग्रह किया कि वे उसे दोबारा सरकार बनाने का मौका दें तो दन्तेवाड़ा को अक्वल जिला बना देगा। स्पष्ट है महिलाओं के प्रति उसकी सहानुभूति के पीछे वोटों का जाल है।

पिछले कुछ सालों से कई संघर्षों के परिणामस्वरूप देशभर में महिलाओं में एक नई चेतना जाग रही है। पहले के मुकाबले अब सभी क्षेत्रों में उनकी भागीदारी बढ़ ही रही है। इसीलिए, उन्हें लुभाने के लिए शासक वर्ग दिन-ब-दिन साजिशें कर रहे हैं। उन साजिशों का हिस्सा ही है इन नई योजनाओं, नए विधेयकों और कानूनों की घोषणा। इनसे महिलाओं के आंसुओं को पोंछा ही जा सकता है, पर

उन आंसुओं के कारणों को मिटाया नहीं जा सकता। महिलाओं में बढ़ रही संघर्ष की चेतना को गुमराह करने के लिए उन्हें चुनाव की तरफ खींचा जा रहा है। महिलाओं के, जो आबादी का आधा भाग है, वोटों को जो जीत लेगा जीत उसी की होगी, यह बात सभी राजनीतिक दलों ने अच्छी तरह समझ ली। इसलिए वे अपनी सभाओं और रैलियों में महिलाओं की बड़ी तादाद में उपस्थिति हो, इसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं। साम्राज्यवाद का नम्बर एक एजेंट आंध्रप्रदेश मुख्यमंत्री चन्द्रबाबु नायडु ऐसी तिकड़मबाजी में एक कदम आगे ही है। उसने 'महिला जन्मभूमि' नाम की एक नौटंकी शुरू कर दी जो उसकी चुनावी कवायद का हिस्सा है। फिलहाल देश के उन राज्यों के मुख्यमंत्री, जहां क्रांतिकारी संघर्ष जारी है, नायडु की तर्ज पर ही चल रहे हैं।

चुनाव सम्बन्धी कानूनों में किए गए संशोधनों के जरिए देश में लाखों महिलाएं पंचायत चुनाव में भाग ले रही हैं। आमतौर पर ये महिलाएं भी उन्हीं परिवारों से आ रही हैं जहां से पुरुष चुनाव लड़ा करते थे। ऐसे मामले ही सबसे अधिक हैं कि पति की जगह पत्नी चुनाव जीत गई हो। महिलाओं का चुनाव नाम के वास्ते ही है, जबकि असली सत्ता पुरुषों के हाथ में ही रहती है। फैसले पुरुष लेते हैं तो महिलाएं सिर्फ दस्तखत करती हैं। 1996 में बंगलूर में पंचायत व्यवस्था में चुनी गई महिलाओं को प्रशिक्षण की कक्षाएं चलाई गई थीं। तब उनमें उपस्थित होने वाली महिलाओं में कई महिलाएं ऐसी भी थीं जिन्हें उनके पतियों द्वारा पीटा गया हो, यहां तक कि सिर फोड़ दिया गया भी हो। इनकी बढहाली पर दया ही आती है। सत्ता में भागीदारी सिर्फ प्रचार के लिए ही थी, इससे महिलाओं को वास्तविक अधिकार कुछ भी नहीं मिला है। महिला सशक्तिकरण और सत्ता में भागीदारी की असलियत यही है।

स्त्री-पुरुष समानता को सच्चे तौर पर हासिल करने के लिए, पुरुषों के समान राजनीतिक सत्ता के लिए तथा महिलाओं को दोयम दर्जे के नागरिकों के रूप में देखे जाने के खिलाफ बस्तर की महिलाएं संघर्षरत हैं। उन पर शासक वर्ग तीव्र दमन का प्रयोग कर रहे हैं। इसके बावजूद ये महिलाएं स्पष्ट कर रही हैं कि वे किसी को भी वोट नहीं डालेंगी। वे पिछले 22 सालों से चुनाव का बहिष्कार कर रही हैं। सरकारी दमन का वे हथियारबन्द हो प्रतिरोध कर रही हैं। यहां बस्तर में तैनात सैकड़ों पुलिस वाले जनता को प्रताड़ित कर रहे हैं। इसके अलावा अब राज्य सरकार ने आगामी चुनावों को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के 2,500 जवानों को बुला लिया। ये पुलिस बल गांव में आतंक का ताण्डव मचा रहे हैं। महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहे हैं। आगामी चुनाव में इनसे वोट डलवाने के लिए ही वे इस तरह का पाशविक दमनचक्र चला रहे हैं। क्रूरतापूर्वक यातनाएं दे रहे हैं। फिर भी महिलाएं इस दमन से विचलित नहीं हुईं। वे वोट डालने से साफ इनकार कर रही हैं। दण्डकारण्य की तमाम महिलाएं इस लुटेरी व्यवस्था के स्थान पर 'जनता ना सरकार' का गठन करने के लिए कमर कस चुकी हैं। वे भारत के तमाम नारी जगत् के सामने उदाहरण पेश कर रही हैं। आइए, बस्तर में जारी

राजकीय हिंसा को समझने के लिए नीचे दी गई कुछ घटनाओं पर गौर करें -

- * नारायणपुर की जानो उसेण्डी नामक एक शिक्षाकर्मी परालभाट गांव में नौकरी करती थी। 2002 की शुरुआत में जब वह अपने घर से स्कूल जा रही थी, तब गोपनीय सैनिकों के एक काले गिरोह के सदस्यों ने उसे रास्ते में रोककर उसके साथ सामूहिक बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी। इस पर पर्दा डालने के लिए पुलिस वालों ने यह प्रचार किया कि जानो उसेण्डी की हत्या नक्सलवादियों ने की।
- * अप्रैल 2003 में इन्द्रावती एरिया के ग्राम वेडमा में सीआरपीएफ वालों ने केएएमएस की कार्यकर्ताओं के साथ बलात्कार किया।
- * कोण्डागांव इलाके में ग्राम राजवेडा से शांति नाम की एक लड़की कुछ समय छापामार दस्ते में काम करके वापस गांव चली गई थी। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। जब उसकी रिहाई हुई, बेनूर थाने के पुलिस वालों ने उसे थाने में ही रखकर एक बदनाम गोपनीय सैनिक से उसकी शादी करवाने की कोशिश की। उसने शांति को कुछ दिन तक इस्तेमाल कर बाद में शादी करने से इनकार किया। अब पुलिस वाले उसकी जिन्दगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।
- * वर्ष 2000 में दक्षिण बस्तर के किष्टारम इलाके के गांव कर्गुण्डम में आन्ध्र से पुलिस का एक जासूस आया था, जिसे छापमारों ने पकड़कर मार डाला। उसके बाद आन्ध्र के 50-60 पुलिस वालों ने कर्गुण्डम में कैम्प लगाकर महिलाओं और बुजुर्गों को भी नहीं बख्शाते हुए बेदम मारा। तेलुगु भाषा से अनजान 6 आदिवासी महिलाओं को गिरफ्तार कर झूठे मामले दर्ज कर आन्ध्र के जेल में बन्द कर दिया। बाद में जनता ने उन्हें जमानत पर छोड़ा लाया।
- * दिसम्बर 2002 में अकाल हमलों के मौके पर आन्ध्र की पुलिस ने छत्तीसगढ़ में घुसकर 5-6 गांवों से लोगों को गिरफ्तार किया। आन्ध्र में छत्तीसगढ़ के हाट-बाजारों में आकर धंधा करने वाले व्यापारियों को पुलिस ने यह धमकी देकर कि आइंदा यहां आने पर 'पोटा' कानून के तहत गिरफ्तार करेंगे, यहां के बाजारों में आने से रोक दिया। साप्ताहिक बाजारों को बन्द करवाया। इसके खिलाफ हजारों स्त्री-पुरुषों ने रैली निकाली। जब वे लोग वापस आ रहे थे तब पुलिस ने उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाकर सोमे नामक एक युवती की हत्या की और कुछ अन्य लोगों को घायल कर दिया।
- * 2003 की गर्मियों में जेगुरगोण्डा एरिया में तिप्पुरम गांव में सीआरपी और राज्य पुलिस के जवानों ने हमला बोलकर ग्रामवासियों को पकड़ लिया। जब वे उन्हें ले जाने लगे तो गांव की महिलाओं ने उन्हें रोक दिया। इससे भड़क चुके पुलिस वालों ने महिलाओं पर गोली चलाने की धमकी दी। इसके बावजूद महिलाएं नहीं हटीं तो पुलिस वाले 5 गोलियां दागकर

चले गए।

- * मई 2003 में जेगुरगोण्डा रेन्ज के कूंडेर गांव की दो महिलाओं के साथ पुलिस ने बलात्कार किया। जून 2003 में सीआरपी के जवानों ने ग्राम कर्गुण्डम में दो बहनों के साथ बलात्कार किया। उनके पिता को घर के बाहर बांधकर रख दिया।
- * पश्चिम बस्तर के आवापल्ली रेन्ज के नेण्ड्रा गांव में सीआरपी के 50 जवानों ने डाकुओं की तरह भोर के चार बजे हमला बोल दिया। जब उन्होंने कुछ बेकसूर ग्रामीणों को गिरफ्तार किया तो वहां की महिलाओं ने उनका प्रतिरोध किया। वे इस बात पर अड़ गईं कि उन्हें गिरफ्तार न किया जाए। इससे भड़क चुके पुलिस वालों ने महिलाओं के साथ बुरी तरह मारपीट की। बाद में घरों में घुसकर पैसे, मुर्गे आदि भी लूट लिए। इस गांव की 7 महिलाओं को गिरफ्तार कर जगदलपुर जेल भेज दिया। यह घटना 2003 की गर्मियों में घटी।
- * वर्ष 2002 में कोलकाता में आयोजित एक आमसभा में भाग लेकर वापस आ रही महिलाओं को पुलिस ने एक मुखबिर की सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया। बाद में जनता ने उन्हें छोड़ा लिया। इनमें से एक महिला के साथ एक सरपंच ने बलात्कार किया, जिसकी पुलिस के साथ सांठगांठ थी।
- * 5 मई 2003 को कोइलीबेड़ा इलाके के प्रतापपुर रेन्ज के मलमेट्टा गांव की बिसोंती नामक एक केएएमएस कार्यकर्ता को सीआरपी और स्थानीय पुलिस वालों ने गिरफ्तार किया। उन्होंने बिसोंती को मारा-पीटा। जब वे उसे पकड़कर बगल के गांव तक जा चुके थे, तभी आसपास के करीब तीन गांवों - मेसपी, मलमेट्टा और दोडिगोडोर की करीब 50 महिलाएं इकट्ठी हुईं और पुलिस वालों का विरोध करके बिसोंती को छोड़ा लिया। गौरतलब है कि जब पुलिस वाले वहां से जाने लगे थे तब रास्ते में उन्हें पीजीए के हमले का शिकार भी होना पड़ा।

जो घटनाएं ऊपर पेश की गई हैं, वे आज पूरे बस्तर में सीआरपी और स्थानीय पुलिस द्वारा किए जा रहे भयानक अत्याचारों के कुछ उदाहरण ही हैं। एक तरफ खुद को आदिवासी बताने वाले जोगी महिलाओं को रिझाने के लिए तरह-तरह की योजनाएं पेश कर रहा है और खुद को महिला-बन्धु के रूप में भी पेश कर रहा है, तो दूसरी तरफ तस्वीर बिलुकल अलग ही है। इसकी एक झलक उपरोक्त घटनाओं से मिल जाती है। जोगी सरकार द्वारा बस्तर में पर्यटन उद्योग को खूब बढ़ावा देकर यहां की आदिवासी महिलाओं को वेश्यावृत्ति में धकेलने की कोशिश की जा रही है। तरह-तरह की महिला योजनाओं का झड़ी लगाते हुए आगामी चुनाव में महिलाओं के वोट बैंक को सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बस्तर की जागरूक महिलाएं दलाल शासक पार्टियों को जरूर सबक सिखाएंगी। इस चुनाव का बहिष्कार कर स्त्री-पुरुष समानता को सुनिश्चित करने वाली जनता की जनवादी राजसत्ता की स्थापना के लिए जारी अपना संघर्ष तेज करेंगी। ✪

क्रान्तिकारी संकल्प के साथ दण्डकारण्य में शहीद दिवस मना !

भारत की क्रान्ति को आगे ले जाने के दौरान शहीद हुए तमाम क्रान्तिकारियों को श्रद्धांजलि पेश करते हुए, उनके अधूरे मकसद को पूरा करने का संकल्प दोहराते हुए, 28 जुलाई से 3 अगस्त तक दण्डकारण्य में जगह-जगह सभाओं और सम्मेलनों का आयोजन किया गया। भारत में पिछले साल शहीद सप्ताह से लेकर अब तक, खासतौर पर हमारी पार्टी और एमसीसीआइ के नेतृत्व में जारी जनयुद्ध में शहीद हुए सैकड़ों क्रान्तिकारियों को; तथा पेरू, नेपाल, फिलिपीन्स, टर्की आदि दुनिया के विभिन्न देशों में विश्व समाजवादी क्रान्ति के तहत जारी अलग-अलग क्रान्तियों के दौरान शहीद हुए सैकड़ों-हजारों क्रान्तिकारियों को इस मौके पर याद किया गया। उत्तर में कोइलीबेड़ा से लेकर दक्षिण में कोटा तक, भैरमगढ़ से लेकर पश्चिम में गड़चिरोली तक जगह-जगह शहीद योद्धाओं को याद करते हुए सैकड़ों सभा-सम्मेलन, रैलियां, जुलूस आदि कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कई जगहों पर शहीदों के स्मारक खड़े कर दिए गए।

हमेशा की तरह इस बार भी 'शहीद-सप्ताह' को विफल बनाने के लिए दुश्मन ने आक्रामक अभियान चलाए। दमन बढ़ाया, गश्त बढ़ाई, खोजबीन कार्यवाहियों में तेजी लाई। एक तरफ पुलिस दमन से बचने के लिए तमाम एहतियाती कदम उठाते हुए ही लोगों ने शहीद योद्धाओं को श्रद्धांजलि दी। पीजीए सैनिकों ने दुश्मन की आक्रामक कार्यवाहियों का प्रतिरोध करने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश की ताकि शहीद-दिवस के कार्यक्रमों में कोई बाधा न आए। इसका मतलब है कि जनयुद्ध के दौरान मारे गए क्रान्तिकारियों को श्रद्धांजलि देने के कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए भी जनता को दुश्मन के आक्रामक युद्ध से आत्मरक्षा करनी पड़ रही है। एक तरफ दुश्मन के साथ जूझते हुए ही दूसरी तरफ लड़ाई में शहीद हुए योद्धाओं को याद करना दरअसल कोई विरोधाभासी विषय नहीं है, बल्कि इससे शहीद साथियों के अधूरे मकसद को पूरा करने के कर्तव्य के प्रति प्रतिबद्धता साबित हो जाती है।

अखबारों में छपी एक खबर के मुताबिक शहीद सप्ताह के दौरान 3 अगस्त को गड़चिरोली डिवीजन के पेंडरी थानान्तर्गत महाराष्ट्र पुलिस और पीजीए सैनिकों के बीच जबर्दस्त गोलीबारी हुई है। हालांकि पीजीए की ओर से इस घटना की पुष्टि अभी नहीं हुई है। इधर बस्तर क्षेत्र में सीआरपीएफ की दो बटालियनों को तैनात करने के बाद पुलिस दमन ज्यादा बढ़ गया। खासकर गर्मियों के दौरान सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस द्वारा चलाए गए संयुक्त दमनकारी

अभियान के तहत दर्जनों गांवों में पुलिस ने शहीदी स्मारकों को तोड़ दिया। कुछेक गांवों में उन्होंने गांव वालों को मारपीट कर जबरन तुड़वाया, जबकि कुछ गांवों में जनता ने अपने शहीदों की याद में निर्मित स्मारकों को तोड़ने से साफ इनकार कर दिया। शहीदी स्मारकों को तोड़कर पुलिस जनता के जुझारूपन पर पानी फेरने की कोशिश कर रही है। लेकिन आज इसके ठीक उलटा ही हो रहा है। जहां-जहां पुलिस वालों ने स्मारकों को तोड़ दिया या लोगों से जबरन तुड़वाया, वहां-वहां फिर से जनता ने स्मारकों को खड़ा किया या कर रही है। पुलिस की ऐसी हरकतों से उस पर जनता में क्रोध बढ़ रहा है। उनकी संकल्प-शक्ति दुगुनी हो रही है।

बहरहाल, समूचे दण्डकारण्य में शहीदों की याद में आयोजित कार्यक्रमों के सम्बन्ध में हमें विभिन्न डिवीजनों से प्राप्त रिपोर्टों का संक्षिप्त लेखा-जोखा हम यहां प्रस्तुत कर रहे हैं।

माड़ डिवीजन

कोहकामेड़ा इलाके में ग्राम कोडिलेर में गांव के जन संगठनों की अगुवाई में शहीदों की याद में सभा आयोजित की गई जिसमें प्लटून -5 के कुछ पीजीए सैनिकों ने भी भाग लिया। लाल बैनरों और लाल झण्डों को हाथ में लेकर सभी ने जुलूस निकाला। गांव के एक संगठन नेता ने झण्डा फहराकर सभा का उद्घाटन किया। सबसे पहले सभा में उपस्थित सभी लोगों ने शहीदों की

याद में दो मिनट का मौन रखा। कॉ. पाइके ने सभा की अध्यक्षता की। इस सभा को गांव के संगठन कार्यकर्ताओं और प्लटून के कुछ कॉमरेडों ने सम्बोधित किया। वक्ताओं ने अपने भाषणों में माड़ की धरती पर अंग्रेजी उपनिवेशवादियों के खिलाफ किए गए महान भूमकाल जैसे विद्रोहों से लेकर आज साम्राज्यवाद और सामन्तवाद के खिलाफ जारी जनयुद्ध तक शहीद हुए सभी योद्धाओं को याद किया। उन्होंने लोगों को समझाया कि वर्तमान में जारी नवजनवादी क्रान्ति को सफल बनाकर ही हम खुद को इन सभी वीर शहीदों के सच्चे वारिस साबित कर सकते हैं। वक्ताओं ने जनयुद्ध पर रोशनी डालते हुए लोगों से कहा कि वे ज्यादा से ज्यादा संख्या में पीजीए में भर्ती होकर दण्डकारण्य को आधार इलाका बनाने के कर्तव्य को पूरा करने में अपना योगदान दें। क्रान्तिकारी गीतों और नारों से उत्साह भरे माहौल में सम्पन्न इस सभा में कुल करीब 150 स्त्री-पुरुषों ने भाग लिया।

ग्राम नेलनार में महान भूमकाल के शहीदों की याद में आयोजित एक सभा में 10 गांवों से 700 लोगों ने भाग लिया। पिछले साल ही



तुम्हारा बहाया यह खून
अब मैं सोखने नहीं दूंगा
इस मिट्टी में

यहां भूमकाल शहीदों की याद में एक स्मारक बनाने का काम शुरू किया गया था जो कि इस साल पूरा हो गया। 35 फुट ऊंचे इस स्मारक के निर्माण के लिए लोगों ने श्रमदान किया।

कोहकामेट्टा गांव में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक सभा हुई जिसमें 6 गांवों से लगभग 500 लोगों ने भाग लिया। पिछले अप्रैल में सीआरपी वालों ने इस गांव पर हमला करके यहां के शहीदी स्मारक को तुड़वाया था। इसमें गांव के कुछ बदमाश मुखियाओं की भी मिलीभगत थी। उसके बाद जनता ने इन मुखियाओं को चेतावनी दी और फिर से गांव में स्मारक का निर्माण किया गया। इस नए स्मारक का अनावरण 28 जुलाई को किया गया और शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। ग्राम बेच्चा में 3 गांवों के लोग इकट्ठे होकर शहीद दिवस मनाया। उसी तरह ग्राम कुंदला, काननार, बासिंग, कीहकाड, इरुकभट्टि आदि गांवों में भी शहीद दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। इन सभी सभाओं में स्थानीय सीएनएम ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। शहीदों के अधूरे मकसद को पूरा करके नवजनवादी भारत के निर्माण के लिए कदम बढ़ाने के संकल्प के साथ ये कार्यक्रम समाप्त हुए।

दक्षिण बस्तर

दक्षिण बस्तर ता तीन एरिया लोपपो 'शहीद सप्ताह' शहीदीरा ऐजा

ते 28 जुलाई तिंचो 3 अगस्त एवनल माने मातोरु।

28 जुलाई दिव्या नरकोमे जनता शहीदीरा दिव्या माने मायला तमा नाटे-नाटे स्तूपम बना कित्ता जागा ते जमा आसि अमर शहीदीरा आशय तुन मुन्ने ओयनीकि, ओरा सपना तुन निजम कियानीकि कीरिया कित्तोरु। 28 जुलाई ता मैदे मुन्ने डीएकेएमएस, केएमएस तोरु गुल्लय काल्पी 50 प्रचार दलम वेंडे रेंज कमेटी तोरु '28 जुलाई शहीद सप्ताह' ता प्रचार पूरा एरिया लोपपो कित्तोरु।

किष्टारम एरिया ते एलमागोडो 450 मूल, बुरलंका 3000, पालचेलमा 2000, कोमामाम 480, आलेकेने गोलापल्ली एरिया ते वेजेल 1200, तुंगवाड 500, माईता 200। वेंडे कोन्टाएरिया ते नेंद्रा 300, चिंतागुपा 250 आलेकेने दोरनापाल एरिया ते 2000 मूल। आलेकेने बासागुडेम एरिया लोपपो जगुरगुंडा एलजीएस ते पेद्दा बोर्डकिल ते कॉ. सुखदेव ना स्तूपम बना कीतोरु। अगा 5000 मूल, पामेड एलजीएस ता एर्रापाड 2500, मल्लेपाड 2000, वेंडे ऊसूर एलजीएस ते लिंगापुर्म ते 300 मूल जनता मीटिंग ते वात्तोरु।

इवु गुल्लय मीटिंग लोपपो जनता न सरकार आलेकेने जनता नरो संख्या लोपपो शामिल आत्तोरु। जन संगठन वेंडे जनता न सरकार नेतृत्व ते गुल्लय जरगा मुंता। नेंद्रु 28 जुलाई जनता ओण्ड सांप्रदाय लेहका ओरा बतकाड लोपपो ओण्ड बाटा इवु 28 जुलाई आसोर मंता। ☺

श्रद्धांजलि

जलयुद्ध का जांबाज योद्धा शहीद कॉमरेड भास्कर को लाल सलाम!

(दक्षिण बस्तर डिवीजन के बासागुडेम के निकट 2 फरवरी 2003 को पीजीए द्वारा किए गए एक घात हमले में शहीद हुए कॉमरेड भास्कर की जीवनी हम पिछले अंक में प्रकाशित नहीं कर पाए थे। देरी के लिए हमें खेद है। - सम्पादकमण्डल)

दण्डकारण्य के क्रान्तिकारी आन्दोलन का उन्मूलन करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार आए दिन दमन तीखा कर रही है। इस दमन का पलटकर जवाब देने के लिए दण्डकारण्य के पीजीए सैनिकों ने दक्षिणी सब-जोनल कमाण्ड के नेतृत्व में बासागुडा-मुरदोण्डा के बीच पुलिस पर एक हमले की योजना बनाई। इस योजना के मुताबिक सवारी बस में जाने वाले पुलिस वालों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करके उनसे हथियार छीन लेना था। अगर वे आत्मसमर्पण के लिए तैयार नहीं होते तो बस से सारे मुसाफिरों को उतारकर उनका सफाया करने का था। इस योजना के अनुसार 2 फरवरी 2003 को करीब 50 पीजीए सैनिकों ने बस में पुलिस वालों की मौजूदगी की निश्चित सूचना पर तयशुदा जगह पर बस को रोक दिया। पुलिस वालों से हथियार डालने को कहा। लेकिन पुलिस वाले आत्मसमर्पण करने से मना करते हुए बस के भीतर से गोलीबारी शुरू कर दी। छापामारों के अनुरोध पर करीब 40 यात्रियों ने बस से उतर कर उनका सहयोग दिया। लेकिन पुलिस वालों ने जबरन एक महिला और उसके तीन बच्चियों को रोक कर बस में ही रख लिया

ताकि उन्हें ढाल की तरह इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन छापामारों को इसकी खबर नहीं थी। उन्होंने सारे यात्री उतर गए समझकर पुलिस वालों पर जवाबी गोलाबारी शुरू की। इस हमले में एसएएफ के एक कम्पनी कमाण्डर समेत चार पुलिस वाले मौके पर ही मारे गए, जबकि दो अन्य पुलिस वाले मामूली रूप से घायल होकर भाग गए। भागने वाले पुलिस वालों की तरफ से की गई गोलीबारी में प्लटून-4 के सेक्षन डिप्यूटी कमाण्डर कॉमरेड भास्कर (मच्चाकि जोगा) शहीद हो गए।

कॉमरेड भास्कर का जन्म सुकमा तहसील के चींदगढ़ विकासखण्ड के ग्राम टिटो में हुआ था। इस गांव के लोग जमीन के अभाव के चलते बेहद गरीबी में जी रहे थे। ऐसी स्थिति में वे 1980 में पेट पालने के लिए कोंटा तहसील के रिजर्व जंगल में आ बसे थे और और उन्होंने बालानतोंग के नाम से एक नया गांव बसा दिया। तब कॉमरेड भास्कर 8-9 साल का बच्चा था। यहां भी जीना दूभर बन जाने से उसके माता-पिता ने उसे किष्टारम रेंज के ग्राम बूरुगुलंका में एक धनी किसान के पास नौकरी पर रख दिया। कॉमरेड भास्कर होश

संभालते तक इसी गांव में नौकरी करता रहा। इस गांव में कोंटा क्षेत्र के छापामार दस्ते का आना-जाना होता था। वह दस्ते के सम्पर्क में आ गया और संगठन का सदस्य बन गया। वह जिस धनी किसान के पास रहकर नौकरी करता था, उसने उसकी शादी भी करवा दी जो उसे पसन्द नहीं थी। कुछ समय बाद पत्नी को तलाक देकर अपने गांव बालानतोंग में माता-पिता के साथ रहने लगा। चूंकि यह गांव भी कोंटा दस्ता इलाके में ही आता है, इसलिए उसने वहां भी डीएकेएमएस में काम करना शुरू किया।

यह गांव आन्ध्रप्रदेश की सीमा से नजदीक है। आन्ध्रप्रदेश के खम्मम जिले का गांव मल्लमपेट यहां से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर पर है जो माकपा का मजबूत गढ़ माना जाता है। यहां का 'मार्क्सवादी' नेता श्यामल वेंकटरेड्डी (भद्राचलम डिवीजनल कमेटी सदस्य) जनता का वर्ग-दुश्मन था। बस्तर पार्टी ने उसका सफाया करने का फैसला 1984 में ही लिया था। लेकिन वह अपने गांव में पुलिस कैम्प बिठाकर आसपास के गांवों पर, जो आन्ध्र और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों के दायरों में आते हैं, हुकूम चलाने लगा। उसने हमारी पार्टी और छापामार दस्तों का उन्मूलन करवाने के लिए पुलिस द्वारा पाशविक दमनचक्र चलाया। फिर भी जनता की सहयोग से पार्टी ने उसके सारे कारनामों को नाकाम कर दिया। 1996 में पार्टी की दक्षिण बस्तर डिवीजनल कमेटी ने श्यामला वेंकटरेड्डी का सफाया करने के लिए एक ऐक्शन टीम का गठन किया। इसमें कॉमरेड भास्कर भी एक सदस्य था। सितम्बर 1996 में इस ऐक्शन टीम के सदस्य उसके खेत में मजदूरों के तौर पर काम करने लग गए थे। जब वह खेत में घूमने के लिए आया था, तब मौका देखकर उसका सफाया कर दिया। इस कार्यवाही में कॉमरेड भास्कर ने बड़ी सूझबूझ और बहादुरी के साथ भाग लिया। गौरतलब है कि इस कार्यवाही के बाद जब थानेदार देखने के लिए घटनास्थल पर आया था, तब उसकी दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई। ऐक्शन टीम के सदस्य विजयी नारे लगाते हुए वहां से निकल आए थे।

बाद में स्थानीय एरिया पार्टी कमेटी ने कॉमरेड भास्कर को पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में आने को कहा तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के छापामार दस्ते के सदस्य के रूप में भर्ती हो गया। दस्ता सदस्य के रूप में काम करने के दौरान '98 में दक्षिण बस्तर में गठित विशेष छापामार दस्ता सदस्य बन गया। उसके बाद ताल्लगूडेम थाने पर किए गए हमले में कॉमरेड भास्कर ने बहादुरी के साथ भाग लिया।

जून 1999 में इस विशेष दस्ते को प्लटून में मिला दिया गया। इस तरह वह प्लटून-2 का सदस्य बन गया। जून 2001 तक, उन्होंने दो साल तक प्लटून-2 में काम किया। बाद में पार्टी की 9वीं कांग्रेस के बाद लिए गए फैसलों के मुताबिक प्लटूनों की संख्या बढ़ा दी गई। इस तरह, उन्होंने नवगठित प्लटून-4 में सेक्शन डिप्यूटी कमाण्डर की जिम्मेदारी ली। बाद में उन्होंने मोटू के थाने पर किए गए हमले में भी भाग लिया। जब वह प्लटून-2 में थे, तब उत्तर बस्तर के बजरंगबलि

के निकट पुलिस अधिकारियों पर किए गए हमले में भी भाग लिया। दक्षिण बस्तर के तरेम के पास किए गए जबर्दस्त घात हमले में कॉमरेड भास्कर ने वीरतापूर्वक भाग लिया।

कॉमरेड भास्कर बेहद गरीब परिवार से आए हुए थे। वह घर में पढ़ाई नहीं कर पाए। बचपन से ही मेहनत-मजदूरी करते हुए परिवार को पालने-पोसने का काम कंधों पर लिया था। इस पृष्ठभूमि के होने के कारण प्लटून में भी वह कड़ी मेहनत करते थे। बोझ उठाने और कठोर कामों को अपने कंधों पर लेकर चलने में वह खुद को दूसरों के लिए एक मिसाल के तौर पर पेश करते थे। पीजीए में भर्ती होने के बाद ही उन्होंने पढ़ना-लिखना सीखा। मिलिटरी व राजनीतिक कक्षाओं में भाग लेकर उन्होंने अपनी सोच को बेहतर बनाया। दण्डकारण्य में पार्टी द्वारा अपनाए गए भूल-सुधार अभियान से कॉमरेड भास्कर काफी प्रभावित हुए थे। उन्होंने अपने अंदर मौजूद गलत रुझानों को ईमानदारी के साथ पहचान लिया और उसके लिए आत्मालोचना की। पार्टी में हो रही गलतियों को भी सुधारने के सम्बन्ध में उन्होंने अपनी तरफ से काफी प्रयास किया। उनका मत यह था कि गलत रुझानों से छुटकारा पाने के लिए पार्टी को गंभीरतापूर्वक प्रयास करने होंगे। अफसोस इस बात की है कि इस अभियान के बाद एक महीने के अन्दर ही उनकी शहादत हुई। आइए, कॉमरेड भास्कर की शहादत को याद करेंगे और उनके अधूरे मकसद को पूरा करने के लिए फिर एक बार संकल्प लें। ❀

जन संगठन कार्यकर्ता कॉमरेड ताति सोमलू को लाल सलाम !

पश्चिम बस्तर डिवीजन के गंगलूर दस्ता इलाका स्थित ग्राम तुम्मनार बस्तर के उन सैकड़ों गांवों में एक है जो सालों से क्रान्तिकारी आन्दोलन में दृढ़तापूर्वक भाग ले रहे हैं। इस गांव की अधिकांश जनता अलग-अलग क्रान्तिकारी जन संगठनों में शामिल हो चुकी है। इस गांव का एक सपुत था ताति सोमलू। कॉमरेड सोमलू शुरू से छापामार दस्ते के सम्पर्क में रहकर पार्टी के हर काम में भाग लिया करते थे। क्रान्तिकारी राजनीति से वह काफी प्रभावित हुए थे। बाद में उन्होंने गांव के जन संगठन - डीएकेएमएस में शामिल हो काम करना शुरू किया। उसकी कार्यकारणी में सदस्य बनकर भी काम किया। गांव में जन संगठनों के नेतृत्व में होने वाले हर समूहिक व सहकारी काम में वह आगे रहा करते थे। 28 फरवरी को वह अचानक बीमार पड़ गए और उनकी मृत्यु हुई। उनकी शहादत से पश्चिम बस्तर डिवीजन के क्रान्तिकारी आन्दोलन ने अपना एक समर्पित कार्यकर्ता गंवाया। उनकी मृत्यु के बाद गांव की सारी जनता और जन संगठन कार्यकर्ताओं ने उनकी लाश पर लाल झण्डा ओढ़ाकर पार्टी की क्रान्तिकारी परम्पराओं के अनुसार उनकी अन्त्येष्टि की। आइए, कॉमरेड ताति सोमलू को लाल-लाल जोहार अर्पित करें और शहीदों के अरमानों को पूरा करने का संकल्प लें। ❀

तेलंगाना के लोगों ! हम तुम्हारे साथ हैं !

तेलंगाना की जनता पर फासीवादी चन्द्रबाबू नायडू द्वारा जारी
राजकीय दमन का विरोध करो !

तेलंगाना में जारी बेलगाम हिंसा के विरोध में

1 से 7 नवम्बर तक विरोध सप्ताह मनाएंगे !

तेलंगाना क्षेत्र खून से लथ पथ है। आदमखोर बन चुके ग्रे-हाउण्ड्स दरिन्दों के लोहे के पैरों तले गांव, जंगल, खेत-खलिहान सब कुछ कुचले जा रहे हैं। पुलिस की खोजबीन कार्यवाहियां, मुठभेड़ें, गिरफ्तारियां, तलाशियां, यातनाएं, शहादतें - ये सब वहां के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गए। वीर योद्धाओं का खून बह रहा है वहां। एक साल के दरमियान ही पद्मका, रामकृष्ण, अनपुरम कोमुरख्या, रमणारेड्डी, ललितका - और कई अन्य जन नेता, तेलंगाना जनता की प्यारी संतानें पुलिस की गोलियों का शिकार बन गईं। एक शब्द में कहा जाए तो आज तेलंगाना रणभूमि में, बेलगाम राजकीय हिंसा के मंच में बदल चुका है। साम्राज्यवादियों का पालतू कुत्ता चन्द्रबाबू यह सपना देख रहा है कि तेलंगाना में क्रान्तिकारी आन्दोलन का जड़ों से सफाया करके वह अपनी दलाल शोषणकारी नीतियों को बेरोकटोक लागू कर सकेगा। उसकी यह भी कल्पना है कि तेलंगाना में क्रान्तिकारी आन्दोलन का सफाया करके वह देश के कई हिस्सों में जारी क्रान्तिकारी आन्दोलन की रीढ़ की हड्डी तोड़ सकेगा। वह तेलंगाना की जनता को सामंती और साम्राज्यवादी दासता के जूए तले जबरन बांधकर रखना चाह रहा है। क्या तेलंगाना ने कभी अपना सिर झुकाया? क्या इतिहास का ऐसा एक भी दिन है जबकि तेलंगाना के लाडलों ने अपना खून न बहाया हो?

वीर तेलंगाना जिसने कभी अपना सिर नहीं झुकाया !

आन्ध्रप्रदेश के उत्तर में स्थित 10 जिलों का इलाका ही तेलंगाना कहलाता है। भारत के क्रान्तिकारी आन्दोलन के इतिहास में तेलंगाना को महत्वपूर्ण स्थान है। 1940 के दशक से लेकर, बीच-बीच में कुछेक अन्तरालों को छोड़ दें तो, तेलंगाना की जनता लगातार शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ लड़ती ही आ रही है। 1940 में निज़ाम शासन के खिलाफ कोमुरम भीम के नेतृत्व में गोण्ड आदिवासियों



चन्द्रबाबू के फासीवादी हमले में शहीद हुई
कॉमरेड पद्मा (रजिता)

द्वारा जोडेनघाट क्षेत्र में किया गया संघर्ष एक ऐतिहासिक संघर्ष था। 1946-51 के बीच कम्युनिस्ट पार्टी अगुवाई में चलाया गया महान तेलंगाना क्रान्तिकारी किसान संघर्ष इतिहास के महानतम संघर्षों में एक है।

निज़ाम शासन के खिलाफ 1928 में आन्ध्र महासभा का गठन हुआ। 1930 के आखिर से तेलंगाना में कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना काम शुरू किया। लेकिन चूंकि तब पार्टी पर प्रतिबन्ध लगा हुआ था, इसलिए उसने आन्ध्र महासभा के साथ मिलकर काम किया। आन्ध्र महासभा ने 'संघम' के रूप में ग्रामीण इलाकों में फैल गया। 1942 तक कम्युनिस्ट पार्टी को खुलेआम काम करने के अवसर मिल गए। कम्युनिस्ट पार्टी किसानों का नेता बनकर उभरी। 1944 तक कम्युनिस्ट पार्टी निज़ाम-विरोधी व सामंतवाद-विरोधी संयुक्त मोर्चे का निर्विरोध नेता के रूप में उभरी। शत्रु दमन बढ़ जाने से 1946 में पार्टी को हथियारबन्द प्रतिरोध का रास्ता अपनाना पड़ा। उस समय गठित हुए 100 छापामार दस्तों में लगभग 2,000 सदस्य हुआ करते थे। क्रान्तिकारी जनता और छापामारों ने लड़कर रज़ाकारों (निज़ाम की फौज) के सैन्य अड्डों को तबाह करके 3,000 गांवों को आजाद कर लिया। 'जमीन उसकी जो उसे जोते' के नारे के साथ उमड़े किसान संघर्ष के परिणामस्वरूप 10 लाख एकड़ जमीन को क्रान्तिकारी भूमि-सुधार के तहत बांटा गया। मुक्त किए गए गांवों में जनता की राजसत्ता उभरने लगी थी। 1950 तक आन्दोलन करनूल जिले के नल्लमला जंगलों में, आदिलाबाद और उससे लगे हुए महाराष्ट्र तक फैल चुका था।

सदियों से सामंती उत्पीड़न के तले दबे-कुचले गरीब किसानों ने पार्टी का दृढ़तापूर्वक साथ दिया। 13 सितम्बर 1948 को नेहरू की सेनाओं ने तेलंगाना में कदम रखा और पाशविक फासीवादी दमन का सिलसिला छेड़ दिया। ब्रिम्स योजना लागू कर दी गई। जंगली क्षेत्रों को नजरबन्दी शिविरों में तब्दील कर दिया गया। सैकड़ों गांवों को जला डाला गया। नलगोण्डा, वरंगल, खम्मम, करीमनगर और

हैदराबाद जिलों के तीन लाख लोगों को यातनाएं दी गईं। 50 हजार लोगों को गिरफ्तार किया गया। 3,000 लोगों को भून दिया गया। महिलाओं पर अत्याचारों का कोई हिसाब ही नहीं रहा। पटेल-नेहरू की सेनाओं ने दो सप्ताहों के भीतर ही गांवों को कब्जा में बदल दिया। इसके बावजूद जनता विचलित नहीं हुई। पार्टी का साथ नहीं छोड़ा। हथियारबन्द संघर्ष का रास्ता नहीं छोड़ा। सामंती शासन को खत्म करने का संकल्प नहीं छोड़ा। 'आजाद' भारत की सेनाओं के खिलाफ भी प्रतिरोध जारी रखा। यह 1951 तक की स्थिति थी। लेकिन 1951 के मई-जून में कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय कमेटी ने तेलंगाना में सशस्त्र संघर्ष को वापिस लेने का निर्णय लिया। तेलंगाना के किसानों के क्रान्तिकारी संघर्ष के साथ बड़ी गहारी हुई। इसके बावजूद जनता ने अपनी समस्याओं पर संघर्ष करना कभी नहीं छोड़ा।

1969 तक संघर्ष के मानिचत्र पर फिर एक बार तेलंगाना उभर आया। क्षेत्रीय विषमताओं और भेदभाव के फलस्वरूप पिछड़े चुकी तेलंगाना की जनता ने इस बार 'पृथक तेलंगाना' राज्य का नारा अपनाया। तेलंगाना के 10 जिलों की जनता ने एकजुटता के साथ संघर्ष किया। खासतौर पर नौजवानों, छात्रों, कर्मचारियों और बुद्धिजीवियों ने उस आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया। कॉलेज, स्कूलें, सरकारी कार्यालय बन्द पड़ गए। 'तेलंगाना प्रजा समिति' और अन्य संगठनों ने उस आन्दोलन का नेतृत्व किया। लेकिन भाकपा (भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी) ने यह आत्मालोचना करके कि "राष्ट्रीयताओं के आत्मनिर्णय के अधिकार" की मांग ने देश को विभाजित किया, "राष्ट्रीय एकता" का राग अलापना शुरू किया। माकपा (मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी) ने यह सूत्रीकरण किया कि "अलग होने का अधिकार समेत राष्ट्रीयताओं का आत्मनिर्णय का अधिकार" हमारे देश के ठोस हालात में लागू नहीं हो सकेगा। इस तरह ये दोनों नकली कम्युनिस्ट पार्टियां जनता के सामने नंगी हो गईं। लेकिन तेलंगाना में मौजूद असली मार्क्सवादी क्रान्तिकारियों ने पृथक तेलंगाना की मांग का समर्थन कर जनता का पक्ष लिया। आन्ध्रप्रदेश के शासक वर्गों ने उस आन्दोलन को क्रूरतापूर्वक कुचल दिया। 400 युवाओं ने अपना खून बहाया। तेलंगाना की जनता को फिर एक बार गहारी का मुंह देखना पड़ा। आन्दोलन का नेतृत्व करने वाले लुटेरे शासक वर्गों ने बीच में ही संघर्ष को छोड़ दिया। इसके बावजूद जनता में आज भी वह मांग सुनाई दे रही है। पृथक तेलंगाना के लिए आज भी जनता लड़ रही है। आज भी मार्क्सवादी करान्तिकारी पार्टियां उस संघर्ष में जनता के साथ हैं।

महान तेलंगाना किसान संघर्ष द्वारा पेश की गई नव जनवादी क्रान्ति की कार्यदिशा नेतृत्व की गहारी के चलते धुंधुला गई थी। नक्सलवादी संघर्ष ने न सिर्फ उसमें नई जान डाल दी, बल्कि ऐसी क्रान्तिकारी पार्टी की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो उस कार्यदिशा के मुताबिक जनता का नेतृत्व कर

सके। 22 अप्रैल 1969 को सीपीआइ (एम-एल) [भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी)] के रूप में कम्युनिस्ट पार्टी का पुनर्निर्माण हो गया। उसने संशोधनवादियों और नव संशोधनवादियों से राजनीतिक और सांगठनिक तौर पर खुद को अलग करके तेलंगाना और नक्सलवादी की क्रान्तिकारी परम्परा को ऊंचा उठाकर देश भर में पार्टी के निर्माण के लिए और भारत की नव जनवादी क्रान्ति के कर्तव्यों की पूर्ति के लिए खुद को समर्पित किया। नक्सलवादी संघर्ष ने भारत के कम्युनिस्ट आन्दोलन के इतिहास में गुणात्मक तौर पर एक नया अध्याय शुरू कर दिया।

सहज ही नक्सलवादी की चिनगारियां तेलंगाना में फैल गईं। नक्सलवादी और श्रीकाकुलम आन्दोलनों से छात्र, बुद्धिजीवी, लेखक और कलाकार बेहद प्रभावित हो गए। 1970 की शुरुआत से वे अलग-अलग जन संगठनों में गोलबन्द होने लग गए। नक्सलवादी और श्रीकाकुलम संघर्ष के पीछे कदम के बाद तेलंगाना फिर एक बार आन्दोलन का मुख्य केन्द्र बन गया। 1975 के आपातकाल के अंधेरे दिनों में पार्टी को जबर्दस्त आघात लग गया। तेलंगाना के नौजवानों को झूठी मुठभेड़ों में कत्ल करने का सिलसिला फिर एक बार शुरू हो गया। पार्टी अपनी संकीर्ण नीतियों को त्यागकर नागपुर में सम्पन्न क्षेत्रीय सम्मेलन के बाद दोबारा संगठित होने लग गई। उसके बाद 1977-78 तक तेलंगाना के करीमनगर-आदिलाबाद जिलों में किसान संघर्ष शुरू हो गए। गांव-बस्तियां उठ खड़ी हो गईं। जन संघर्षों के उभार से गांवों में सामंती आधिपत्य खत्म होने लगा। किसान-मजदूर संगठन में हजारों लोग गोलबन्द हो गए। कम समय में ही आन्दोलन पड़ोसी जिलों, इलाकों और राज्यों तक फैल गया। बढ़ते क्रान्तिकारी आन्दोलन को कुचलने के लिए सरकार उतर आई। कानून ने भूमिपतियों का साथ दिया। करीमनगर-आदिलाबाद जिलों को अशांत क्षेत्र घोषित किया। तेलंगाना की क्रान्तिकारी जनता पर फिर एक बार पुलिसिया दमन बढ़ाया। 1980 में पार्टी का 12वां राज्य अधिवेशन सम्पन्न हो गया। तबसे वह भाकपा (मा-ले) [पीपुल्सवार] के नाम से लोकप्रिय हो गई। तेलंगाना के नौजवानों को लेकर बड़े पैमाने



चन्द्रबाबू के फासीवादी हमले में शहीद हुए
कॉमरेड रामकृष्ण (सुदर्शन रेड्डी)

पर हथियारबन्द दस्ते निर्मित किए गए। पार्टी ने गुरिल्लाजोन के निर्माण के लिए कमर कस ली। तेलंगाना से आन्दोलन को आन्ध्रप्रदेश के कई अन्य जिलों में और पड़ोसी राज्यों के बस्तर और चांदा (चन्द्रपुर) जिलों में विस्तार दिया गया। इन जिलों में शुरू किया गया आन्दोलन ही आज शक्तिशाली बनकर दण्डकारण्य क्रान्तिकारी आन्दोलन के रूप में लोकप्रिय हो गया। दण्डकारण्य पिछले 23 सालों से तेलंगाना आन्दोलन के पृष्ठभाग के इलाके के रूप में विकसित हो रहा है। इन दोनों क्षेत्रों में जारी आन्दोलन को भारत की क्रान्ति के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। इन दोनों इलाकों के बीच संघर्ष का घनिष्ठ सम्बन्ध है। और अनमोल बलिदानों के साथ इन इलाकों में क्रान्तिकारी आन्दोलन आगे बढ़ रहा है।

लहर-दर-लहर आगे बढ़ता आन्दोलन – पीछा न छोड़ता सरकारी दमन

‘70 के दशक के अन्त से तेलंगाना में दोबारा शुरू होकर चल रहे आन्दोलन का जितना ऐतिहासिक महत्व है, उसी प्रकार उस आन्दोलन को कुचलने के लिए सरकार द्वारा चलाया जा रहा दमन भी इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में अंकित होगा। तेलंगाना में पिछले 25 सालों से शासक वर्गों द्वारा अमल क्रूरतापूर्ण दमन पर नजर डालने से यह बात समझी जा सकती है कि आन्ध्र पुलिस किस हद तक बर्बरता बरत रही है।

तेलंगाना में जारी नव जनवादी संघर्ष का सफाया करने के इरादे से जगित्याल के संघर्ष से आज तक सरकार ने तीन बार दमन-अभियान चलाया। पहली बार चलाए गए दमन अभियान का लक्ष्य यह था कि जन संघर्षों की मार से सामन्ती जमींदारों को बचाया जाए। 1985 से चला यह दौर तत्कालीन एनटीआर सरकार ने लागू किया था। दमन का दूसरा अभियान 1992 से 1994 तक केन्द्र-राज्य सरकारों की संयुक्त योजना के मुताबिक चलाया गया। आन्दोलन का पूरी तरह सफाया करने की दीर्घकालीन व फौरी योजना के साथ यह अभियान चलाया गया। तेलंगाना के गांवों में सीमा सुरक्षा बलों को तैनात कर गांवों पर छापेमारीयां करना, फर्जी मुठभेड़ों में लोगों की अन्धाधुन्ध हत्याएं करना आदि तरीकों में आतंक का ताण्डव मचाया गया था।

1998 से अब तक चला आ रहा तीसरा दमन अभियान इतिहास के क्रूरतम अभियानों में से एक है। यह हमला साम्राज्यवादियों की शह पर, एलआईसी (कम तीव्रता का संघर्ष) की रणनीति के तहत केन्द्र सरकार द्वारा गठित संयुक्त ऑपरेशनल कमाण्ड (जेओसी) की देखरेख में किया जा रहा है। दम मुटा देने वाले इस हमले ने तेलंगाना को कब्रगाह में तब्दील कर दिया है।

पहले दमन-अभियान में गांवों पर छापेमारी करके सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार कर जेल भिजवाया गया। झूठे मामले दर्ज करके उन्हें सालों तक जेल में सड़ाया गया। शारीरिक व मानसिक रूप से बर्बरतापूर्ण यातनाएं देना, घर जलाना, सम्पत्तियों को तबाह करना, फसलों को मवेशियों से चरवाना, महिलाओं के साथ बलात्कार, आन्दोलन में कार्यरत लोगों की जमीनें पड़ती रखवाना आदि तरीके अपनाए गए।

दूसरी बार चलाए गए अभियान में बीएसएफ को बड़ी संख्या में लाकर गांवों की घेराबन्दी करवाना, सभी लोगों को एक जगह इकट्ठे करके उनमें से ऐसे लोगों को जिनका सम्बन्ध संगठन से होने की आशंका रहती है, पकड़कर झूठी मुठभेड़ों में कत्ल करना, बड़ी संख्या में नौजवानों को लापता करना, हिरासत में हत्या करना, अज्ञात लाश बताना आदि तरीके अपनाए गए।



चन्द्रबाबू के फासीवादी हमले में शहीद हुई
कॉमरेड ललिता (एल्लंकि अरुणा)

दमन के मौजूदा दौर में विशेष पुलिस बलों – ग्रे-हाउण्ड्स और कमाण्डो बलों के द्वारा छापामार दस्तों पर कातिलाना हमले किए जा रहे हैं। लाखों रुपए पानी की तरह बहाकर मुखबिरो का नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। ‘कोवर्ट’ तरीकों से आन्दोलन के नेतृत्व को खत्म करने की साजिशों की जा रही हैं। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलवादियों और अन्य असामाजिक तत्वों को इकट्ठा कर काले गिरोहों का गठन किया जा रहा है। इनके जरिए क्रांतिकारी आन्दोलन के प्रति हमदर्दी रखने वाले जनवादी लोगों, मानवाधिकार संगठन नेताओं और बुद्धिजीवियों को खुलेआम कत्ल किया जा रहा है। ‘पोटा’ जैसे काले कानूनों का प्रयोग कर लोगों को बड़ी संख्या में गिरफ्तार करने का सिलसिला भी जारी है।

एलआईसी योजना के तहत जनता को क्रांतिकारी आन्दोलन से गुमराह करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के पास राज्य को गिरवी रखकर चन्द्रबाबू हजारों करोड़ रुपए का कर्ज ला रहा है और सुधार कार्यक्रमों की झड़ी लगा रहा है। कई प्रकार की योजनाओं के बहाने करोड़ों रुपए बहाकर जनता के एक तबके को भ्रष्ट बनाया जा रहा है। इसी तबके का सरकार के पक्ष में इस्तेमाल कर क्रांतिकारी आन्दोलन को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है।

दुश्मन द्वारा 1998 से जारी वर्तमान चौतरफा हमला सभी क्षेत्रों में और सभी तरीकों का प्रयोग कर किया जा रहा है। एक तरफ क्रांतिकारी आन्दोलन के खिलाफ दुष्प्रचार हमला और दूसरी तरफ सैन्य हमला – दोनों बराबर जारी हैं। इसके अलावा सुधार कार्यक्रमों को लागू कर जनता को गुमराह करने का प्रयास भी लगातार जारी है। इस प्रकार दुश्मन ने क्रांतिकारी आन्दोलन को कई नुकसान भी पहुंचाए। कुछेक अस्थाई विजयों से फूले

न समाते हुए क्रांतिकारी आन्दोलन का पूरी तरह सफाया करने के इरादे से हमले बढ़ा दिए।

लेकिन सरकार को पिछले 25 सालों के अनुभव से दुश्मन को यह भी मालूम हो गया कि तेलंगाना में जारी हथियारबन्द संघर्ष को कुचलना कोई आसान काम नहीं है। उसे यह अंदाजा हो गया कि तेलंगाना से सटे हुए दण्डकारण्य और आन्ध्र-उड़ीसा सीमा क्षेत्र में जारी क्रांतिकारी आन्दोलन का दमन किए बिना तेलंगाना आन्दोलन का पूरी तरह से सफाया नहीं किया जा सकता। इसलिए शासक वर्ग 9 राज्यों के पुलिस अधिकारियों से गठित जेओसी से भी पूरी तरह सन्तुष्ट नहीं हैं। वे चाहते हैं कि एक एकीकृत कमाण्ड का गठन किया जाए जिसे और ज्यादा अधिकार होंगे। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आन्ध्र की पुलिस के बीच बेहतर तालमेल बनाकर जेओसी के तहत एक और विभाग बनाने की योजना है ताकि इन तीनों राज्यों में जारी क्रांतिकारी आन्दोलन को साझे तौर पर कुचल दिया जा सके।

तेलंगाना पर यह हमला क्यों?

यह बात स्पष्ट है कि सामंतवाद, दलाल नौकरशाही पूंजीवाद और साम्राज्यवाद का सफाया करने के लक्ष्य से जारी मौजूदा क्रान्तिकारी आन्दोलन को खत्म किए बिना शासक वर्ग वर्ग-उत्पीड़न को जारी नहीं रख पाएंगे। अपना शोषणकारी शासन को टिकाए रखने के लिए ही वे क्रान्तिकारी आन्दोलन का जड़ से उन्मूलन करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा, अपार खनिज व प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर तेलंगाना को लूटने में साम्राज्यवादियों और उनके दलालों के लिए यहां जारी आन्दोलन बहुत बड़ी अड़चन बन गया है। जनता के हितों को विश्व बैंक के पैरों में गिरवी रखकर राज्य को कर्ज में डुबोकर साम्राज्यवादी भूमण्डलीकरण की नीतियों को मजबूती से लागू कर रहे नम्बर एक दलाल चन्द्रबाबू खुलेआम ही यह बोल रहा है कि नक्सलवादी आन्दोलन के चलते राज्य में पूंजी निवेश नहीं हो पा रहा है। उसकी कोशिश यह है कि किसी भी कीमत पर इस आन्दोलन को कुचलकर तेलंगाना को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का चरागाह बनाया जाए।

तेलंगाना के आन्दोलन की एक और विशेषता यह है कि नक्सलवादी आन्दोलन के पीछे कदम के बाद जहां समूची क्रान्तिकारी ताकतें बिखर चुकी थीं, वहीं इस आन्दोलन ने गलतियों से सबक सीखकर भारत की क्रान्ति को एक कदम आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। आन्ध्र के अन्य जिलों में तथा पड़ोस के दण्डकारण्य में क्रान्तिकारी आन्दोलन के जड़ें जमाने और मजबूत होने में तेलंगाना के आन्दोलन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यही वजह है कि शासक वर्गों ने देश में क्रान्तिकारी आन्दोलन का सफाया करने की अपनी योजना के तहत तेलंगाना में जारी क्रान्तिकारी आन्दोलन का नामोनिशान तक मिटा देने की मंशा से यह पाशविक हमला छेड़ दिया।

दमन टिकता नहीं – संघर्ष रुकता नहीं

इस बर्बरतम राजकीय दमन के बावजूद भी तेलंगाना की जनता वीरतापूर्वक बलिदान देते हुए संघर्ष में खड़ी है। अपने सैकड़ों प्यारे बेटों और बेटियों को पुलिस की गोलियों का शिकार होते हुए देखकर भी धैर्य के साथ आन्दोलन में डटी हुई है। शहीदों के स्थान लेने के लिए दर्जनों युवक-युवतियां आगे आ रहे हैं। संघर्ष की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं।

पुलिस की लाठियों और गोलियों के बीच ही जनता क्रान्तिकारी आन्दोलन

की पूरी तरह हिफाजत कर रही है। दमन को धिक्कारते हुए विभिन्न तरीकों में अपना विरोध-प्रतिरोध दर्ज कर रही है। पुलिस की तमाम पाबंदियों और पहरेदारी को धता बताते हुए शहीदों की अन्तिमयात्राओं में हजारों लोग भाग ले रहे हैं। शहीदों की हत्याओं का बदला लेने के नारे अभी भी तेलंगाना के गांवों में गूंजते सुनाई देते हैं।

भले ही क्रान्तिकारी आन्दोलन को कुछेक भारी नुकसान हुए हों, लेकिन जनता में संघर्ष का संकल्प, वर्ग-नफरत और शहीदों की हत्याओं के प्रति गुस्सा जनता में अभी भी सुलग रहे हैं। फटने के पहले उबलने वाली ज्वालामुखी की तरह है आज तेलंगाना की जनता।

दमन के पहले और दूसरे दौरों को हराकर क्रान्तिकारी आन्दोलन को आगे ले जाने के अनुभव से लैस जनता इस अभियान को भी जरूर हरा देगी। अगर इसमें विफल हो जाती है तो पराजय से अनुभव सीखकर फिर एक बार बड़े पैमाने पर जनयुद्ध को तेज करेगी। यह इतिहास में साबित हो चुका है। जनता के सामने एक ही विकल्प बचा है कि इस सचाई को समझकर कि “जन सेना के बिना जनता को कुछ नहीं होगा”, पीजीए को मजबूत बनाकर जनयुद्ध को तेज किया जाए।

दरअसल तेलंगाना अकेला नहीं है। उसके साथ-साथ आगे बढ़ रहे छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र के क्रान्तिकारी आन्दोलन भी हैं। इन इलाकों की तमाम जनता को यह समझ लेना चाहिए कि दुश्मन के दमनकारी हमलों को मात देने और जनयुद्ध को तेज करके जनता की नई राजसत्ता की स्थापना करने के लिए एकजुटता के साथ संघर्ष करने की जरूरत है। संयुक्त कमाण्ड के तहत जारी शासक वर्गों के इस दमनकारी अभियान का एकजुटता के साथ पलटकर जवाब देना जरूरी है।

हमें क्या करना है ?

हमारी पार्टी की केन्द्रीय कमेटी ने यह तय किया कि तेलंगाना में जारी फासीवादी दमन के खिलाफ तेलंगाना की जनता के प्रति भाईचारा प्रकट करते हुए **1 से 7 नवम्बर तक** देश भर में विरोध-सप्ताह मनाया जाए। हम दण्डकारण्य के लोगों से आह्वान करते हैं कि इस मौके पर कई रैलियां, प्रदर्शन, सभा आदि का आयोजन करें -- उनमें भारी संख्या में भाग लेकर सफल बनाएं। इस मौके पर फासीवादी चन्द्रबाबू के पुतले जलाकर उसकी दमनकारी नीतियों की भर्त्सना करें। ☘



तड़ित समाचार

गीदम पुलिस थाने पर पीजीए का शानदार हमला !

3 मर्दे, 7 घायल और हथियारों का एक बड़ा जखीरा जल्ल !

जब इस अंक के प्रकाशन की पूरी तैयारी हो चुकी थी, हमें सरकारी रेडियो से खबर मिली है कि 13 सितम्बर 2003 की रात पीजीए के लाल सैनिकों ने दन्तेवाड़ा जिले के गीदम थाने पर एक शानदार हमला किया। इस हमले में 3 पुलिस वाले मारे गए और 7 अन्य घायल हो गए। सरकारी रेडियो के मुताबिक इस हमले में एक पीजीए योद्धा भी शहीद हो गए, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है। सम्भवतः खास तौर पर हथियार जब्त करने के इरादे से किए गए इस हमले के फलस्वरूप पीजीए को हथियारों का एक बड़ा जखीरा हाथ लगा। बताया गया है कि जब्त किए गए हथियारों में कुछ एक-47 की रायफलें और भारी मात्रा में गोलाबारूद भी शामिल है। अगले अंक में, पीजीए की तरफ से इस हमले के सम्बन्ध में रिपोर्ट मिलने के बाद हम इस पर ज्यादा जानकारी दे पाएंगे।

- सम्पादकमण्डल



पीजीए सैनिकों द्वारा पुलिस जवानों का अपहरण - रिहाई

17 जून 2003 को दक्षिण बस्तर डिवीजन में पामेड पुलिस थाने के चार पुलिस कर्मचारियों का पीजीए सैनिकों ने अपहरण कर दो दिन बाद उन्हें बिना किसी नुकसान पहुंचाए छोड़ दिया। यह दण्डकारण्य के क्रान्तिकारी आन्दोलन में अपनी तरह की पहली घटना थी। इस पर लोगों में काफी चर्चा हुई और अखबारों में तरह-तरह की टिप्पणियां की गईं। लेकिन अपनी रिहाई के बाद पामेड के थानेदार सिसोदिया और तीन अन्य जवानों ने यह बयान देकर कि “नक्सलवादियों ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया और उनके द्वारा चलाए जा रहे सामंतवाद-विरोधी तथा साम्राज्यवाद-विरोधी संघर्ष को नकारा भी नहीं जा सकता”, अपने ही अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले इस दुष्प्रचार का जवाब दिया कि “नक्सलवादियों का मकसद सिर्फ हिंसा है।” हालांकि इसके पहले मानपुर (जिला राजनांदगांव) थाने के पुलिस वालों को भी आत्मसमर्पण करने पर बिना किसी क्षति पहुंचाए ही छापामारों ने छोड़ा था। लेकिन यह अपहरण की घटना होने के कारण लोगों में उत्सुकता जागी थी।

क्रान्तिकारी आन्दोलन को कुचलने के लिए जोगी सरकार खासकर पिछले मार्च महीने से पुलिस दमन में काफी इजाफा कर दिया। केन्द्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने ही तालमेल के साथ आन्दोलन का जड़ों से उन्मूलन करने के इरादे से कई कदम उठाए हैं। सीआरपीएफ की दो बटालियनों तैनात करके पूरे बस्तर को मानों पुलिस छावनी में बदल दिया। सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस वालों ने साझे तौर पर अपना दमनात्मक अभियान तेज कर दिया। इसके तहत कई गांवों पर छापेमारियां करके सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया। मारपीट, बलात्कार, घर जलाना, निरपराधियों पर गोली चलाकर घायल कर देना, अदि घटनाएं खास तौर पर पिछली गर्मियों के दौरान जैसे रोजमर्रा की बातें बन गईं। इस दमन को हराने के लिए पीजीए सैनिकों ने सशस्त्र प्रतिरोध कार्यवाहियां तेज कर दीं। पूरे दण्डकारण्य में पीजीए के तीनों बलों ने जनता की सक्रिय मदद से कई शानदार कार्यवाहियां करके सीआरपीएफ के हौसले पस्त कर दिए।

इसके तहत दक्षिण बस्तर के पामेड इलाके में, जो आन्ध्र की सीमा से लगा हुआ है, भी पुलिस ने व्यापक खोजबीन अभियान शुरू करके जनता का दमन शुरू किया। इसके जवाब में चरला (आन्ध्र)- पामेड के बीच पीजीए सैनिकों ने एक घात हमले की योजना बनाई। खबर थी कि इस रास्ते से पुलिस वाले अक्सर आना-जाना करते हैं। बस्तर में पीजीए सैनिकों के बढ़ते हमलों को ध्यान में रखते हुए पुलिस वाले कुछेक बार सादे कपड़ों में और

निहत्थे घूमने में ही अपनी भलाई समझ रहे हैं। हमले के दिन भी पुलिस वाले सादे कपड़ों में और निहत्थे थे। पीजीए सैनिकों ने अपनी नीति के मुताबिक उन्हें गिरफ्तार करने का फैसला लिया। मोटार सायकिलों पर सवार पुलिस वालों को छापामारों ने घेर लिया और आत्मसमर्पण के लिए कह दिया। उन्हें रोकने के लिए हवा में गोलियां चलाईं। लेकिन एक-दो पुलिस वालों ने भागने की कोशिश की। छापामारों ने उन्हें करीब एक किलोमीटर दूर तक दौड़ाकर पकड़ लिया। इस प्रयास में थानेदार सिसोदिया के पैर में हल्की चोट भी लगी थी। छापामारों ने पुलिस वालों के मोटार सायकिलों को मौके पर ही जला दिया। खबर है कि थानेदार के पास मौजूद एक रिवाल्वर भी पीजीए ने छीन लिया।

गिरफ्तार पुलिस वालों को छापामार अपने साथ जंगलों में ले गए। उनमें से दो जवानों को 24 घण्टों बाद रिहा कर दिया। उनके जरिए छापामारों ने अपनी मांगें लिख भेजीं - गांवों पर पुलिस हमले बन्द हों; गश्त और खोजबीन अभियान बन्द हो; सीआरपी बलों को वापिस भेजो। इन मांगों पर अखबार, रेडियो में काफी प्रचार हुआ। पहले तो

**... पीजीए आत्मसमर्पण करने वालों और
निहत्थे पुलिस जवानों को कुछ नहीं करेगी,
बशर्ते कि वे जन-विरोधी गतिविधियों में या
क्रान्ति-विरोधी खुफिया गतिविधियों में
भागीदार न हों। ...**

पुलिस अधिकारियों ने गंभीर घोषणाएं कीं कि नक्सलवादियों को दूँढ निकालेंगे और अपहृत जवानों को छोड़ाएंगे। यहां तक कि आन्ध्र की पुलिस भी पहुंच गई। लेकिन जब छोड़े गए पुलिस वालों के साथ मांग-पत्र भेजा गया, तब पुलिस अधिकारियों को गश्त और खोजबीन अभियान बन्द करने की घोषणा करने पर मजबूर होना पड़ा। इस घोषणा के बाद, अगले दिन थानेदार समेत दो पुलिस वालों को रिहा कर दिया गया।

इस कार्यवाही के जरिए पीजीए ने अपनी इस नीति से सभी जनता को और खासतौर पर साधारण पुलिस जवानों को समझा दिया कि वह आत्मसमर्पण करने वालों और निहत्थे पुलिस जवानों को कुछ नहीं करेगी बशर्ते कि वे जन-विरोधी गतिविधियों में या क्रान्ति-विरोधी खुफिया गतिविधियों में भागीदार न हों। रिहा किए गए पुलिस वालों ने पत्रकार वार्ता में पीजीए सैनिकों के व्यवहार के बारे में सकारात्मक बयान दिया। उन्होंने क्रान्तिकारी आन्दोलन के लक्ष्यों के प्रति अपनी हमदर्दी भी जता दी। उन्होंने संघर्ष के इलाकों में नौकरी न करने की इच्छा जाहिर की। इस घटनाक्रम से उन पुलिस अधिकारियों और शोषक नेताओं के मुंह पर जैसे थप्पड़ लग चुकी है जो आए दिन “नक्सलियों की मनमानी व अविवेकपूर्ण हिंसा” कहकर गलत प्रचार करते हुए लोगों को गुमराह करने के प्रयास करते रहते हैं। ☺

युद्ध में मनुष्य की गत्यात्मक भूमिका


- माओ त्सेतुङ

[हाल ही हमारी दण्डकारण्य पार्टी के तीसरे अधिवेशन की पहली प्लेनम सम्पन्न हुई है। इसमें “पीजीए की लड़ाकू क्षमता को बढ़ाएंगे! जनयुद्ध को तेज करते हुए शत्रु-दमन को मात देंगे” को हमने केन्द्रीय कार्यभार के तौर पर लिया। इसके अलावा “पार्टी को सुदृढ़ बनाने, सैन्य मोर्चे को मजबूत बनाने और संयुक्त मोर्चे की नींव डालने” के मुख्य कार्यभार भी प्लेनम ने तय किया। फिलहाल हमारी पार्टी 12 राज्यों में काम कर रही है। इन राज्यों में ग्रामीण इलाके को आधार बनाकर उत्पीड़ित जनता को गोलबन्द करके कृषि क्रांति को सफल बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। अनुकूल भौगोलिक स्थिति वाले रणनीतिक इलाकों में आधार इलाके कायम करने की दिशा में अपने काम को केन्द्रित किया गया। क्रांति को सफल बनाने के लिए, जैसा कि माओ ने बताया, पार्टी, जनसेना और और संयुक्त मोर्चा – इन तीनों अंगों की आवश्यकता है। फिलहाल इनमें पहले के दो – हमें पार्टी और जनसेना हैं। जहां तक संयुक्त मोर्चे का सवाल है, हमें इसमें व्यावहारिक अनुभव ज्यादा नहीं है। कॉमरेड माओ त्सेतुङ द्वारा 1938 में लिखे गए लेख “दीर्घकालीन युद्ध के बारे में” के तीन अध्याय – “युद्ध में मनुष्य की गत्यात्मक भूमिका,” “युद्ध और राजनीति” तथा “जापानी-आक्रमण-विरोधी युद्ध के लिए राजनीतिक जत्थेबन्दी” हम इस अंक में प्रस्तुत कर रहे हैं। आशा है इनके अध्ययन से भारत में नव जनवादी क्रांति के लक्ष्य से दीर्घकालीन जनयुद्ध को आगे ले जाने के कार्य में लगे हुए कॉमरेडों को उपयोग होगा।

- सम्पादक मण्डल]

.....

जब हम यह कहते हैं कि हम किसी समस्या के प्रति मनोगतवादी रवैये के खिलाफ हैं, तो हमारा मतलब यह होता है कि हमें ऐसे विचारों का अवश्य विरोध करना चाहिए जो वस्तुगत तथ्यों पर आधारित नहीं होते या उनके अनुरूप नहीं होते, क्योंकि ऐसे विचार काल्पनिक और झूठे होते हैं, और उन्हें आधार बनाकर कार्यवाही करने से हमें असफलता का मुंह देखना पड़ेगा। लेकिन काम तो मनुष्य के प्रयत्न से ही पूरा होगा। मनुष्य द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के बिना दीर्घकालीन युद्ध नहीं चलाया जा सकता और न अन्तिम विजय ही प्राप्त की जा सकती है। इस कार्यवाही को कारगर ढंग से चलाने के लिए ऐसे लोग होने चाहिए जो वस्तुगत तथ्यों के आधार पर अपने विचार, सिद्धांत व मत कायम करते हैं और तब योजनाएं, निर्देशक उसूल, नीतियां, रणनीतियां व कार्यनीतियां बनाते हैं। विचार आदि मनोगत चीजें हैं, जबकि प्रयत्न या कार्यवाहियां मनोगत बातों के ही वस्तुगत जाहिरा रूप हैं, लेकिन दोनों ही मानव जाति की विशिष्ट गत्यात्मक भूमिका का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसी गत्यात्मक भूमिका को हम “मनुष्य की जागरूक गत्यात्मक भूमिका” कहते हैं, और यह एक ऐसी विशेषता है जो मनुष्य को अन्य सभी वस्तुओं से भिन्न बना देती है। ऐसे सभी विचार जो वस्तुगत तथ्यों पर आधारित हैं और उनके अनुरूप हैं, सही



विचार हैं, और ऐसे सभी प्रयत्न या ऐसी सभी कार्यवाहियां जो सही विचारों पर आधारित हैं, सही कार्यवाहियां हैं। हमें ऐसे विचारों और ऐसी कार्यवाहियों, ऐसी जागरूक गत्यात्मक भूमिका का पूरी तरह विकास करना चाहिए। हमारा जापानी-आक्रमण-विरोधी युद्ध साम्राज्यवाद को बाहर खदेड़ने और पुराने चीन को एक नए चीन में बदलने के लिए लड़ा जा रहा है; यह उद्देश्य तभी प्राप्त किया जा सकता है जब सारे चीन की जनता को गोलबन्द कर लिया जाए और समूची जनता जापान का प्रतिरोध करने के लिए अपनी जागरूक गत्यात्मक भूमिका को विकसित करे। यदि हम केवल हाथ पर हाथ धरकर बैठ गए और हमने कोई कदम नहीं उठाया, तो ऐसी हालत में केवल गुलामी ही हमारे हाथ लगेगी और न

तो दीर्घकालीन युद्ध ही चलाया जा सकेगा और न अन्तिम विजय ही प्राप्त की जा सकेगी।

जागरूक गत्यात्मक भूमिका अदा करना मनुष्य की विशिष्टता है। युद्ध में मनुष्य की यह विशिष्टता अत्यधिक प्रखर होकर अभिव्यक्त होती है। हां, इतनी बात जरूर है कि युद्ध में विजय या पराजय का निर्णय दोनों पक्षों की फौजी, राजनीतिक, आर्थिक और भौगोलिक परिस्थितियों से होता है, प्रत्येक पक्ष द्वारा चलाए जा रहे युद्ध के स्वरूप से और प्रत्येक पक्ष को मिलने वाली अन्तर्राष्ट्रीय सहायता से

कॉमरेड माओ को उनके 27वें शहादत दिवस पर लाल सलाम !

होता है, लेकिन उसका निर्णय केवल इन्हीं बातों से नहीं होता; इन बातों में तो केवल विजय या पराजय की सम्भावनाएं ही निहित होती हैं, लेकिन वे मसले का निर्णय नहीं करतीं। मसले के निपटारे के लिए तो मनोगत प्रयत्न की आवश्यकता भी होती है, अर्थात् युद्ध का निर्देशन करने और युद्ध में लगे रहने की, युद्ध में मनुष्य की जागरूक गत्यात्मक भूमिका की आवश्यकता होती है।

विजय प्राप्त करने की कोशिश में, जो लोग युद्ध का निर्देशन करते हैं, वे वस्तुगत परिस्थितियों द्वारा निर्धारित सीमाओं को लांघ नहीं सकते; लेकिन इन सीमाओं के भीतर रहते हुए वे विजय प्राप्त करने के प्रयत्न में गत्यात्मक भूमिका अदा कर सकते हैं और उन्हें ऐसा करना भी चाहिए। किसी युद्ध के कमाण्डरों को अपनी कार्यवाही का मंच वस्तुगत सम्भावनाओं के आधार पर बनाना चाहिए, लेकिन इस मंच पर वे लोग विविध प्रकार की ध्वनियों और विविध प्रकार के रंगों से परिपूर्ण जोरदार व शानदार नाटकों का निर्देशन कर सकते हैं। निश्चित वस्तुगत भौतिक आधार पर जापानी-आक्रमण-विरोधी युद्ध के कमाण्डरों को युद्ध में अपना शौर्य-प्रदर्शन करना चाहिए और राष्ट्र के लिए जिसमें हमारा समाज और हमारा देश आक्रमण व उत्पीड़न का शिकार बना हुआ है, और स्वतंत्रता तथा समानता वाले नए चीन का निर्माण करने के लिए अपनी तमाम फौजी शक्तियों का नेतृत्व करना चाहिए; इसी कार्य में युद्ध का निर्देशन करने की हमारी मनोगत योग्यता का इस्तेमाल हो सकता है और होना भी चाहिए। हम इस बात के पक्ष में नहीं हैं कि जापानी-आक्रमण-विरोधी युद्ध का हमारा कोई भी कमाण्डर अपने को वस्तुगत परिस्थितियों से अलग करके अन्धाधुन्ध कार्यवाही करने वाला एक अति-उतावला व्यक्ति बन जाए, लेकिन हम इस बात का जरूर समर्थन करते हैं कि हमारा प्रत्येक कमाण्डर एक ऐसा सेनानी बन जाए जो साहसी और विवेकशील दोनों हो। हमारे कमाण्डरों में केवल दुश्मन को तबाह कर देने का साहस ही नहीं होना चाहिए, बल्कि उनमें सम्पूर्ण युद्ध में होने वाले परिवर्तनों और फेर-बदल के दौरान स्थिति पर पूरा नियंत्रण रखने की योग्यता भी होनी चाहिए। युद्ध के अगाध सागर में तैरते हुए उन्हें न सिर्फ अपने को डूबने नहीं देना चाहिए, बल्कि नपे-तुले हाथ मारकर निश्चय के साथ दूसरे तट पर पहुंच जाना चाहिए। युद्ध के निर्देशन के नियमों के रूप में, रणनीति और कार्यनीति युद्ध के सागर में तैरने की कला ही है।

युद्ध और राजनीति

“युद्ध राजनीति का ही जारी रूप है।” इस मायने में युद्ध राजनीति ही है और युद्ध स्वयं भी एक राजनीतिक कार्यवाही है; प्राचीन काल से ही ऐसा युद्ध कभी नहीं हुआ जिसका स्वरूप राजनीतिक न रहा हो। जापानी-आक्रमण-विरोधी युद्ध समूचे चीनी राष्ट्र द्वारा चलाया जाने वाला एक क्रांतिकारी युद्ध है, उसकी विजय को उसके राजनीतिक उद्देश्य से, यानी जापानी साम्राज्यवाद को बाहर खदेड़ने और स्वतंत्रता तथा समानता वाले नए चीन का निर्माण करने

के कार्य से अलग नहीं किया जा सकता, प्रतिरोध-युद्ध को अविचल रूप से चलाते रहने और संयुक्त मोर्चे को अविचल रूप से बनाए रखने की आम नीति से अलग नहीं किया जा सकता, पूरे देश की जनता को गोलबन्द करने के कार्य से अलग नहीं किया जा सकता, अफसरों और सिपाहियों के बीच एकता कायम करने, सेना और जनता के बीच एकता कायम करने और दुश्मन की फौजों को छिन्न-भिन्न करने के राजनीतिक उसूलों से अलग नहीं किया जा सकता, संयुक्त मोर्चे की नीति को अच्छी तरह लागू करने से, सांस्कृतिक मोर्चे पर गोलबन्द करने के कार्य से और अन्तर्राष्ट्रीय समर्थन व शत्रु-देश की जनता का समर्थन हासिल करने के प्रयत्नों से अलग नहीं किया जा सकता। संक्षेप में, युद्ध को एक क्षण के लिए भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। जापान-विरोधी सशस्त्र शक्तियों के बीच, राजनीति के महत्व को कम करके आंकने की ऐसी किसी भी प्रवृत्ति का होना, जो युद्ध को राजनीति से अलग करके युद्ध में निरपेक्षतावाद की हिमायत करती है, गलत होगा और उसे दूर किया जाना चाहिए।

लेकिन युद्ध की अपनी अलग विशेषताएं होती हैं और इस मायने में युद्ध को सामान्य राजनीति के समकक्ष नहीं रखा जा सकता। “युद्ध अन्य उपायों के जरिए राजनीति का ही जारी रूप है।” जब राजनीति विकसित होकर एक निश्चित मंजिल पर पहुंच जाती है, जिसके बाद वह सामान्य साधनों द्वारा आगे नहीं बढ़ सकती, तो उसके रास्ते की रुकावटों को दूर करने के लिए युद्ध शुरू हो जाता है। मिसाल के लिए, चीन की अर्ध-स्वाधीन स्थिति जापानी साम्राज्यवाद के राजनीतिक विकास के रास्ते में एक रुकावट थी, इसलिए उस रुकावट को दूर करने के लिए जापान ने एक आक्रमणकारी युद्ध छेड़ दिया। और चीन की हालत कैसी है? साम्राज्यवादी उत्पीड़न बहुत दिनों से चीन की पूंजीवादी-जनवादी क्रांति के रास्ते की रुकावट रहा है, इसलिए उसे दूर करने के प्रयत्न में अनेक मुक्ति युद्ध लड़े गए हैं। चूंकि जापान अब चीन का उत्पीड़न करने के लिए और चीनी क्रांति की प्रगति को पूर्णतः रोकने के लिए युद्ध का इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए इस रुकावट को दूर करने के अपने संकल्प में चीन के सामने दृढ़ता के साथ जापानी-आक्रमण-विरोधी युद्ध चलाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जब रुकावटें दूर हो जाएंगी, तो राजनीतिक लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा और युद्ध रुक जाएगा। लेकिन अगर रुकावटें पूरी तरह से दूर नहीं होंगी, तो युद्ध को उस समय तक जारी रहना होगा जब तक लक्ष्य पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर लिया जाता। मिसाल के लिए, अगर कोई यह चाहेगा कि जापानी-आक्रमण-विरोधी युद्ध का उद्देश्य पूरा होने के पहले ही समझौता हो जाए, तो वह निश्चय ही असफल होगा; क्योंकि यदि किन्हीं कारणों से समझौता हो भी गया, तो भी युद्ध फिर से शुरू हो जाएगा, क्योंकि व्यापक जनता उसे हरगिज स्वीकार नहीं करेगी, बल्कि युद्ध को तब तक जारी रखेगी जब तक कि उसका राजनीतिक उद्देश्य पूर्णतः प्राप्त नहीं हो जाता। इसलिए यह कहा जा सकता है कि

राजनीति रक्तपातहीन युद्ध है जबकि युद्ध रक्तपातयुक्त राजनीति है।

युद्ध की विशिष्टताओं से युद्ध के लिए विशेष प्रकार के संगठनों के समूह, सिलसिलेवार विशेष प्रकार के तरीकों और विशेष प्रकार की प्रक्रिया का जन्म होता है। ये संगठन हैं हथियारबन्द फौजें और उनके साथ चलने वाली तमाम चीजें। ये तरीके हैं युद्ध के निर्देशन की रणनीति और कार्यनीति। और यह प्रक्रिया है सामाजिक कार्यवाही का वह विशिष्ट रूप जिसमें दोनों पक्षों की सशस्त्र फौजें अपने लिए अनुकूल और दुश्मन के लिए प्रतिकूल रणनीति और कार्यनीतियां अपनाकर एक दूसरे पर आक्रमण करती हैं या एक दूसरे से अपनी रक्षा करती हैं। इसलिए युद्ध का अनुभव एक विशेष प्रकार का अनुभव है। युद्ध में हिम्सा लेने वाले सभी लोगों को चाहिए कि वे अपनी साधारण आदतों को छोड़कर अपने आपको युद्ध का आदी बना लें; केवल तभी वे विजय प्राप्त कर सकते हैं।

जापानी-आक्रमण-विरोधी युद्ध के लिए राजनीतिक जत्थेबन्दी

हमारे जैसे महान राष्ट्रीय क्रांतिकारी युद्ध में व्यापक और गहन राजनीतिक जत्थेबन्दी के बिना विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। प्रतिरोध-युद्ध शुरू होने के पहले जापान का प्रतिरोध करने के लिए राजनीतिक जत्थेबन्दी करने का काम नहीं किया गया; यह एक बहुत बड़ी कमजोरी रही, जिसकी वजह से चीन जापान से एक कदम पीछे रह गया। युद्ध शुरू होने के बाद भी, गहन राजनीतिक जत्थेबन्दी की बात तो दूर रही, व्यापक राजनीतिक जत्थेबन्दी भी नहीं हुई। जनता की विशाल बहुसंख्या को युद्ध की खबर दुश्मन की गोलीबारी और हवाई बमबारी द्वारा ही मिली। यह भी एक प्रकार की जत्थेबन्दी ही थी, लेकिन वह हमारे लिए दुश्मन द्वारा की गई थी, न कि हमारे द्वारा। सुदूर क्षेत्रों के लोग, जिन तक गोलीबारी की आवाज नहीं पहुंची, अब भी पहले ही जैसे शान्ति से जीवन बिता रहे हैं। इस स्थिति को बदलना होगा, अन्यथा हम अपने जीवन-मरण के युद्ध में विजय नहीं प्राप्त कर सकते। एक और कदम के मामले में हमें अपने दुश्मन से पीछे कतई नहीं रहना चाहिए; इसके विपरीत, हमें इस कदम का, राजनीतिक जत्थेबन्दी का, पूरा-पूरा फायदा उठाकर दुश्मन से बाजी मार लेनी चाहिए। यह एक निर्णायक कदम है; दरअसल सर्वोच्च महत्व का कदम है, जबकि हथियारों तथा अन्य बातों में हमारी कमजोरी केवल गौण महत्व की बात है। सारे देश की आम जनता को जत्थेबन्द करके हम उसके एक ऐसे विशाल सागर में बदल देंगे जिसमें हमारा दुश्मन डूब मरने की स्थिति में पड़ जाएगा, तथा हम ऐसी परिस्थिति पैदा कर लेंगे जिसकी मदद से हथियारों और दूसरी बातों में अपनी कमी को दूर कर सकें और ऐसी पूर्व शर्तें तैयार कर लेंगे जिनकी मदद से युद्ध में हर कठिनाई पर काबू पा सकें। विजय प्राप्त करने के लिए हमें अविचल रूप से प्रतिरोध-युद्ध चलाते रहना चाहिए, संयुक्त मोर्चे को कायम रखना चाहिए और दीर्घकालीन युद्ध जारी रखना चाहिए। लेकिन इनमें से किसी भी काम को आम

जनता की जत्थेबन्दी के काम से अलग नहीं किया जा सकता। राजनीतिक जत्थेबन्दी के काम की उपेक्षा करके विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने का मतलब है “रथ को उत्तर की ओर हांकते हुए दक्षिण की ओर जाने” की इच्छा रखना, इसका नतीजा लाजमी तौर पर यह होगा कि हम अपनी विजय से हाथ धो बैठेंगे।

राजनीतिक जत्थेबन्दी का मतलब क्या है? इसका मतलब है, पहला, फौज और जनता को यह बताना कि युद्ध का राजनीतिक उद्देश्य क्या है। हर सैनिक और हर नागरिक को यह समझाया जाना बहुत जरूरी है कि युद्ध क्यों लड़ा जाना चाहिए और उसका युद्ध से क्या सम्बन्ध है। जापानी-आक्रमण-विरोधी युद्ध का राजनीतिक उद्देश्य है “जापानी साम्राज्यवाद को बाहर खदेड़ देना और स्वतंत्रता तथा समानता वाले नए चीन का निर्माण करना”; यह राजनीतिक उद्देश्य हमें तमाम लोगों – तमाम सैनिकों और तमाम असैनिक लोगों – को बता देना चाहिए; केवल तभी हम एक जापान-विरोधी उभार पैदा कर सकते हैं और दसियों करोड़ लोगों को युद्ध के लिए अपना सब कुछ दे डालने के लिए एकजुट कर सकते हैं। दूसरा, उन्हें केवल उद्देश्य बता देना ही काफी नहीं है; इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निर्धारित कदमों और नीतियों को भी स्पष्ट कर देना चाहिए, यानी एक राजनीतिक कार्यक्रम भी होना चाहिए। हमारे पास “जापान का प्रतिरोध करने और देश को बचाने का दससूत्री कार्यक्रम” और “सशस्त्र प्रतिरोध व राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का कार्यक्रम” मौजूद ही हैं; हमें इन दोनों कार्यक्रमों का फौजों और जनता के बीच व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार करना चाहिए और उन्हें कार्यरूप में परिणत करने के लिए उन सबको गोलबन्द करना चाहिए। एक स्पष्ट और ठोस राजनीतिक कार्यक्रम के बिना जापानी-आक्रमण-विरोधी युद्ध को अन्त तक चलाने के लिए सभी फौजों और समूची जनता को गोलबन्द करना असम्भव है। तीसरा, यह जत्थेबन्दी किस प्रकार की जाए? यह जत्थेबन्दी भाषणों के जरिए, पर्चों और बुलेटिनों के जरिए, अखबारों, किताबों और पुस्तिकाओं के जरिए, नाटकों और फिल्मों के जरिए, विद्यालयों, जन-संगठनों और अपने कार्यकर्ताओं के जरिए की जानी चाहिए। क्वोमिन्ताङ-शासित क्षेत्रों में इस बारे में अब तक जो कुछ किया गया है, वह समुद्र में एक बून्द के समान है। और जो किया भी गया है वह इस ढंग से किया गया है जो जनता की रुचि के अनुकूल नहीं है तथा उसे करने में जनता की भावनाओं का ख्याल नहीं रखा गया है; इसमें संजीदगी से सुधार किया जाना चाहिए। चौथा, केवल एक बार जत्थेबन्दी कर लेना ही काफी नहीं है; जापानी-आक्रमण-विरोधी युद्ध के लिए राजनीतिक जत्थेबन्दी लगातार जारी रहनी चाहिए। हमारा काम यह नहीं है कि हम अपने राजनीतिक कार्यक्रम को लोगों के सामने दोहरा भर दें, क्योंकि इस प्रकार दोहराने से उसे कोई भी नहीं सुनेगा; बल्कि हमें युद्ध के लिए राजनीतिक जत्थेबन्दी करने के काम को युद्ध घटना-क्रम से, सैनिकों और आम जनता के जीवन से जोड़ देना चाहिए और उसे एक आन्दोलन के रूप में लगातार चलाते रहना चाहिए। यह एक बेहद महत्व का मामला है जिस पर युद्ध में हमारी विजय मुख्य रूप से निर्भर है। ❁

गड़चिरोली में राजकीय हिंसा का नंगा नाच

जनता में बढ़ रहा संगठित प्रतिरोध

पिछले जनवरी माह में मानपुर में लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। मानपुर राजनांदागांव जिले के होने के बावजूद वहां रैली निकालने वालों में गड़चिरोली जिले के लोग ही अधिक थे, जो उसके पड़ोस में है। उसके पहले 10 दिसम्बर को अहेरी इलाके के मरिपल्ली गांव में लोगों ने बड़ी संख्या में पुलिसिया दमन के खिलाफ आवाज उठाई थी। फिर अप्रैल में टिप्रागढ़ इलाके के गारपती में भी लोगों ने एक बहुत बड़ी रैली निकालकर पुलिसिया जुल्म का विरोध किया। ये वही लोग थे जो सालों से पुलिस थानों और कैपों में कई यातनाओं का शिकार होते रहे और झूठे मामलों में फंसाए जाते रहे। शायद बाहरी दुनिया को यह सचाई मालूम न हो कि इन लोगों के शरीर पुलिस की लाठियों के प्रहार से और थानों में जबरन करवाई जा रही बेगारी मजदूरी से सख्त हो चुके थे। पत्नी के सामने पति को और पति के सामने पत्नी को, बहन के सामने भाई को और भाई के सामने बहन को - लोगों को अमानवीय ढंग से मारा-पीटा गया और अपमानित किया गया। लेकिन अब उन्ही लोगों ने पुलिसिया अत्याचारों के खिलाफ बुलन्द हौसलों के साथ आवाज उठाई। पुलिस को इनकी संगठित शक्ति के सामने सिर झुकाना पड़ा - माफी मांगनी पड़ी। जनता के इस प्रतिरोधी संघर्ष की पृष्ठभूमि क्या है? यह सिलसिला कब से चलता आ रहा है? गड़चिरोली में और यहां तक कि समूचे विदर्भ क्षेत्र में आज क्या हो रहा है? पुलिस और कमाण्डो बलों को इस तरह बड़ी संख्या में क्यों तैनात किया जा रहा है? जनता के खिलाफ दमन अभियान क्यों? किसके हितों की रक्षा में? इस क्षेत्र में जारी क्रान्तिकारी आन्दोलन से शासक वर्ग इतना खफा क्यों है? किस आधार पर या किस भरोसे से गड़चिरोली का एसपी राजवर्धन यह दावा कर पा रहा है कि वह 2005 तक क्रान्तिकारी आन्दोलन का सफाया कर देगा? प्रस्तुत लेख में इन सवालों का जवाब ढूंढने का प्रयास किया गया है।

1. गड़चिरोली जिले में पुलिसिया दमन

गड़चिरोली जिला सरकार के हिसाब से महाराष्ट्र में आता है। पर क्रान्तिकारी आन्दोलन के इतिहास में वह छत्तीसगढ़ के दायरे में आने वाले बस्तर के साथ दण्डकारण्य का हिस्सा है। 1982 में चन्द्रपुर जिले से अलग कर गड़चिरोली जिला का गठन किया गया। इस जिले में मौजूद कुल 12 तहसीलों में 8 को सरकार ने आदिवासी तहसील घोषित किया। आरमूर तहसील को छोड़ दें तो बाकी सभी तहसीलों के साथ क्रान्तिकारी आन्दोलन का सम्बन्ध है। यह सम्बन्ध एक वर्ग-सम्बन्ध है जो खून के सम्बन्ध से बढ़कर है। एक दशक के दौरान शहीद पेद्दि शंकर से भास्कर तक 12 क्रान्तिकारियों की अनमोल कुरबानियों से यह सम्बन्ध मजबूत बना है। इस तरह 1990 के दशक तक 10 साल के दौरान जिले की जनता के साथ क्रान्तिकारी आन्दोलन

का सम्बन्ध मजबूत होने के कारण राज्य सरकार ने दमन शुरू किया। पहली बार 1991 में 'विशेष एक्शन प्लान' को लागू किया गया। 1991-94 के बीच तीव्र दमन, अत्याचार और झूठी मुठभेड़ों का सिलसिला शुरू हो गया। 1993-94 के दौरान करीब 60 संघर्षकारियों ने अपने प्राणों को न्यौछावर किया। गड़चिरोली की जनता को भयानक दमन का सामना करना पड़ा। चन्द्रपुर, भण्डारा और गड़चिरोली जिलों से पुलिस ने 5 हजार आदिवासी किसानों को 'टाडा' के तहत गिरफ्तार किया जो अपने आप में एक रिकार्ड था। टाडा कानून को वापिस लेने के बावजूद आज भी इन किसानों को अदालतों का चक्कर काटना ही पड़ रहा है।

2001 में पुलिस की यातनाओं को बर्दाश्त न करते हुए अहेरी इलाके के ग्राम मिच्चुगुण्डा के एक किसान ने खुदकुशी कर ली। 27 मार्च 2001 को पुलिस ने भामरागढ़ इलाके के ग्राम कोहकापरसी के एक किसान चिन्ना मट्टामी को तब गोली मार दी जब वह शिकार करने जंगल में गया हुआ था। छत्तीसगढ़ पुलिस का महाराष्ट्र में हमले कर आना आए दिन बढ़ रहा है। महाराष्ट्र पुलिस के छत्तीसगढ़ के गांवों पर हमले एक दशक पहले ही शुरू हो चुका है। 20 अगस्त 2000 को माड़ डिवीजन के ऊसेवाड़ा गांव में महाराष्ट्र पुलिस ने धावा बोला था। 20 मकानों वाली उस बस्ती में पुलिस ने जनता को यातनाएं देकर घरों से कम्बलों समेत बहुत सारा सामान लूट लिया। पास की एक पहाड़ी के ऊपर से कुछ चरवाह बच्चे जब यह सारा नजारा देख रहे थे तब पुलिस ने उन पर 20 राउण्ड गोलियां चलाईं। जाते-जाते उन्होंने गोगा ऊसेंडी और एडमा पोदामी नाम के दो बुजुर्ग किसानों को गिरफ्तार कर लिया। वे जब इन दोनों वृद्धों को ले जा रहे थे तब गांव की सभी महिलाओं ने एकजुट होकर उन्हें रास्ते में घेर लिया। उन महिलाओं में गोगा की पत्नी भी शामिल थी जिसने अपना चप्पल निकाल कर पुलिस को मारने की कोशिश की। इससे सकपकाए पुलिस वालों ने दोनों वृद्धों को छोड़ दिया। वृद्धों पर भी कहर बरपाकर गड़चिरोली पुलिस ने जनता में गुस्सा ही बढ़ाया।

वर्ष 2002 में भी पुलिस का यही इतिहास रहा। जिले भर में सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनमें 230 लोगों को जेल भेज दिया गया। इसके अलावा पुलिसिया अत्याचारों के अन्य कई मामले भी प्रकाश में आए। 2003 में भी जनवरी से लेकर गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी ही है। खास तौर पर अप्रैल-जून के बीच 398 लोगों को गिरफ्तार किया गया जिनमें से 182 लोगों पर झूठे मामले दर्ज करके जेल भेजा गया।

संक्षेप में कहा जाए, तो 'टाडा' और 'पोटा' कानूनों के तहत बन्दी बनाए गए लोगों को छोड़ भी दें तो पिछले 10-15 सालों से कई सैकड़ों लोग कोर्ट-कचहरियों का चक्कर लगा रहे हैं। 2001 से अब

तक 711 लोग हर सप्ताह थाने में हाजिरी दे रहे हैं। खास तौर पर अहेरी छापामार दस्ते का भूतपूर्व उप कमाण्डर आनन्द की गद्दारी के कारण न सिर्फ किसानों, बल्कि छात्रों, कर्मचारियों और छोटे व्यापारियों को भी पुलिस ने प्रताड़ित किया। पोस्टर लिखने और पत्रिकाएं पढ़ने के आरोप में मरिपल्ली और मोतकुपल्ली गांवों से 20 छात्रों (जो चौथी कक्षा से 10वीं कक्षा तक के हैं) को गिरफ्तार करके उन्हें बुरी तरह पीटा। कमलापुर और जिम्मलागट्टा से 10 व्यापारियों को अभी भी हर सप्ताह थाने में हाजिरी देनी पड़ रही है।

धन के डम्पों की तलाश : क्रांतिकारी आन्दोलन को कुचलने के अभियान में लगे कई पुलिस अधिकारियों को जगह-जगह देखा जा सकता है। पूर्व में माड डिवीजन में उप कमाण्डर रहे समर ने जब पुलिस के सामने घुटने टेके थे, तब उसकी दी हुई सूचना के आधार पर पुलिस ने पार्टी का धन हड़प लिया। अब अहेरी का उप कमाण्डर आनन्द से पार्टी के धन का पता जानकर अगस्त 2001 में पुलिस ने खोजबीन की। पूरे एरिया से पुलिस ने कुल 27 डम्प जब्त कर लिए। इनमें से कुछ साज-सामान के थे जबकि कुछ और पैसे के थे। इनमें कुल 10 लाख रुपए थे। इनका पता लगाने के लिए गांवों में मौजूद विभिन्न संगठनों के लोगों को पुलिस ने क्रूरतम यातनाएं दीं। लोगों द्वारा अनाज के सहकार संगठनों के माध्यम से इकट्ठे किए गए 151 क्विन्टल धान को भी पुलिस ने जब्त कर लिया। लोगों ने साख संगठनों में 60,140 रुपए जमा करके रखे तो पुलिस ने उनसे दुगुना - यानी 1,20,280 रुपए वसूले। पार्टी के लिए श्रमदान करके 29 गांवों के लोगों ने 49,900 रुपए पार्टी को देने के लिए जमा किए तो यह जानकर पुलिस ने उनसे दुगुना - 99,960 रुपए वसूल कर जनता से बदला लिया। ग्राम मरिपल्ली में एक धनी किसान को डरा-धमकाकर 70 हजार रुपए जबर्दस्ती वसूले। रेगुलवाई गांव में एक बूढ़ी औरत के घर में घुसकर 17 हजार रुपए लूट लिए। जिले में सूखा पड़ा तो इस इलाके में कुछ व्यापारियों ने लोगों को सहायता के तौर पर कुछ अनाज-पैसे दिए थे। आनन्द ने यह जानकारी भी पुलिस को दी। इससे बौखलाई पुलिस ने हर व्यापारी से दुगुना अनाज-पैसा वसूल लिया। जनता के साथ गद्दारी करके आनन्द ने पुलिस को जो सूचनाएं दीं, उसके आधार पर पुलिस ने लोगों पर कहर ढाया। पिछले 10 सालों में पुलिस द्वारा किए गए बर्बरतापूर्ण हमलों में जनता को आर्थिक रूप से जितना नुकसान हुआ, उसके ब्यौरे इस लेख में पेश करना मुश्किल है।

ग्रामीणों के जरिए बेगारी मजदूरी: आनन्द की गद्दारी के बाद पुलिस वाले अहेरी थाने में गांव-गांव से किसानों को बुलाकर उनसे कई प्रकार की बेगारी मजदूरी करवा रहे हैं। घास उखाड़ने से लेकर कई प्रकार के काम! इसके पीछे इरादा यह है कि किसानों को मानसिक रूप से तोड़ा जाए। मरिपल्ली में नया पुलिस कैम्प खोलकर एक-एक गांव से 10-15 गाड़ियों से जलाऊ लकड़ी डलवाई गई। पुलिस थाना बनाने के लिए रेत, ईंट आदि आसपास के गांवों से मुफ्त में मंगवाई गई। लोगों को ये सब देने पर मजबूर किया गया।

अगस्त से फरवरी तक लोगों को इन कामों के लिए मजबूर किए जाने से उनके खेती के सारे काम ठप्प हो गए। पहले ही आदिवासियों की खेती का हाल खस्ता है तो पुलिस की जबर्दस्ती ने उनकी मुसीबतें और भी बढ़ा दीं।

पुलिसिया अत्याचार: गड़चिरोली में बढ़े हुए दमन की पृष्ठभूमि में महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाओं में भी बढ़ोतरी हुई। हाट बाजारों में और अन्य जगहों में ग्रामीण महिलाओं और छात्राओं के साथ पुलिस बलों द्वारा बलात्कार की घटनाएं अब ज्यादा बढ़ गईं। अहेरी तहसील में एक महिला के साथ सामूहिक अत्याचार की घटना अभी भी जनता नहीं भूल पाई। एक अन्य घटना में परीक्षा देने गई छात्राओं के कमरे में घुसकर पुलिस दरिन्दों ने सामूहिक बलात्कार किया। जब पीड़ित महिलाएं इस पर रिपोर्ट लिखवाने थाने गईं तब दरोगा ने उन्हें डरा-धमकाकर भगा दिया। मानपुर रैली में भी पुलिसिया अत्याचार का शिकार हुई दो महिलाओं ने पुलिस से माफी मंगवाई।

2. क्रांतिकारी आन्दोलन का सफाया करने शासक वर्गों की साजिश

पुलिस बलों की तैनाती: जनता की मौलिक समस्याओं का हल करने में बुरी तरह विफल हो चुकी महाराष्ट्र सरकार ने पुलिस थानों और कैम्पों की संख्या 49 तक बढ़ा दी। इनमें 3,000 से ज्यादा पुलिस बल मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त वड्सा (देशाईगंज) में 1,200 जवानों के साथ एसआरपी मुख्यालय भी खोला गया। इसके अलावा जिले में 1,000 होमगार्ड और 100 महिला होमगार्ड भी मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त राज्य के अलग हिस्सों से भी पुलिस बल आते ही रहते हैं। स्थानीय लोगों को बड़ी संख्या में भर्ती करके कमाण्डो बल बनाया गया जो एक दशक से कार्यरत है।

नागपुर में सरकार एक पुलिस अकादमी खोलने जा रही है। आन्ध्रप्रदेश में वरंगल और हैदराबाद में भी इसी तरह के केन्द्र खोले गए हैं। सरकार इसका लक्ष्य चाहे जो भी बताए, असली लक्ष्य तो विदर्भ क्षेत्र में फैले हुए क्रांतिकारी आन्दोलन को केन्द्र-राज्य सरकारों की संयुक्त योजना के अनुसार कुचलना है। 9 राज्यों में फैले हुए क्रांतिकारी आन्दोलन को कुचलने के लिए केन्द्र सरकार की देखरेख में गठित जेओसी द्वारा छत्तीसगढ़, आन्ध्र, महाराष्ट्र के पुलिस बलों के साथ मिलकर आन्दोलन को कुचलने की योजना के तहत ही यह अकादमी खोली गई। वड्सा (देशाईगंज) और नागपुर को पुलिस का अड्डा बनाना इसी साजिश का हिस्सा है। हालांकि सरकार माफिया को कुचलना भी अपना इरादा बता रही है। लेकिन जहां तक माफिया की समस्या का सवाल है, यह समस्या उसे मुम्बई में ज्यादा है।

पर्चों और पोस्टरों के जरिए दुष्प्रचार: गड़चिरोली में जारी क्रांतिकारी आन्दोलन के खिलाफ पुलिस ने सिर्फ 2003 में ही अब तक 12 पर्चे निकाले हैं। कई पोस्टर भी छपवाए। पुलिसिया दुष्प्रचार बेहूदा और बेसिरपैर का भी है। एक पर्चे में उन्होंने लिखा है कि मार्क्स और एंगेल्स भी नक्सलवादी ही थे और भगतसिंह भारत का सबसे पहला नक्सलवादी था। पर्चों में यह भी लिखा गया कि नक्सलवादी

आन्ध्रप्रदेश के हैं और वे बड़ी-बड़ी इमारतों में रहते हैं। पुलिस का यह भी आरोप है कि आन्ध्र के नक्सली गड़चिरोली के लोगों को गोलियों और लाठियों का शिकार करवा रहे हैं। एक पर्चे में लिखा गया है कि आदिवासी जनता पर नक्सलवादी अत्याचार करते हैं। प्रियंका दुरवे नामक एक स्कूली छात्रा की आत्महत्या की घटना को उसने ऐसे चित्रित कर दिया कि नक्सलियों ने उसके साथ बलात्कार करके जान से मार दिया। इसी प्रकार के दूसरे आरोपों से पूरे जिले में कई पोस्टर और पर्चे निकाल कर बांटे गए। यह सब क्रान्तिकारी आन्दोलन को बदनाम करने की धिनौनी कोशिश के अलावा कुछ भी नहीं।

आइए, अब यह देखा जाए कि इन आरोपों में क्या कोई दम है। आन्दोलन के दौरान शहीद होने वालों में ऐसे कई लोग थे जो आन्ध्र के थे। दण्डकारण्य आन्दोलन का प्यारा नेता कॉमरेड सुखदेव और दक्षिण बस्तर डिवीजन का प्यारा नेता कॉमरेड प्रकाश (जो मोट्टु थाने पर किए गए हमले में शहीद हुए) ने किस लिए अपनी जान दी? अगर पुलिस के आरोप में कोई सचाई है तो उनकी मौत जनता के बीच क्यों होती? हालांकि यह सच है कि दण्डकारण्य में क्रान्तिकारी आन्दोलन को विस्तार आन्ध्र से ही दिया गया है। वहीं से 1980 में पार्टी ने बस्तर और गड़चिरोली जिलों में प्रवेश किया और यह क्षेत्र आज दण्डकारण्य कहलाता है। लेकिन पिछले 23 सालों से की जा रही कोशिशों के फलस्वरूप कई स्थानीय आदिवासी युवक-युवतियों ने पार्टी के नेतृत्व की बागडोर अपने हाथों में ली है। जिला स्तर के नेतृत्व में कई स्थानीय आदिवासी हैं। गड़चिरोली जिले में शहीद हुए कमाण्डर प्रभाकर को कौन नहीं जानता? जिन कमाण्डों ने उन्हें जान से मार दिया, वे ही लोग आज कह रहे हैं कि नक्सलवादी आन्ध्र के हैं।

प्रियंका दुरवे की आत्महत्या के बारे में उसकी सहेलियां, मां-बाप और शिक्षक सभी जानते हैं। प्रेम प्रसंग में उसे समाज में बेइज्जती झेलने की नौबत आई तो उसने विचलित होकर आत्महत्या कर ली - सचाई यही है। पार्टी की गड़चिरोली डिवीजनल कमेटी ने इस पर्चे के जवाब में एक पर्चा निकालकर उसमें जनता से प्रियंका दुरवे की आत्महत्या के बारे में जांच करने की अपील की। असल में पुलिस के सारे आरोप ऐसे हैं जैसे “उलटा चोर कोटवार को डांटा”। पुलिसिया अत्याचारों के लिए जारवंडी की घटना एक ताजा उदाहरण है। वहां की पुलिस ने परीक्षा देने के लिए आई दो छात्राओं के कमरे में घुसकर सामूहिक बलात्कार किया। इस पर उक्त छात्राओं के माता-पिता ने शिकायत की तो स्वयं पुलिस अधिकारियों ने ही उन्हें दबा दिया। इसे क्या कहा जाए ये जनता ही बताए!

आत्मसमर्पण एक नाटक - गांवबंदी एक झूठ : गड़चिरोली एसपी राजवर्धन ने ‘जन जागरण अभियान’ के नाम पर जनवरी से अप्रैल तक, फिर जुलाई तक एक दमनात्मक अभियान चलाया। इसमें जिन लोगों ने पुलिस का साथ दिया, वे सब गांव के मुखिया और जालिम लोग ही थे। कुछ समर्पित लोगों और छापामारों के हाथों सजा पाने वाले लोगों ने भी इसमें शिरकत की। इस अभियान

के अन्तर्गत एसपी के नेतृत्व में पूरे जिले में 50-60 सभाएं हुईं। इन सभाओं का संचालन पुलिस अधिकारियों ने ही किया और आमतौर पर इनमें सरपंचों, पंचायत सदस्यों, जिला पंचायत सदस्यों और सभापतियों ने ही भाग लिया। इन जन विरोधियों ने सभाओं में पार्टी के खिलाफ भाषण दिया। जिम्मलगट्टा में आयोजित सभा में 18 मासूम किसानों को पेश करके उन्हें आत्मसमर्पित नक्सली बताया गया। गोठ में आयोजित ‘जन जागरण मेळावा’ में 16 नक्सलियों के आत्मसमर्पण का झूठा दावा किया गया। इसके पीछे सचाई क्या है? बेजूरपल्ली गांव के किसान हमेशा की तरह जब शिकार करने जंगल में गए थे तब गश्त पर आई पुलिस ने उन पर गोलियां चलाई। घबराए हुए किसान वहीं के वहीं खड़े हो गए। उन्हें गिरफ्तार कर पुलिस ने भरमार बन्दूकें लाने को कहा। किसानों के पास बन्दूकें न होने के बावजूद इधर-उधर से खरीद कर पुलिस को सौंप दीं। ऐसे लोगों को जिम्मलगट्टा में आयोजित सभा में पेश करके उन्हें समर्पित दस्ता कमाण्डर और दस्ता सदस्य बताया गया। गोठ की घटना भी यूं ही घटी थी। पेंडरी पुलिस थाने के दरोगा ने आसपास के परसगांव, मंगेवाडा, पैडी आदि गांवों के किसानों को 20 मई को गिरफ्तार कर थाने ले गया। उन पर बन्दूकें लाने का दबाव डालते हुए बुरी तरह प्रताड़ित किया गया। बन्दूकें नहीं लाने से जान से मारने की धमकी दी जाने से किसानों ने खरीद कर पुलिस को दीं। गोठ में आयोजित सभा में इन लोगों को बन्दूकों के साथ पेश करके आत्मसमर्पण की नौटंकी की गई। इस घटना के बाद स्थानीय पत्रकारों ने इस नौटंकी की पोल खोल दी तो को समूची जनता को यह मालूम हो गया कि यह कितना झूठा था। यह सब पार्टी और जनता का दमन करने के लिए ही चलाया जा रहा है।

गांवबंदी (नक्सलवादियों को गांव में आने नहीं देना) भी पुलिस की गढ़ी हुई कहानी है। गांवों में पुलिस वालों ने पार्टी के खिलाफ प्रचार करके लोगों पर छापामार दस्ते को नहीं आने देने पर खूब दबाव डाला - धमकियां दीं। उन्हें तब तक नहीं छोड़ा जब तक वे यह नहीं बोलते कि ‘हां, हम नक्सलवादियों को अपने गांवों में आने नहीं देंगे’। कोर्ची तहसील के 30 गांवों के लोगों ने नक्सलवादियों को अपने गांवों में आने से रोक दिया, अहेरी तहसील के 12 गांवों के लोगों ने नक्सलवादियों को अपने गांवों से भगा दिया, चामोर्षी एरिया में 70 गांवों के लोगों ने अपने गांवों में नक्सलवादियों के आगमन का विरोध किया - इस तरह के झूठे बयान जारी करके पुलिस वालों ने अखबारों में खूब प्रचार किया। जिला एसपी राजवर्धन ने इस अभियान के तहत यह घोषणा की कि जो गांव नक्सलवादियों के आने से मना करता है उसे 1 लाख रुपए दिए जाएंगे और जो नक्सलवादी समर्पण करेगा उसे 25 हजार रुपए देंगे। इस तरह प्रलोभन देकर आन्दोलन को खत्म करने की धिनौनी कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ पीपुल्सवार पार्टी जनता के हितों के खिलाफ है और सुधार कार्यक्रमों का विरोधी है कहते हुए जनता को उकसाने का प्रयास किया गया - इसी का नाम है ‘जन जागरण अभियान।’

3. दमन के खिलाफ जनता उठ खड़ी हो गई :

जन प्रतिरोध कोई नई बात नहीं : जब-जब पुलिस वालों ने अत्याचार, गिरफ्तारियां, हमले आदि का सिलसिला चलाया, तब-तब लोगों ने पुलिस का विरोध-प्रतिरोध भी किया। प्रतिरोध गड़चिरोली की जनता के लिए कोई नई बात नहीं है, बल्कि उनकी नस-नस में भरा हुआ है। कुछेक उदाहरण पेश हैं :

- * गड़चिरोली कमाण्डों के दमनचक्र का मुकाबला करने में मई 2000 बुकमरका गांव में लोगों ने जिस बहादुरी का प्रदर्शन किया वह अपने आपमें बेमिसाल है। यह गांव महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है। महाराष्ट्र कमाण्डों ने इस गांव पर तीन बार हमला करके तीन लोगों को बुरी तरह पीटा था। इससे गांव के स्त्री-पुरुष गुस्से में आ गए। सभी लोगों ने लाठियों से लैस होकर 25 कमाण्डों को मार-मार कर भगा दिया। उसके बाद कमाण्डों ने गांव की जनता से माफी मांगी और इसके बारे में कहीं भी न बोलने की प्रार्थना की। ऐसी घटनाएं कई घट चुकी हैं।
- * एटापल्ली तहसील में अपने बेटे को गिरफ्तार करने के लिए आए हुए पुलिस वालों पर एक औरत ने पुलिस पर पत्थर उठाई। गांव की सारी महिलाएं उसके समर्थन में खड़ी हो गईं।
- * पोटावी जेवेल्ली गांव में एक जन संगठन सदस्य को गिरफ्तार करने के लिए आए हुए पुलिस वालों का गांव की सभी महिलाओं ने सामूहिक रूप से मुकाबला किया। पुलिस के हाथों में पड़ चुके अपने आदमी को छुड़ाने के लिए वे पुलिस के साथ काफी देर तक जूझती रहीं।
- * ग्राम मिच्चुगुण्डा में संगठन सदस्यों को गिरफ्तार करने के इरादे से आए हुए पुलिस वालों को गांव की जनता का प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। इससे उन्होंने अगले दिन रात के समय धावा बोलकर उन्हें चुपचाप गिरफ्तार कर लिया। जनता को जब मालूम हो गया, उसने इसके पहले ही कि पुलिस वाले अपने कैम्प में पहुंच जाएं, दूसरे रास्ते से कैम्प पहुंचकर धरना दिया। पुलिस ने उन्हें छुड़ाने की कोशिश की तो जनता ने उसे विफल करके अपने गांव के लोगों को छुड़ा लिया।
- * एकरा गांव में संगठन नेता को गिरफ्तार करने के इरादे से आए पुलिस वालों को विफलता हाथ लगी क्योंकि गांव के लोगों ने उसे किसी सुरक्षित जगह में छुपा लिया और पुलिस का विरोध किया।
- * मर्कानार गांव में अपने बड़े भाई को गिरफ्तार करने के लिए आए पुलिस वालों को एक 8 वर्षीय बच्चे ने पत्थर से मार कर एक का सिर फोड़ दिया।
- * मर्कानार और कोस्मी गांवों में स्त्री-पुरुषों ने हथियारबन्द पुलिस के साथ पत्थरों और लाठियों से करीब 2 घण्टे तक लोहा लिया क्योंकि वे उनके गांव से कुछ लोगों को गिरफ्तार करने लगे थे।
- * कट्टेझरी, कोस्मी और बोडिमेड्डा गांवों में जनता ने पुलिस वालों को पानी, खाना बनाने के लिए बरतन, सोने के लिए जगह देने

से मना करके विरोध जताया। गांव की स्कूल में उन्हें सोने नहीं दिया।

- * कोडिपे गांव में 14 साल की एक लड़की ने पुलिस को पीने का पानी देने से मना कर दिया।

जनता की संगठित ताकत से ही प्रतिरोध जन्मा

गड़चिरोली के आदिवासियों की संघर्षमय विरासत रही है। अपनी जान तक को दांव पर रखकर लड़ाई करने का उनका काफी समृद्ध इतिहास रहा है। इसी आधार पर पीपुल्सवार पार्टी की राजनीति से वे बहुत जल्द ही जागृत हो गए और नई चेतना से लैस हो गए। वनोपजों के संग्रहण कार्य में, खासतौर पर तेन्दुपत्ता तुड़ाई काम में, बांस कटाई काम में ठेकेदारों और पेपर मिल मालिकों द्वारा की जा रही लूटपाट के खिलाफ वे लगातार लड़ रहे हैं। उन्होंने पिछले 22 सालों में अपनी संगठित ताकत के बल पर मजदूरी दर को इस हद तक बढ़ा लिया कि पूरे देश में कहीं इतना नहीं है। जनता कभी नहीं भूलेगी कि उनके जीवन में क्या-क्या बदलाव आए हैं। जनता मानती है कि ये बदलाव संघर्ष के जरिए ही, पीपुल्सवार पार्टी के रहते हुए ही आए हैं।

यही वजह है कि उनकी नस-नस में संघर्ष की भावना भरी है। 23 सालों से, मुख्य रूप से पिछले 13 सालों से दुर्भर दमन के बीच भी वे पीपुल्सवार पार्टी को अपनी आंखों में रखकर बचा रहे हैं। कानूनों की आड़ में उन पर शोषण और उत्पीड़न बढ़ रहे हैं। इसके खिलाफ वे मजबूती के साथ संघर्ष कर रहे हैं। इस लेख के प्रारम्भ में दी गई तीन घटनाओं के ब्यौरे इस प्रकार हैं -

1. छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र पुलिस अपने संयुक्त हमले के तहत टिप्रागढ़ एरिया (गड़चिरोली) के मर्कानार, कोस्मी आदि गांवों पर हमले कर रही थी। एक तरफ वह हमले करते हुए ही दूसरी तरफ 14 जनवरी को चिचोली में एक 'नक्सल-विरोधी रैली' निकलवाई। मानपुर पुलिस ने मर्कानार, बडानार आदि गांवों से लोगों को गिरफ्तार किया था। इन अवैध गिरफ्तारियों और पुलिस की ज्यादतियों के खिलाफ 30 जनवरी को 30 गांवों के 10 हजार लोगों ने, जिनमें 3,000 महिलाएं शामिल थीं, मानपुर पुलिस थाने की घेराबन्दी करके गिरफ्तार लोगों को रिहा करने की मांग की। पुलिस ने थाने के अन्दर से 12 गोलियां चलाई। इससे लगे डरे नहीं थे, बल्कि बाहर मौजूद एक पुलिस अधिकारी (महिला) से भिड़कर उसके पास से 9 एमएम पिस्तौल की 39 गोलियां छीन लीं। यह संघर्ष करीब 10-12 घण्टों तक चला। जब वरिष्ठ अधिकारियों ने गिरफ्तार लोगों को रिहा किया और अत्याचारों को समाप्त करने का लिखित आश्वासन दिया, तभी लोगों ने अपना आन्दोलन वापिस लिया।
2. 10 दिसम्बर को अहेरी तहसील के जिम्मलागट्टा के निकट मरिपल्लि पुलिस थाने के आसपास के 10 गांवों से 950 लोगों ने पुलिस के अत्याचारों के खिलाफ रैली निकाली। उन्होंने गिरफ्तार किए गए 7 लोगों की रिहाई की मांग करते हुए थाने के सामने धरना दिया। जब अधिकारियों ने गिरफ्तार

लोगों को रिहा करने का आश्वासन दिया और अपनी ज्यादतियों के लिए माफी मांग ली तभी लोगों ने अपना धरना समाप्त किया।

3. टिप्रागढ़ एरिया के गारपत्ती में पुलिस के अत्याचारों के खिलाफ 14 अप्रैल को 25 गांवों से 3 हजार लोगों ने पुलिस थाने तक जुलूस निकाला। लोग तब तक थाने के सामने से नहीं हटे जब तक कि कलेक्टर और एसपी आकर आइंदा ऐसा व्यवहार न होने की हामी नहीं भरते।

गड़चिरोली जिले में दमन का मुकाबला करने में लोगों की संगठित ताकत बढ़ रही है। वे अपने अधिकारों के बचाव के लिए तथा काले कानूनों के प्रयोग के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। वे पुलिस की बन्दूकों की परवाह किए बिना उसका प्रतिरोध कर रहे हैं। गड़चिरोली में यही है वर्तमान स्थिति। इससे यह बात फिर एक बार साबित हो जाती है कि दमन के सहारे जनता को हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सकता।

समापन

वड्सा में एसआरपी का मुख्यालय, नागपुर में पुलिस अकादमी, गड़चिरोली के आदिवासी नौजवानों के साथ विशेष बटालियन, गड़चिरोली में 11 सौ होमगार्डों की नियुक्ति, दूर-दराज के जंगली इलाकों में जहां कोई भी सरकारी दफ्तर या अधिकारी दिखाई नहीं देते, पुलिस थानों और कैम्पों की स्थापना – इन सब से क्या संकेत मिल रहे हैं? यह सब विदर्भ में ही क्यों हो रहा है? इन सवालियों पर गौर करने की जरूरत है।

विदर्भ क्षेत्र के गड़चिरोली, भण्डारा, गोंदिया, चन्द्रपुर और यवतमाल जिलों में आज पीपुल्सवार पार्टी जड़ें जमा चुकी है। पड़ोस के आन्ध्रप्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में क्रान्तिकारी आन्दोलन शोषणकारी सरकार की जगह जनता की नई राजसत्ता की स्थापना की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार को यह आभास हो गया कि विदर्भ के पांच जिलों में जारी आन्दोलन का उन्मूलन नहीं किया जाए तो उसके अस्तित्व को खतरा हो सकता है।

तड़ित् समाचार

कोंटा के निकट पीजीए का हमला -

एक जवान मरा : एसपी बाल-बाल बचा

13 सितम्बर 2003 को कोंटा के निकट पंदिगूडेम गांव के पास पीजीए के लाल सैनिकों ने एसपी के काफिले पर हमला बोल दिया। यह काफिला दन्तेवाड़ा एसपी गौतम का था। लेकिन इस हमले में वह बाल-बाल बच गया। इस हमले में एक पुलिस वाला मारा गया और एक अन्य घायल हो गया। खबरों के मुताबिक इस हमले में एक मासूम औरत की भी मृत्यु हुई है।

इसलिए, वह जेओसी के तहत ही दमन की कार्यवाहियां जारी रखी हुए हैं।

शासक वर्गों का दलाल सेवक गड़चिरोली एसपी राजवर्धन तरह-तरह के दावे करते हुए सुधार कार्यक्रमों के जरिए जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। दमन और सुधारों से जनता को काबू करने का प्रयास कर रहा है। यह पीपुल्सवार पार्टी के इतिहास में कोई पहला पुलिस अधिकारी नहीं है और आखिरी भी नहीं होगा। जनता की ताकत के सामने इन्हें मुंह की खाना ही पड़ेगा।

आज क्रान्तिकारी ताकतों के सामने यह जिम्मेदारी है कि वे विदर्भ क्षेत्र में, खासकर गड़चिरोली में जारी क्रान्तिकारी आन्दोलन की रक्षा करें। जनवाद पसन्द लोगों का यह फर्ज है कि वे साम्राज्यवाद, दलाल पूंजीवाद और सामंतवाद के खिलाफ जारी नव जनवादी क्रान्ति में उत्पीड़ित जनता के पक्ष में खड़े होकर पुलिस के अत्याचारों दृढ़ता से विरोध करें और जनता के जायज संघर्षों का समर्थन करें।

*** अन्तिम विजय जनता की ही होगी !**

*** जनता की संगठित ताकत के आगे कोई भी ताकत टिक नहीं सकेगी !**

गड़चिरोली में पीजीए का घात हमला - 5 कमाण्डो कुत्ते की मौत मरे

29 आगस्त की सुबह के 8 बजे गड़चिरोली जिले के भामरागढ़ से 4 किलोमीटर दूर कुम्भरिवागु के निकट पीजीए के लाल योद्धाओं ने कमाण्डो बलों पर घात लगाकर जबर्दस्त हमला किया। हत्यारे कमाण्डों की गतिविधियों पर पूरी नजर रखने वाले छापामारों ने एक पुलिसिया में बारूदी सुरंग बिछाकर उन्हें आश्चर्य में डाल दिया। करीब 25 कमाण्डो 2 वाहनों पर सवार होकर जा रहे थे, जबकि पीजीए सैनिकों की संख्या 15 से कम ही थी। ज्यों दूसरा वाहन पुलिसिया के ऊपर पहुंचा, पीजीए सैनिकों ने बारूदी सुरंग को विस्फोट कर दिया। इसमें 5 कमाण्डो मौके पर ही मारे गए और दो अन्य बुरी तरह घायल हो गए। बाद में दोनों तरफ से जबर्दस्त गोलीबारी भी हुई, लेकिन पीजीए को कोई नुकसान नहीं हुआ। पिछले कुछ महीनों से गड़चिरोली में पुलिस वाले क्रान्तिकारी आन्दोलन के खिलाफ एक भयानक दमन अभियान छेड़े हुए थे। वे लोगों को मारना-पीटना, पेट्रोल का इंजेक्शन लगाना, झूठे मामले दर्ज करके जेलों में डालना, झूठी मुठभेड़ों में मासूम लोगों को मारना - आदि तरीके अपनाए अपना रहे हैं। दूसरी तरफ क्रान्तिकारी आन्दोलन को बदनाम करने के लिए झूठा प्रचार करना, पर्चा निकालना, गांवबंदी और आत्मसमर्पण की नाटकबाजी - आदि भी जारी थीं। इस घटना के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। ☺

पीजीए सैनिकों के हाथों जन-दुश्मनों को सजाएं

गुप्त पुलिस बंडु पेका तोरें का सफाया

गड़चिरोली डिवीजन के एटापल्ली तहसील का एक गांव है गट्टा। यहां 1988 से पुलिस कैम्प मौजूद है। 10वीं कक्षा पढ़ रहे बंडु को पुलिस ने अपनी तरफ कर लिया। लालच में आकर वह मुखबिर बन गया। इसी प्रकार 1998-2000 के बीच कई पढ़े-लिखे युवकों को पुलिस ने मुखबिर बना लिया। ये लोग अपने गांवों में रहते हैं और आसपास के गांवों में रिश्तेदारी के बहाने खासतौर पर तब जाते हैं जब वहां 28 जुलाई, तेन्दुपत्ता संघर्ष आदि कार्यक्रम चलते हैं। ऐसे मौके पर छापामार दस्ते की कोई खबर या जनता के सामूहिक कार्यों सम्बन्धी कोई खबर मिल जाती है तो वे उसे पुलिस को पहुंचाया करते हैं। इस तकनीक से पुलिस ने दस्तों का सफाया करने की नाकाम कोशिशें कीं। पता चला है कि जारवाडा में पूर्व में हुई मुठभेड़ के लिए भी बंडु ही जिम्मेदार था। इसकी दी सूचना के आधार पर पुलिस ने जारवाडा गांव में संगठन के नेताओं को भी गिरफ्तार किया। 2000 में 28 जुलाई के मौके पर यह नेंडवाडी गांव में रिश्तेदारी के बहाने पर गया था। वहां स्मारक बनाने के काम में जुटे हुए लोगों से मिलकर पूरा कार्यक्रम देख कर चला गया। बाद में इसने पुलिस को इसकी पूरी जानकारी दी। बाद में लोगों को इसकी खुफिया गतिविधियों के बारे में पता चल गया। यह गट्टा में रहकर मुखबिरी का काम किया करता था। 2000 में इसका सफाया करने का फैसला हुआ था। उसके खिलाफ पोस्टर भी चस्पा कर दिया गया। लेकिन उसने न तो अपनी जन-विरोधी गतिविधियों को बन्द किया, न ही जनता के सामने आत्मसमर्पण किया। आखिरकार पीजीए ने इसका सफाया कर दिया।

गोपनीय पुलिस कृष्ण दरों का सफाया

टिप्रागढ़ इलाके में कोटगुल कस्बे में कृष्ण दरों नामक एक लम्पट युवक शुरू से ही इस क्षेत्र में क्रान्ति के विरोधी के रूप में काम करने लगा था। स्थानीय पार्टी ने उसे अपनी जन विरोधी गतिविधियों को समाप्त करने की हिदायत भी दी। लेकिन इसने यह बात भी पुलिस को बता दी। कोटगुल में बाजार करने के लिए जाने वाले लोगों को कृष्ण रास्ते में ही रोककर उनकी तलाशी लिया करता था और उन पर नक्सलवादियों के लिए सामान पहुंचाने का इलजाम लगाया करता था। उन्हें डरा-धमकाकर पैसा वसूला करता था। इसने अपने साथ कुछ लोगों को मिलाकर स्थानीय छापामार दस्ते का सफाया करने के लिए मुखबिरी का जाल बिछाकर रख दिया। बाद में पुलिस ने इसे गांव का पुलिस पटेल बना दिया। इसके बाद तो इसकी जन-विरोधी गतिविधियों में और भी इजाफा हो गया। गड़चिरोली जिले में जबसे गांवों में क्रान्तिकारियों के कहने पर पुलिस पटेलों द्वारा

इस्तीफा देने का सिलसिला शुरू हुआ, तबसे पुलिस ने ऐसे अराजकतावादी व्यक्तियों को नया पुलिस पटेल बनाना शुरू किया। कोटगुल में पुलिस कैम्प बिठाए जाने से यह बेलगाम हो चुका था। आखिरकार पीजीए सैनिकों ने पुलिस कैम्प के रहने के बावजूद कोटगुल जाकर कृष्ण दरों का खात्मा करके लोगों को राहत पहुंचाई।

मवेशीखाने में पशुओं को बन्द किए जाने के खिलाफ निकाली गई रैली पर पुलिस से गोलीबारी करवाने वाला

पटवारी गुरुनुले का सफाया

सुरसुंडी का बदमाश जमींदार कसरसाय जनता पर मनमाने आतंक चलाया करता था। पंचायत के नाम पर लोगों से हजारों रुपए वसूला करता था। इस इलाके में 1990 के आसपास शुरू किए गए संघर्षों को कुचलने के लिए इसने जीतोड़ कोशिश की थी। अपने एक बेटे को पुलिस में भरती करवाया। गांवों में जन संगठन सदस्यों के नाम पता करके पुलिस को पहुंचाया करता था। इसकी हर जन-विरोधी गतिविधि में पटवारी गुरुनुले का बराबर योगदान हुआ करता था।

पटवारी गुरुनुले जनता को बेहद प्रताड़ित किया करता था। वन विभाग वालों के साथ अच्छे सम्बन्ध कायम कर लेता था। ग्रामीणों के मवेशियों को जंगल में चरने नहीं देता था। इसने सुरसुंडी गांव में मवेशीखाना बनवाया जहां आसपास के सभी गांवों के मवेशियों को जबरन बांध दिया जाता था। उन्हें छोड़ने के एवज में बहुत सारे पैसे ले लिया करता था। इस तरह वह मालामाल भी बना था।

जमींदार कसरसाय और पटवारी गुरुनुले के अत्याचारों से तंग आकर लोगों ने 1990 में डीएकेएमएस के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला था। लेकिन जनता को सबक सिखाने की साजिश रचकर इन्होंने पहले ही पुलिस को बुला रखा था। जब लोगों का जुलूस मवेशीखाना तक पहुंचा और लोगों ने जबर्दस्ती बन्दी बनाए गए मवेशियों को छोड़ा लिया, तब पुलिस ने उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं। जनता में बढ़ रही क्रान्तिकारी चेतना को पुलिस ने अपनी बन्दूकों से रोकने की विफल कोशिश की। इस गोलीबारी में कॉमरेड दयाराम नामक एक संगठन कार्यकर्ता शहीद हो गए। लेकिन जनता वहां से टस से मस नहीं हुई। उनकी सब्र का बांध टूट गया। पुलिस के साथ जमकर लोहा लिया। काफी छीना-झपटी हुई। लोगों ने पुलिस से दो रायफ्लें छीन लीं। (इनमें से एक को फिर से पुलिस ने बाद में जब्त कर लिया जबकि दूसरी अभी भी छापामारों के पास है।)

बाद में काफी सालों तक सुरसुंडी में पुलिस कैम्प लगाया गया। लेकिन संघर्ष रुका नहीं। पूरे इलाके में जन संघर्ष बढ़ गए। भीषण दमन के बावजूद छापामार दस्तों ने क्रान्तिकारी गतिविधियों को जारी रखा। करीब 8-9 साल बाद जमींदार कसरसाय ने आत्मसमर्पण की पेशकश की। शहीद दयाराम के परिवार को 15 एकड़ जमीन देने की शर्त पर जनताने उसे माफी दी। इसके तहत वह मौत की सजा से बच गया। लेकिन पटवारी पुलिस मुखबिरी करता ही रहा। पुलिस ने उसे एक रिवाल्वर और वाकीटाकी सेट भी दे रखी थी। इस पृष्ठभूमि में 24 अगस्त 2002 में पीजीए के गौण व आधार बलों के करीब 100 सैनिकों ने इसके घर धावा बोल दिया। उसकी दुकान जला दी और उसे गोली मार दी। इस तरह एक बहुत पुराना जन-दुश्मन का सफाया हो गया है।

मुखबिर एर्रम आत्रम को मौत की सजा

भामरागढ़ तहसील के ताडिगांव रेंज के ग्राम जोनावई का निवासी एर्रम आत्रम को पीजीए सैनिकों ने सरे बाजार में पुलिस कैम्प के नजदीक ही कुल्हाड़ी से मार गिराया। 1998 में मडाम गांव में छापामार दस्ते पर पुलिस की गोलीबारी के लिए यही जिम्मेदार था। तबसे यह अपना गांव छोड़कर पुलिस कैम्प में ही रहने लगा। संगठन के सदस्यों के नाम पता करके पुलिस को बताना इसका मुख्य काम था। लोगों को डराना-धमकाना, पुलिस के साथ गांवों में गश्त पर घूमना, लोगों के घरों से जबर्दस्ती मुरगे व शराब लूटकर पीना - आदि इसकी हरकतों की कोई सीमा नहीं थी। बाद में पीजीए ने इसका सफाया करने का निश्चय किया। थाने के निकट ही इसका सफाया करके पीजीए सैनिक नारे लगाते हुए वापिस आ गए - लेकिन पुलिस को घटनास्थल का दौरा करने में काफी समय लगा।

जनता का दुश्मन

राजू ऊसेन्डी का सफाया

गड़चिरोली डिवीजन के एटापल्ली एरिया में कसनसूर रेंज के डिविंडी गांव का एक जालिम मुखिया था राजू ऊसेन्डी। यह जारवंडी पट्टी के 25 गांवों में पंचायत करके लोगों से जुमनि के रूप में अनाप-शनाप पैसा वसूला करता था। जो उसे अच्छा नहीं लगता, उस पर कोई न कोई आरोप लगाकर समाज निकाला कर देता था। और लोगों से जुमनि के तौर पर मुरगे, दारू, सुअर आदि ऐंठ लिया करता था। बीच में कुछ समय तक यह पंचायत सदस्य रहा था। तब इसने सरकार की तरफ से मंजूर कुंओं का ठेका लेकर पैसा खा लिया। कुंआ बनाने वाले मजदूरों को अंगूठा दिखाया।

जबसे इस इलाके में क्रान्तिकारी गतिविधियां शुरू हुईं, तबसे यह अन्दर ही अन्दर पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने लगा। गांव में जन संगठन की अगुवाई में जनता ने संघर्ष करके मजदूरी रेट बढ़ा ली थी। लेकिन यह लोगों को डरा-धमकाकर बढ़ी हुई रेट को उलट दिया। एक बार इसकी पिटाई करने का फैसला भी हुआ था। उसने दस्ते पर अपने कुछ पिढुओं के जरिए फायर करवाई थी। लेकिन बाद

में दस्ते ने इसकी ठोकाई कर दी। इसके बावजूद भी राजू नहीं सुधरा। पुलिस की मुखबिरी करता ही रहा। एक बार इसने छापामार दस्ते की सूचना पुलिस को पहुंचाई और पुलिस हमला करने के लिए आई भी थी। लेकिन तब तक दस्ता दूसरे रास्ते से निकल चुका था, इस प्रकार हमला टल गया। जारावंडी इलाके में इसकी बदमाशी की कोई हद नहीं रह गई थी। बाद में स्थानीय जनता और पार्टी ने इसका सफाया करने का फैसला लिया। पीजीए के एक दस्ते ने 16 अप्रैल 2003 को इसे मौत के घाट उतार दिया।

गोपनीय सैनिक बना भूतपूर्व दस्ता सदस्य

कमलू को मौत की सजा

माड़ डिवीजन के कोहकामेट्टा एरिया के अतलानार का कमलू नामक युवक 4 साल पहले दस्ते में भर्ती हुआ था। कुछ महीने काम करके यह पीछे चला गया था। बाद में पुलिस ने इससे सम्पर्क साधकर अपनी तरफ कर लिया। यह गोपनीय सैनिक बनकर आसपास के गांवों में आवारागर्द युवकों को इकट्ठा करके पार्टी के खिलाफ मुखबिरी करने लगा। पुलिस ने इसे बाकायदा प्रशिक्षण भी दिया था। यह आसपास के गांवों में अलग-अलग कामों के बहाने घूमते हुए आन्दोलन की गतिविधियों की पूरी जानकारी इकट्ठा किया करता था। लेकिन जनता ने इसकी जन-विरोधी और खुफिया गतिविधियों को समझ लिया। जनता की सूचना पर छापामार दस्ते ने इसे गिरफ्तार किया। 5 दिन तक इसे अपनी हिरासत में रखकर कड़ी पूछताछ करके बाद में उसका खात्मा कर दिया।

पुलिस की मदद करने वाला

जन-विरोधी पटेल को चेतावनी

गड़चिरोली डिवीजन के एटापल्ली एरिया के कसनसूर रेंज में कार्क गांव का पटेल उस इलाके का सबसे बड़ा पूजारी है। गांव का पुलिस पटेल भी यही था। जब इस इलाके में पुलिस दमन बढ़ गया था और जन संगठनों की गतिविधियां सीमित हुई थीं तब इसने पुलिस की मदद की। कई संगठन कार्यकर्ताओं से पैसे वसूल लिए। बाद में यह पुलिस के जासूसों के साथ मिलकर गांवों में घूमा करता था। एक बार वह जब कुछ पुलिस वालों के साथ आ रहा था, तब दस्ते के सदस्य भी उससे मिले थे। लेकिन इसने यह कहकर गुमराह किया कि वे बकरे खरीदने के लिए आए हैं। दस्ता सदस्य कुछ तय कर पाते, इसके पहले ही पुलिस वाले भाग चुके थे। बाद में पंचायत में इसने अपनी गलती मान ली। इसके बावजूद भी यह नहीं सुधरा। पुलिस से गुप्त रूप से पैसा लेते हुए दस्ते की खबर देने को तैयार हो गया। एक बार इसकी सूचना पर पुलिस ने कार्क के जंगलों में छापामारों के मुकाम पर हमला किया, लेकिन कोई खास नुकसान नहीं हुआ। इसने अपने गांव के पांच संगठन कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करवाया। बाद में जनता ने इस पर पंचायत चलाया। जन पंचायत ने इस पर 12 हजार रुपए का जुर्माना लगाकर आखिरी चेतावनी देकर छोड़ दिया। ❀

(... अन्तिम पृष्ठ का शेष)

व्यवस्थाओं के बीच राजनीतिक सत्ता के लिए तीखे हो रहे इस युद्ध में पीजीए को जीत हासिल करनी होगी।

प्यारे लोगों! नौजवानों!

पीजीए में बड़ी संख्या में भर्ती हों। इस इलाके में बढ़ रहे क्रान्तिकारी आन्दोलन में शामिल होकर आप अपना जुझारूपन का प्रदर्शन करें। लुटेरी व्यवस्था का अन्त करने में आप अपनी महत्वपूर्ण भूमिका स्वीकार कर लें। जनयुद्ध के अनुरूप राजनीतिक रूप से खुद को विकसित करते हुए, सैन्य प्रशिक्षण हासिल करते हुए दुश्मन की चालों के खिलाफ जवाबी कार्यनीति रचने में महारत हासिल करें। उसकी व्यवस्था को तबाह करने पर ही पूरा ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।

हमारे आन्दोलन के इलाकों में जनता की हर गतिविधि पर नियंत्रण बनाने के लिए दुश्मन के बल आक्रामक ढंग से बढ़ रहे हैं। राजनीतिक और रोजमर्रा के मुद्दों पर, बढ़ते शत्रु-दमन के खिलाफ तथा लड़ाई में शहीद हुए योद्धाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए उत्पीड़ित लोग काफी बड़ी संख्या में गोलबन्द हो रहे हैं। दुश्मन बन्दूक

की नोक पर लोगों की हलचल को रोकने की कोशिश कर रहा है। पीजीए को यह साबित करना है कि बन्दूक की नोक पर जन आन्दोलन को कुचला नहीं जा सकता। पिछले साल के दौरान दण्डकारण्य के पांचों डिवीजनों में सैकड़ों लोगों ने पुलिस बलों का मुकाबला करते हुए अपनी प्रतिरोधी ताकत का नमूना पेश किया। खास तौर पर हजारों महिलाओं ने पुलिस दमन का बहादुरी के साथ मुकाबला किया – आदर्श कायम किया। इन सभी का हम क्रान्तिकारी अभिनन्दन करते हैं। वे अपनी प्रतिरोधी ताकत को बढ़ा लें, इसके लिए पीजीए को उनकी मदद करनी चाहिए। पीजीए को जनता की हर प्रकार की हिफाजत करनी है। उन्हें हथियारबन्द बनाते हुए, उनका नेतृत्व करते हुए जनयुद्ध को तेज करना है। जनयुद्ध अपराजेय है - यह बात इतिहास में पहले ही साबित हो चुकी है।

क्रान्तिकारी अभिनन्दन के साथ,

दिनांक: 09-09-2003

राज्य सैन्य आयोग (एसएमसी)

(कॉमरेड माओ की बरसी)

दण्डकारण्य

भाकपा (मा-ले) [पीपुल्सवार]

15 अगस्त को काला दिवस मना

माड़ डिवीजन के कोहकामेट्टा एलजीएस के दायरे में 15 अगस्त को कहीं भी तिरंगा झण्डा नहीं फहराया गया। लगभग सभी गांवों में जनता ने काला झण्डा गाड़कर झूठी आजादी के प्रति अपना विरोध दर्ज किया। इस मौके पर मुख्य आयोजन ग्राम कोहकामेट्टा में हुआ जिसमें 10 गांवों से 800 लोगों ने भाग लिया। इनमें महिलाओं की संख्या 200 तक रही। गांव के एक जन संगठन नेता ने काला झण्डा गाड़कर सभा की शुरुआत की। इस सभा में स्थानीय छापामार दस्ता भी शामिल था। दस्ते के एक सदस्य ने इस मौके पर लोगों को सम्बोधित किया। उन्होंने लोगों को बताया कि 15 अगस्त की 'आजादी' दरअसल सत्ता का हस्तान्तरण ही थी। शोषण और उत्पीड़न में इस 'आजादी' से कोई फर्क नहीं आया। असली आजादी वही है जो जनता को शोषण और उत्पीड़न से मुक्ति दे। उन्होंने लोगों का आह्वान किया कि इस असली आजादी को हासिल करने के लिए जारी लड़ाई में भागीदारी लें। इस सभा में सीएनएम द्वारा प्रस्तुत किए गए सांस्कृतिक प्रदर्शन लोगों के लिए विशेष आकर्षण रहे।

दक्षिण बस्तर डिवीजन से भी झूठी आजादी के विरोध में काला दिवस मनाने की खबरें मिली हैं। अखबारों में छपी खबरों के मुताबिक ग्राम गोरखा, कोतावेरु, एर्बोरु, हरना, मेहला, चिन्तागुप्पा, मुकटलोग, मराईगुडा, जगदपल्लि आदि ग्रामों में जनता ने काला झण्डा उठाकर अपना विरोध जताया। ❀

पाठकों की राय

जूरी, मास यूनिट (दक्षिणी सब-जोन) से ...

“नेपाल के संघर्ष की खबरें, साम्राज्यवाद-भूमण्डलीकरण-हिन्दू फासीवाद पर केन्द्रीय कमेटी की घोषणा आदि पढ़ी। यह बहुत ही उपयोगी रहा। 8 मार्च का सन्देश महिलाओं पर जारी राजकीय हिंसा और हिन्दू फासीवाद के हमलों को समझने में उपयोगी रहा। सीआरपी बलों के दमन के बारे में भी एसजेडसी सचिव के वक्तव्य को छापना अच्छा ही था। ‘प्रभात’ को दण्डकारण्य के संघर्षों को समझने का साधन बताया जा सकता है। दण्डकारण्य के पाठकों को नजर में रखकर सरल हिन्दी को लिखने जरूरत है। किताबी हिन्दी की जगह बोलचाल की हिन्दी लिखी जाए तो ज्यादा बेहतर होगा।” ❀

जया, दक्षिण बस्तर से ...

“अक्टूबर-दिसम्बर '02 के अंक में ‘पाठकों के खत’ का स्तम्भ शुरू करने की घोषणा देखी। धन्यवाद। वाकई ‘पत्रिका एक संगठक है।’ ‘भूमकाल’ पर लेखों की शृंखला थम गई है। मुझ जैसे पाठकों के लिए यहां के संघर्षों के बारे में जानने की जरूरत है। ‘पर्यटन उद्योग’ पर लेख अच्छा है। 8 मार्च के पहले ही वह लेख हमें पहुंचा तो हमें उस मुद्दे पर समझदारी हासिल करने में मदद मिली। अलग-अलग मौकों पर इसी प्रकार के लेख छापेंगे तो हमें अपने इलाके में आन्दोलन का मार्गदर्शन करने में मदद मिलती रहेगी। तेलुगु और हिन्दी दोनों भाषाओं में पत्रिका के प्रकाशन से मैं खुश हूँ।” ❀

एसएमसी का सन्देश

पीजीए में लोगों को बड़ी संख्या में भर्ती करके उसे मजबूत बनाओ !

छापामार युद्ध को तेज और व्यापक बनाओ !

दुश्मन के हथियार ही हमारे हथियार हैं !

पीजीए के वीर सैनिकों और कमाण्डरों!

कुछ ही दिनों बाद हम पीजीए के चौथे स्थापना दिवस के अवसर पर पीजीए सप्ताह मनाने जा रहे हैं। अब से हम **26 नवम्बर से 2 दिसम्बर तक** पीजीए सप्ताह मनाएंगे। पिछले पीजीए सप्ताह के दौरान हमारे तीनों बलों ने बढ़िया पहलकदमी का नमूना पेश करते हुए कई हमले करके दुश्मन की नींद उड़ाकर रख दी। पीजीए सप्ताह और शहीद सप्ताह से दुश्मन इतना घबरा गया कि दूर-दराज के इलाकों में भी सुरक्षात्मक कदम उठा रहा है। जन छापामार सेना और जनता से उसका इस प्रकार आतंकित होना स्वाभाविक भी है। हम पीजीए के चौथे स्थापना दिवस के मौके पर आप सभी का क्रान्तिकारी अभिनन्दन करते हुए यह आशा रखते हैं कि आप अपनी पहलकदमी, सूझबूझ और दृढ़ संकल्प को और भी बढ़ा लेंगे। दुश्मन के खिलाफ बहादुरी के साथ लड़ते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले पीजीए के वीर योद्धाओं और जानबाज कमाण्डरों को हम इस मौके पर विनम्रता के साथ श्रद्धांजलि पेश करते हैं।

इस साल के शुरू के महीनों में पीजीए के आधार बलों द्वारा परम्परागत हथियारों से किए गए जानदार हमलों से दुश्मन भय खा गया। अपने हमलों में मारे गए पुलिस वालों से हथियार छीनने में आपने जो पहलकदमी दिखाई वह वाकई काबिले तारीफ थी। हमारे समूचे इलाके में, जहां आधार इलाका बनाने का लक्ष्य से काम जारी है, ऐसे हमलों और हथियारों की जब्ती में तेजी लाई जाए। लेकिन ऐसे पुलिस वालों को जो अपना पेट पालने के लिए नौकरी कर रहे हैं और जनता के दुश्मन नहीं हैं, जब सादे कपड़ों में अपने रोजमर्रा के कामों में इधर-उधर घूमते हैं तो उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दें। पामेड इलाके में आपने पुलिस वालों के साथ जिस तरह का बरताव किया, बेशक उससे गरीब पुलिस वाले सोचने पर मजबूर हो गए। आगे भी आप पुलिस वालों के साथ अपना वर्ग-दृष्टिकोण के मुताबिक ही बरताव करें।

इस साल के फरवरी माह में हुई मुरदोंडा की घटना अफसोसनाक थी। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसका पूरा ध्यान बरता जाए। 29 अगस्त को गड़चिरोली में पीजीए के हाथों 5 क्रूर कमाण्डरों

का सफाया हुआ, जिससे जनता काफी उत्साहित हुई है। किसकोडो, ताकिलोड और पिडियाकोट में किए गए हमलों ने दुश्मन की आक्रामकता पर अंकुश लगाने में मदद की। हालांकि इस वर्ष हम कुछ ही हमलों में दुश्मन का सफाया करने में कामयाब हो गए, फिर भी हमलों की संख्या बढ़ गई। हम हरेक हमले में दुश्मन का सफाया करने और उससे हथियार छीनने में पूरा ध्यान केन्द्रित करेंगे।

दुश्मन ने हमारे आन्दोलन को कुचलने के लिए अपने बलों की मौजूदा संख्या को नाकाफी मानकर केन्द्र से अर्ध-सैनिक बलों को बुलवाया। और ज्यादा बलों को तैनात करने की कोशिश भी जारी है। केन्द्र और राज्य सरकारें दण्डकारण्य क्रान्तिकारी आन्दोलन को कुचलने पर पूरा जोर लगाकर कोशिश कर रही हैं। उत्तर तेलंगाना, आन्ध्र-उड़ीसा सीमान्त इलाका और दण्डकारण्य की जनता में बढ़ती क्रान्तिकारी चेतना और साझे तौर पर किए जा रहे जन संघर्षों से दुश्मन खफा है। इसलिए वह कई दुरगामी और तात्कालिक योजनाएं बनाकर तालमेल के साथ आगे बढ़ रहा है ताकि इस विशाल जंगली इलाके में क्रान्तिकारी आन्दोलन को बढ़ने न दिया जा सके। दुश्मन के हमलों का मुकाबला करते हुए हमारे लक्ष्यों को हासिल करने में पीजीए को जनता के हाथों एक मजबूत हथियार के तौर पर विकसित होना होगा। हम जनयुद्ध के जरिए यह साबित करेंगे कि दुश्मन चाहे तो कितने बलों को भी तैनात कर दें, पर दिन-प्रतिदिन बढ़ती पीजीए जनता की सक्रिय मदद से उन्हें जरूर हराएंगी।

ग्रामीण अंचल में 'जनता ना सरकार' का गठन हो रहा है। जनता अपनी जनवादी राजसत्ता को भ्रूण रूप में अनुभव कर रही है। पुराने कबीलशाहों, जमींदारों, दुष्ट मुखियाओं की व्यवस्था को तहस-नहस कर रही है। जनसभा के माध्यम से 'जनता ना सरकार' का चुनाव हो रहा है। आधार बलों ने इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है। फिलहाल दुश्मन की कोशिश यही है कि दण्डकारण्य में उभर रही जनता की नई राजसत्ता को शुरुआती दौर में ही खत्म किया जाए। इस इरादे से उसने चौतरफा हमला छेड़ दिया है। दुश्मन के हमलों का मुकाबला करते हुए 'जनता ना सरकार' को टिकाए रखने की जिम्मेदारी पीजीए पर ही है। दो प्रतिद्वंद्वी (शेष पृष्ठ 39 पर....)

